सी० बी०—दो संख्या 331

लोक सभा

दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 1980

(संयुक्त समिति का प्रतिवेदन)

[2 नवम्बर, 1982 को प्रस्तुत]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

नवम्बर, 1982/कार्तिक, 1904 (शक)
मूल्य : 6 रु० 60 पैसे

दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पैरा	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िये
(iii)	--	7	श्री रास बिहारी बेहरा	श्री रास बिहारी बहेरा
(iii)	--	8	श्रीमती गुरबिंदर कौर ब्रार	श्रीमती गुरबिंदर ब्रार
(iii)	--	22	श्री एस.शिगार-वादीवेल	श्री एस.सिंगारा-वाड़ीवेल
(vii)	20(एक)	6	तथड	तथा
(xv)	33	3	अपराधो	अपराधी
(xxiii)	--	5	परमपत्नी	धर्मपत्नी
(xxx)	--	1	ऐम	ऐसा
(xxxiii)	3	2	सहमत	असहमत
1	2	1	नई धारा 220क	नई धारा 228 क
2	--	1	धार	धारा
2	--	4	जिसको	जिसकी
2	--	27	मुद्रित	मुद्रित
3	--	10	मध्यम	माध्यम
3	--	12	समझाने	समझने
3	--	22	दण्दित	दण्डित
4	--	7 तथा 10	कर्मचारीवृंद	कर्मचारिवृन्द
4	--	10	प्रबन्धक	प्रबन्ध
4	--	23	दंडनीय	दंडादेश
4	--	24	स्त्री	स्त्री
4	--	35	उसके	इसके
5	--	3	मैथुन	मैथुन
5	--	9	बलात्संग की	बलात्संग के
5	--	17	स्त्रीनिवासी की	स्त्री निवासी को
6	--	5	संख्याकित	संख्यांकित
6	--	6	उपधारा	उपधाराएं
8	--	6	जाना है	जाता है
9	--	8	श्री रास बिहारी बेहरा	श्री रासबिहारी बहेरा

....2/-

पृष्ठ	पैरा	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िये
9	-	23	श्री शिंगारवा-धीवल	श्री शिंगारावाड़ी-वेल
15	-	30	रिहब्बिलकेशन	रिहेबिलटेशन
17	-	7	श्री डी.क. नायकर	श्री डी.के. नायकर
17	-	20	श्री ए.सिंगारा-	श्री एस.सिंगारावाड़ीवेल
19	-	7	श्री डी.के नायक	श्री डी.के. नायकर
20	- अन्तिम		अपर सचिव	अवर सचिव
21	1	3	विज्ञति	विज्ञप्ति
22	-नीचे से 8		पपलानी-अपन सचिव	बबलानी-अवर सचिव
37	2	2	सभापति लोक सभा	सभापति ने लोक सभा
37	2	3	विदेशी	निदेशों
39	-	18	अध्ययन	अध्यक्ष
60,62,68 70,71,72, 73,84,86, 88,89,91, 94,104तथा106	-	-	श्रीमती गुरबि-न्दर कौर बरार	श्रीमती गुरब्रिन्दर कौर बरार
66 तथा 67	-	-	श्री रास बिहारी बेहरा	श्री रासबिहारी बहेरा
69 तथा 71	-	-	श्री डी.के.नायर	श्री डी.के. नायकर
71	- नीचे से8		श्री बी.इब्राहम	श्री बी.इब्राहीम
72	- नीचे से 4		श्रीमती गीता मुखर्जो	श्रीमती गीता मुखर्जी
73	- नीचे से 5		श्री के.अर्जुन	श्री के. अर्जुनन
76	- नीचे से 5		श्री डी.आर. नायकर	श्री डी.के. नायकर
79	4	5	पेशन न	पेश न
79	5	2	देय	टेप
82	- नीचे से 9		श्री बापूसाहिब पाहलेक	श्री बापूसाहिब परूलेकर
85	-	9	श्री ए.जी.पराँजपे	श्री एच.जी.पराँजपे
106	- नीचे से 2		श्री सत्यदेव कोड़ा	श्री सत्यदेव कोड़ा

विषय सूची

	पृष्ठ
1. संयुक्त समिति की रचना	(iii)
3. संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	(v)
3. विमत टिप्पण	(xix)
4. संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक . . .	1
परिशिष्ट–एक :	
संयुक्त समिति को विधेयक भेजने के लिए लोक सभा में प्रस्ताव . .	9
परिशिष्ट—दो :	
राज्य सभा में प्रस्ताव	11
परिशिष्ट—तीन :	
उन एसोसियेशनों, संगठनों, व्यक्तियों इत्यादि की सूची, जिनसे संयुक्त समिति को ज्ञापन/अभ्यावेदन प्राप्त हुए ।	12
परिशिष्ट—चार :	
संयुक्त समिति की बैठकों का कार्यवाही-सारांश	19

दण्ड विधि संशोधन विधेयक, 1980 संबंधी संयुक्त समिति

समिति की रचना

श्री डी० के० नायकर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री के० अर्जुनन
3. श्री रास बिहारी बेहरा
4. श्रीमती गुरबिन्दर कौर ब्रार
5. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी
6. श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव
7. श्रीमती सुशीला गोपालन
8. *श्रीमती मोहसिना किदवई
9. श्रीमती माधुरी सिंह
10. श्रीमती गीता मुखर्जी
11. श्री के० एस० नारायण
12. श्री राम प्यारे पनिका
13. श्री बापू साहिब पल्लेकर
14. श्री अमृत पटेल
15. श्री काजी सलीम
16. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत
17. **श्री एन० के० शेजवलकर
18. श्री एस० सिंगारवादीवेल
19. श्री आर० एस० स्वैरो
20. श्री त्रिलोक चन्द
21. श्री वी० एस० विजयराघवन
22. श्री पी० वेंकटसुब्बैया

राज्य सभा

23. †श्री लाल कृष्ण आडवाणी
24. श्री राम चन्द्र भारद्वाज

---

*14-9-1982 से त्यागपत्र दे दिया।

**श्री आर० के० महालगी के निधन हो जाने पर 16-4-1982 से उनके स्थान पर नियुक्त किए गए।

†राज्य सभा में कार्यावधि समाप्त हो जाने पर 2-4-1982 से समिति के सदस्य नहीं रहे, 5-5-1982 से पुनः नियुक्त किये गये।

25. श्री अमर प्रसाद चक्रवर्ती
26. श्री एल० डब्ल्यू० धाबे
27. श्री बी० इब्राहीम
28. श्री धुलेश्वर मीना
29. श्री सुरेन्द्र महन्ती
30. श्री बी० पी० मुन्नुसामी
31. †श्री लियोनार्ड सोलोमन सारिंग
32. श्री इरा सेझियान
33. श्री हुकमदेव नारायण यादव

सचिवालय

1. श्री एच० जी० परांजपे—संयुक्त सचिव ।
2. श्री सत्यदेव कौड़ा— मुख्य विधायी समिति अधिकारी ।
3. श्री टी० ई० जगन्नाथन —वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी ।

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० रामैया—संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग)
2. श्रीमती बी० एस० रमादेवी—संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग)
3. डा० रणवीर सिंह—सहायक विधायी परामर्शदाता, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

प्राक्कलन (राजभाषा स्कंध)

श्री आर० बी० अग्रवाल—उप प्राक्कलन, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (राजभाषा स्कंध)

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री पी० के० कठपालिया—अपर सचिव ।
2. श्री एस० बी० शरण—संयुक्त सचिव ।

---

†राज्य सभा में कार्यावधि समाप्त हो जाने पर 19-10-1981 से समिति के सदस्य नहीं रहे । 17-12-1981 से पुनः नियुक्त किए गए ।

दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

मैं, संयुक्त समिति, जिसे भारतीय दण्ड संहिता 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का और संशोधन करने के लिए विधेयक सौंपा गया था, का सभापति उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने लिए प्राधिकृत किए जाने पर समिति द्वारा यथा संशोधित विधेयक के साथ संलग्न यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. यह विधेयक लोक सभा में 12 अगस्त, 1980 को पुरःस्थापित किया गया था। इस विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह द्वारा 23 दिसम्बर, 1980 को लोक सभा में प्रस्तुत किया था तथा स्वीकृत किया गया था (परिशिष्ट-एक)।

3. राज्य सभा ने उक्त प्रस्ताव पर 24 दिसम्बर, 1980 को सहमति दी (परिशिष्ट-दो)।

4. राज्य सभा से प्राप्त संदेश लोक सभा समाचार भाग-2 में 26 दिसम्बर, 1980 को प्रकाशित किया गया।

5. समिति की कुल मिलाकर 44 बैठकें हुईं।

6. समिति की पहली बैठक 3 फरवरी, 1981 को कार्यक्रम तैयार करने के लिए हुई। इस बैठक में समिति ने विधेयक के उपबंधों के संबंध में राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, सार्वजनिक निकायों, महिलाओं और स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों, बार एसोसिएशनों/काउंसिलों, प्रेस संगठनों, व्यक्तियों आदि से विधेयक की विषयवस्तु में रुचि रखने वाले पक्षों से 18 फरवरी, 1981 तक अपने विचारार्थ ज्ञापन मांगने का निर्णय किया ताकि समिति के कार्य में आसानी हो सके।

समिति ने उक्त तारीख तक ही विधेयक के उपबंधों पर सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों, बार एसोसिएशनों/काउंसिलों, प्रेस संगठनों और महिला तथा स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों*, के महान्यायवादी और सभी राज्यों के महाधिवक्ताओं को उनकी टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु उन्हें एक परिपत्र भेजने का निर्णय भी किया।

समिति ने यह भी निर्णय किया कि विशेषज्ञों तथा विधेयक में रुचि रखने वाले पक्षों का विधेयक के उपबंधों के संबंध में मौखिक साक्ष्य लिया जाये।

समिति ने इस संबंध में प्रैस विज्ञप्ति जारी करने का निर्णय भी किया जिसमें ज्ञापन प्राप्त करने तथा मौखिक साक्ष्य देने के लिए अनुरोध करने की अंतिम तारीख 18 फरवरी, 1981 निर्धारित की गयी। 4 फरवरी, 1981 को महानिदेशक आकाशवाणी, तथा महानिदेशक, दूरदर्शन, नई दिल्ली से भी अनुरोध किया कि इस प्रैस विज्ञप्ति की विषयवस्तु को लगातार तीन दिनों तक आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के सभी केन्द्रों से प्रसारित किया जाये।

7. चूंकि 18 फरवरी, 1981 तक बहुत कम ज्ञापन प्राप्त हुए थे तथा लोक सभा सचिवालय को ज्ञापन प्राप्त करने की तारीख को बढ़ाने के लिए अनेक अनुरोध प्राप्त हुए। अतः 21 फरवरी, 1981 को सभापति ने ज्ञापन प्राप्त होने की तारीख बढ़ा कर 7 मार्च, 1981 कर दी। इसे लोक सभा सचिवालय द्वारा 23 फरवरी, 1981 को जारी की गयी प्रैस विज्ञप्ति के माध्यम से अधिसूचित किया। प्रैस विज्ञप्ति की विषयवस्तु का आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों में प्रसारण किया गया।

---

*भारत के असाधारण राजपत्र, के भाग-दो, खण्ड 2 में 12 अगस्त, 1980 को प्रकाशित।

8. चूंकि बढ़ाई गयी उक्त तारीख तक पर्याप्त संख्या में, विशेषकर राष्ट्रीय स्तर के महिला संगठनों से ज्ञापन प्राप्त नहीं हुए थे, अतः समिति ने 17 मार्च, 1981 को हुई अपनी बैठक में ज्ञापन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को और बढ़ाकर 15 अप्रैल, 1981 तक करने का निर्णय किया। 19 मार्च, 1981 को फिर एक प्रैस विज्ञप्ति जारी की गयी। महानिदेशक, आकाशवाणी और महानिदेशक दूरदर्शन नई दिल्ली से इसे आकाशवाणी के सभी केन्द्रों तथा दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारित करने का फिर से अनुरोध किया गया।

उक्त बैठक में समिति ने यह निर्णय भी लिया कि सभी संसद सदस्यों तथा देश के सभी जिला बार एसोसिएशनों को भी उक्त बढ़ी हुई तारीख से यानि 15 अप्रैल, 1981 तक विधेयक के उपबंधों पर टिप्पणियां/सुझाव देने का अनुरोध किया जाये। तदनुसार सभी संसद सदस्यों, देश के सभी जिला बार एसोसिएशनों के अध्यक्षों से उक्त तारीख तक अपनी टिप्पणियां सुझाव भेजने का अनुरोध किया गया। है

9. समिति द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों, सार्वजनिक निकायों महिला और स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों आदि से 123 ज्ञापन/अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिनमें [इस विधेयक के उपबंधों के संबंध में उनके विचार/टिप्पणियां/सुझाव दिए गए थे—(परिशिष्ट–तीन)।

10. बलात्संग के मामलों की बढ़ती हुयी समस्या की जानकारी प्राप्त करने तथा विभिन्न राज्यों में ऐसे मामलों की घटनाओं के तथ्यों और आंकड़ों का विशेषकर उन लोगों से दिल्ली आने में असमर्थ लोगों से पता लगाने के लिए समिति ने 29 अप्रैल, 1981 को हुई अपनी बैठक में निर्णय किया कि विभिन्न राज्यों का दौरा किया जाये और विभिन्न महिलाओं और स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों, बार काऊंसिलों/जिला बार एसोसिएशनों, राज्य सरकारों आदि के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए बैठकें की जायें।

11. तदनुसार समिति ने अपनी औपचारिक बैठकें प्रथम दौर में 30 जून, से 7 जुलाई, 1981 तक शिमला, लखनऊ तथा भोपाल में, दूसरे दौर में 27 जुलाई से 2 अगस्त तक बम्बई, हैदराबाद तथा बंगलोर में तथा तीसरे दौर में 14 से 23 अक्तूबर, 1981 तक कलकत्ता, ईटानगर, पटना तथा भुवनेश्वर में की तथा विभिन्न महिला तथा स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों, बार काऊन्सिलों / जिला बार एसोसिएशनों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रतिनिधियों तथा व्यक्तियों का मौखिक साक्ष्य लिया।

समिति ने नई दिल्ली में 2 तथा 3 नवम्बर, 1981 को विभिन्न महिला तथा स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों, दिल्ली प्रशासन, के प्रतिनिधियों तथा व्यक्तियों का भी मौखिक साक्ष्य लिया।

12. सरकारी अधिकारियों तथा गैर सरकारी अधिकारियों अर्थात् समाज के सभी वर्गों के महिला तथा स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों, बार काऊन्सिलो/एसोसिएशनों तथा अन्य संगठनों, व्यक्तियों आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले 225 साक्षी मौखिक साक्ष्य देने के लिये समिति के समक्ष उपस्थित हुए।

13. समिति ने 16 से 18 नवम्बर, 1981 को तथा पुनः 8 से 11 फरवरी, 1982 को हुई अपनी बैठकों में उन संशोधनों, जिनकी सूचना सदस्यों द्वारा की गई थी तथा उन सामान्य सुझावों, जो सदस्यों द्वारा दिये गये थे, के संदर्भ में विधेयक के उपबंधों पर सामान्य चर्चा की ताकि वह अपने विचार बना सके और मतैक्य पर पहुंच सके। सामान्य चर्चा के दौरान समिति के कुछ सदस्यों द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि क्या गृह राज्य मंत्री उनके द्वारा चर्चा के दौरान व्यक्त किये गये विचारों के आधार पर कोई सरकारी संशोधन लाने के लिये तैयार हैं। तदनुसार, गृह राज्यमंत्री ने समिति द्वारा विचार करने के लिये सरकारी संशोधन लाने के लिये रजामंदी व्यक्त की।

14. समिति ने 8 फरवरी, 1982 को हुई अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि नई दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य का रिकार्ड मुद्रित कराया जाना चाहिये तथा संसद के दोनों सदनों के पटल पर भी रखा जाना चाहिये।

15. समिति का प्रतिवेदन अगले सत्र (बजट सत्र, 1981) के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात् 20 फरवरी, 1981 तक सदन में प्रस्तुत किया जाना था। समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये पाँच बार समय बढ़ाये जाने की अनुमति दी गई थी। पहली बार 19 फरवरी, 1981 को छटे सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 21 अगस्त, 1981 तक; दूसरी बार 20 अगस्त, 1981 को, शीतकालीन सत्र, 1981 के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 27 नवम्बर, 1981 तक; तीसरी बार 27 नवम्बर, 1981 को बजट सत्र, 1982 के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 19 फरवरी, 1982 तक ; चौथी बार 19 फरवरी, 1982 को मानसून सत्र के उपान्तिम सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 7 अगस्त, 1982 तक; तथा पांचवीं बार 5 अगस्त 1982 को शीतकालीन सत्र, 1982 के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन अर्थात 2 नवम्बर, 1982 तक।

16. सरकारी संशोधन प्राप्त होने के बाद सभापति ने सदस्यों से यदि वे ऐसा चाहते है, सरकारी संशोधनों को ध्यान में रखते हुए नये संशोधनों की सूचनायें देने के लिये अनुरोध किया।

समिति ने 8, 11, 12 तथा 13 अक्तूबर, 1982 को हुई अपनी बैठकों में सरकारी संशोधनों तथा नये संशोधनों आदि, जिनकी सूचना सदस्यों द्वारा दी गई थी तथा जो उनको पेश किये गये थे, के सन्दर्भ में विधेयक पर खण्डवार विचार किया।

17. समिति ने 13 अक्तूबर, 1982 को हुई अपनी बैठक मे यह निर्णय लिया कि समिति द्वारा विधेयक के बारे मे प्राप्त टिप्पणियां/सुझाव दर्शाने वाले ज्ञापनों/अभ्यावेदनो आदि के दो सेट प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने के बाद संसद् ग्रन्थालय में रखे जायें ताकि संसद् सदस्य सन्दर्भ के लिये उनका प्रयोग कर सकें।

18. समिति ने 23 अक्तूबर, 1982 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया तथा उसे स्वीकार किया।

19. विधेयक में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तनों के बारे में समिति की टिप्पणियां अनुवर्ती पैराग्राफों में दी गई हैं।

20. खण्ड 2 : समिति ने इस खण्ड में निम्नलिखित कतिपय संशोधन किये है :—

(i) समिति नोट करती है कि प्रस्तावित नई धारा 228क की उपधारा (1) के उपबंधों के अन्तर्गत कतिपय अपराधों नामतः धारा 354 के अन्तर्गत किसी स्त्री का शीलभंग करने के उद्देश्य से उस पर हमला करने तथा तीन अपराधों, नामतः प्रस्तावित नई धाराओं 376, 376क, 376ख, तथा 376ग के अन्तर्गत बलात्संग तथा अवैध मैथुन, के लिये इससे आहत व्यक्ति की पहचान के प्रकटीकरण को ऐसे कारावास से जिसकी अवधि एक मास से कम नहीं होगी, किन्तु जो दो वर्ष तक हो सकेगी, दण्डनीय बनाया जा सकता है तथा उसके लिये जुर्माना भी लगाया जा सकता है। समिति महसूस करती है कि चूंकि प्रस्तावित विधान मुख्यतः बलात्संग तथा अवैध मैथुन से संबंधित है, धारा 354 के अन्तर्गत अपराध को, जो कि एक छोटा अपराध है, और बलात्संग जैसा संगीन तथा गंभीर अपराध नहीं है, इसके कार्यक्षेत्र के भीतर नहीं लाया जाना चाहिये।

(ii) समिति यह भी नोट करती है कि प्रस्तावित नई धारा 228क की उपधारा (1) के उपबन्धों में कम से कम एक मास के कारावास की व्यवस्था है तथा उसके परन्तुक में न्यायालय को एक मास से कम की अवधि के कारावास का दण्डादेश अधिरोपित करने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। समिति ने देखा है कि ये उपबंध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (4) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुरूप नहीं है, जिनमें यह उपबन्ध है कि यदि न्यायालय ऐसे अपराध के मामले में जो कि एक वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय है, तीन महीनों से कम अवधि के कारावास का दण्डादेश

अधिरोपित करता है, तो उसे ऐसा दण्डादेश देने के कारणों को दर्ज करना चाहिये, बशर्ते कि वह दण्डादेश न्यायालय के उठने तक के कारावास का दण्डादेश न हो। समिति का यह मत है कि चूंकि प्रस्तावित नई धारा 228क की उपधारा (1) के अन्तर्गत अपराध कारावास से, जिसे दो वर्ष तक बढाया जा सकता है तथा जुर्माने से भी दण्डनीय बनाया जा सकता है, न्यायालय ऐसे दण्डादेश के कारणों को दर्ज किये जाने के अध्यधीन उसमें उल्लिखित कम से कम एक माह के दण्डादेश की बजाय कम से कम तीन माह का दण्डादेश अधिरोपित करने को बाध्य है। धारा 354(4) के अन्तर्गत एकमात्र अपवाद न्यायालय के उठने तक का दण्डादेश है। परन्तु प्रस्तावित नई धारा 228क की उपधारा (1) के परन्तुक के अन्तर्गत न्यायालय विशेष कारणों को दर्ज करने के पश्चात् न्यायालय के उठने तक का दण्डादेश अधिरोपित कर सकता है, अतएव समिति का यह मत है कि कम से कम एक माह के दण्ड से संबंधित प्रस्तावित उपबन्धों तथा न्यायालय को निर्धारित न्यूनतम अवधि से कम के कारावास का दण्डादेश अधिरोपित करने संबंधी परन्तुक का लोप किया जा सकता है।

भाग (एक) तथा (दो) में की गई सिफारिशों पर आधारित प्रस्तावित नई धारा 228क की उप-धारा (1) में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

(iii) समिति महसूस करती है कि प्रस्तावित नई धारा 228क की उपधारा (2) में प्रयुक्त शब्द "जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमित द्वारा", जिसमें ऐसे अधिनियमों में निर्दिष्ट अपराध से आहत व्यक्ति की पहचान के प्रकटीकरण का निषेध किया गया है, अस्पष्टता के कारण वांछनीय नहीं है तथा यह आशंका भी व्यक्त की गई है कि ऐसा अधिनियमन प्रस्तावित विधान के कार्यक्षेत्र में न आ सके।

(iv) समिति नोट करती है कि प्रस्तावित नई धारा 228क की उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के द्वारा प्रस्तावित विधान के अन्तर्गत अपराधों से आहत व्यक्ति की पहचान के प्रकटीकरण पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है, जो कि कई बार उस व्यक्ति के हितों के विरुद्ध भी जा सकता है। समिति महसूस करती है कि कतिपय मामलों में समुचित जांच करने तथा अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रचार आवश्यक हो सकता है। अतएव समिति का मत है कि जांच के उद्देश्यों के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपराधी सजा से बच न पायें यदि यह आहत व्यक्ति के हित में हो तो अपराध की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को किसी नाम या अन्य बात का, जिससे आहत व्यक्ति की पहचान सदाशयता से प्रकट हो सके, मुद्रण तथा प्रकाशन करने की अनुमति दी जानी चाहिये।

इसी प्रकार यदि पीड़ित व्यक्ति ऐसी इच्छा व्यक्त करता है और ऐसे मामले में जिसमें पीड़ित मृतक है अथवा अव्यवस्क है अथवा विक्षिप्त है, ऐसे पीड़ित व्यक्ति का नजदीकी रिश्तेदार ऐसी इच्छा व्यक्त करता है तो पीड़ित अथवा नजदीकी रिश्तेदार की लिखित अनुमति से प्रकाशन किया जाए। किन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीड़ित व्यक्ति के नजदीकी रिश्तेदार द्वारा दी गई अनुमति का दुरुपयोग न हो, यह अनिवार्य कर दिया जाए कि इस प्रकार की अनुमति, केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त किसी कल्याण संस्थान अथवा संगठन के सभापति अथवा सचिव को ही दी जाए।

भाग (तीन) और (चार) में दिए गए सुझावों पर आधारित प्रस्तावित नई धारा 228क की उपधारा (2) को नई उप धारा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

(v) समिति का यह भी मत है कि पीड़ित व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए प्रस्तावित नई धारा 228-क की उपधारा (1) में उल्लिखित अपराध के संबंध में न्यायालय के समक्ष चल रही कार्यवाही से संबंधित किसी भी सामग्री के न्यायालय की अनुमति के बिना मुद्रण अथवा प्रकाशन को भी दण्डनीय बनाया जाना चाहिए।

तदनुसार प्रस्तावित नई धारा 228-क में एक नई उपधारा (3) जोड़ी गई है।

(vi) न्यायालय के बन्द कमरे में हुई किसी कार्यवाही से संबंधित किसी सामग्री के प्रकटीकरण के प्रतिषेध से संबंधित प्रस्तावित नई धारा 228-क की उपधारा (2) के खंड (ख) को बदल कर खंड 4 में अन्तरित किया गया है जो न्यायालय के परिसर में पहुंच से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 327 में संशोधन करने के लिए है। (देखिए पैरा 22)

21. खण्ड 3—समिति ने इस खंड में जैसा कि नीचे स्पष्ट किया गया है, कतिपय संशोधन किये हैं जो इस प्रकार हैं :—

(i) समिति अनुभव करती है कि "स्वतंत्र और स्वैच्छिक" शब्द, जिसे प्रस्तावित नई धारा 375 के खंड दूसरे में जोड़े जाने का प्रस्ताव है, से भ्रम पैदा हो सकता है और वस्तुतः ऐसा आभास देता है कि यह स्वीकृति अमान्य है। सहमति हमेशा स्वतंत्र और स्वच्छिक होनी चाहिए अन्यथा यह सहमति नहीं होगी। समिति का यह विचार है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 90 में विहित उपबंधों, जिनमें उन परिस्थितियों की व्याख्या की गई है जिनमें सहमति को अमान्य माना जाता है, के अनुसार उपरोक्त शब्दों का जोड़ा जाना अनावश्यक है। इसलिए समिति का यह विचार है कि "स्वतंत्र और स्वच्छिक" शब्द हटा दिये जाने चाहिए।

(ii) समिति नोट करती है कि प्रस्तावित नई धारा 375 के खंड तीसरे के दायरे को "जैसी कि धारा 503 में व्याख्या की गई है अथवा किसी चोट या आपराधिक अभित्रास" शब्दों को जोड़ कर, वर्तमान खंड की अपेक्षा काफी व्यापक बनाया गया है। समिति महसूस करती है कि बलात्संग और बैध मैथुन से संबंधित अपराधों के संदर्भ में "क्षति" शब्द का जोड़ा जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि इसे पहले ही भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अन्तर्गत लिया गया है। जहां तक "आपराधिक अभित्रास" शब्दों का संबंध है भारतीय दंड संहिता की धारा 503 के अन्तर्गत इसकी व्याख्या की गई है जो काफी व्यापक है, इसलिए यह आवश्यक नहीं है। इसलिए समिति का यह मत है कि "अथवा किसी क्षति अथवा आपराधिक अभित्रास जैसी धारा 503 में व्याख्या की गई है" शब्द हटा दिये जाने चाहिए। समिति का यह मत भी है कि खंड तीसरे में विहित वर्णन का विस्तार केवल उन्हीं मामलों तक होना चाहिए जिनमें पीड़ित अथवा किसी व्यक्ति को जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डाल कर अभिप्राप्त की गई है।

(iii) समिति नोट करती है कि प्रस्तावित नयी धारा 375 के पांचवे खंड में की गई तथ्य की भ्रांति के अन्तर्गत सहमति के बारे में उपबंध पहले ही भारतीय दंड संहिता में निहित उपबंधों के अन्तर्गत आ चुके हैं। समिति यह महसूस करती है कि इसलिए ये उपबंध अनावश्यक हैं और इन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए।

(iv) समिति यह महसूस करती है कि एक महिला, मस्तिष्क की विक्षिप्तता अथवा नशे अथवा किसी चेतनाशून्य अथवा हानिकर पदार्थ के प्रभाव में होने के कारण कोई भी प्रभावी प्रतिरोध करने में असमर्थ होती है। अतः समिति का यह मत है कि प्रस्तावित नयी धारा 375 के छठवें खंड (नये पांचवें

खंड) के वर्णन में आने वाला यह कथन "अथवा प्रभावी प्रतिरोध करने में असमर्थ है" अनावश्यक है और इसलिए इसे छोड़ दिया जाना चाहिए।

(v) समिति यह महसूस करती है कि ऐसे मामले में जहां न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के अन्तर्गत पति और पत्नी अलग अलग रह रहे हैं उनके बीच मेल मिलाप की संभावना है जब तक कि तलाक की डिक्री नहीं दी जाती है। इसलिए ऐसी अवधि के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी की सहमति के बिना किये गये मैथुन को बलात्संग के रूप में अथवा इसके बराबर नहीं माना जाना चाहिए। अतः प्रस्तावित नई धारा 375 के सातवें खंड (नये खंड छठवें) के वर्णन के अन्तर्गत स्पष्टीकरण 2 को छोड़ दिया गया है।

समिति का यह मत है कि ऐसी परिस्थितियों के अन्तर्गत पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ किए गए मैथुन को अवैध मैथुन के रूप में माना जाना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए विधेयक में एक स्वतंत्र उपबंध की व्यवस्था की जानी चाहिए। [देखिए नीचे भाग (xiv)]

(vi) समिति यह महसूस करती है कि अपनी पत्नी के साथ जो बारह वर्ष की आयु से कम नहीं है, मैथुन करने वाले पति को बलात्संग के अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड बलात्संग के खण्ड के बराबर नहीं होना चाहिए अपितु यह अपेक्षाकृत हल्का होना चाहिए। समिति का यह मत है कि इस अपराध के लिए ऐसी दण्ड की जैसा कि संहिता के वर्तमान उपबंधों के अन्तर्गत व्यवस्था की गई है अर्थात् एक ऐसी अवधि के लिए कारावास जिसका विस्तार दो वर्ष तक अथवा जुर्माने सहित अथवा दोनों हो सकते हैं, विधेयक में व्यवस्था की जानी चाहिए।

प्रस्तावित नयी धारा 376 की उपधारा (1) को तद्नुसार संशोधित किया गया है।

(vii) समिति यह महसूस करती है कि पुलिस कर्मचारियों के पद और प्राधिकार के आधार पर उसके द्वारा किये गये बलात्संग के अपराधों की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए हालांकि समिति यह संदेह नहीं करती है कि प्रत्येक पुलिस कर्मचारी एक अपराधी है, प्रस्तावित नई धारा 376 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में अन्तर्विष्ट उपबंध उन सभी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए पर्याप्त नहीं प्रतीत होते हैं जहां तक उनके प्राधिकार का विस्तार हो सकता है। इसके अतिरिक्त इस खण्ड में प्रयुक्त कथन "स्थानीय क्षेत्र" अत्यन्त अस्पष्ट है। अतः समिति का यह मत है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी संभव खामियों को दूर किया जाए ताकि अपराधी दण्ड से न बच सकें, ऐसे किसी भी पुलिस अधिकारी जो उस थाने की सीमाओं के भीतर जिसमें वह नियुक्त है अथवा उसके परिसर में अथवा उसकी अभिरक्षा अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी की अभिरक्षा के अधीन महिला के साथ बलात्संग है, प्रस्तावित खण्ड की परिधि के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए।

उपधारा (2) के खण्ड (क) को तदनुसार संशोधन किया गया है।

(viii) समिति महसूस करती है कि प्रस्तावित नई धारा 376 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) में अन्तर्विष्ट उपबंध केवल अधीक्षक अथवा जेल प्रबंधक, रिमाण्ड होम अथवा अभिरक्षा के किसी अन्य स्थान तक ही सीमित नहीं रहने चाहिएं।

समिति को इस बात की आशंका है कि ऐसी संस्था के प्रबंधक वर्ग का या स्टाफ का कोई भी व्यक्ति अपने पद का लाभ उठा सकता है और उस संस्था में रह रहे किसी भी व्यक्ति के साथ बलात्संग कर सकता है। अतः समिति की यह राय है कि उपधारा (2) के खंड (ग) के वर्ग उपबंधों के कार्य क्षेत्र को विस्तृत करके संस्था के प्रबंधक वर्ग या संस्था के स्टाफ के सभी व्यक्तियों को उसके अंतर्गत लाया जाना चाहिए।

उपधारा (2) का खंड (2) तदनुसार संशोधित कर दिया गया है।

(ix) समिति नोट करती है कि प्रस्तावित नई धारा 376 की उपधारा (2) के खड (छ) में अंतर्विष्ट उपबंधों का इस प्रकार विस्तार किया गया है कि इसके अन्तर्गत वे व्यक्ति आ सकें जो अस्पताल में प्रबंध से सम्बद्ध हैं और यह उन्हीं महिलाओं तक सीमित रखा गया है जिनका अस्पताल में इलाज हो रहा हो। समिति को इस बात की आशंका है कि "प्रबंध से सम्बद्ध" शब्दावली में वे व्यक्ति भी आ सकते हैं जिन्हें ऐसी किसी महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं है जो किसी अस्पताल में आई हों, जो वांछनीय नहीं है। समिति यह महसूस करती है कि प्रस्तावित उपबंधों के दायरे का केवल उन व्यक्तियों तक विस्तार किया जाना चाहिए जो अस्पताल के प्रबंधक वर्ग में है या वहां के स्टाफ में शामिल है। समिति यह भी महसूस करती है कि प्रस्तावित उपबंध का दायरा अस्पताल में इलाज करवा रही महिला के साथ किये जाने वाले बलात्संग के मामलों तक ही समिति नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसमें बलात्संग के वे मामले भी शामिल किये जाने चाहिएं जो उस अस्पताल में किसी भी महिला के साथ किया गया हो चाहे वह वहां कभी-कभी आती हो या अस्पताल में किसी रोगी के साथ रह रही हो।

तदनुसार उपधारा (2) के वर्तमान खंड (घ) के स्थान पर नया खंड प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

(x) समिति का यह मत है कि अवयस्कों के साथ किये जाने वाले बलात्संग की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए, जो कि अन्यथा भी एक जघन्य अपराध है, किसी ऐसे भी व्यक्ति को भी जो 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्संग करता है कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए। तदनुसार उपधारा (2) में एक नया खंण्ड (च) जोड़ा गया है।]

(xi) समिति नोट करती है कि प्रस्तावित नई धारा 376 की उप धारा (2) के स्पष्टीकरण एक में "सामूहिक बलात्संग" को ऐसा बलात्संग परिभाषित किया गया है जो तीन या अधिक व्यक्तियों द्वारा अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया जाता है। समिति यह महसूस करती है कि "सामूहिक बलात्संग" में यदि कोई एक व्यक्ति बलात्संग करता है तो उसके साथ शामिल सभी व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए तथा उन्हें भी बराबर दण्ड दिया जाना चाहिए। चूंकि इसमें व्यक्तियों की संख्या "तीन या अधिक व्यक्ति" रखी गई है और यदि एक व्यक्ति बलात्संग करता है तो उसके साथ के अन्य व्यक्ति इस अपराध के अन्तर्गत नहीं आ सकेंगे। अतः समिति का यह मत है कि "सामूहिक बलात्संग" की परिभाषा "व्यक्तियों के एक समूह में एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया बलात्संग" होनी चाहिए।

तदनुसार, उपधारा (2) के स्पष्टीकरण एक को संशोधित किया गया है।

(xii) उक्त उपधारा के खंड (घ) में किये गये संशोधन के परिणाम स्वरूप प्रस्तावित नई धारा 376 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण 2 का लोप कर दिया गया है।

(xiii) समिति नोट करती है कि मूल विधेयक में उपधारा (2) के खंड (घ) के अंतर्गत "अस्पताल" की परिभाषा नहीं दी गई थी लेकिन नई धारा 376 ग (अब धारा 376 घ) में दी गई थी। समिति यह महसूस करती है कि "अस्पताल" की परिभाषा को स्पष्टीकरण 3 के रूप में उप-

धारा (2) के खंड (घ) के अंतर्गत लाया जाना चाहिए और इसका दायरा व्यापक बनाया जाना चाहिए ताकि इसके अंतर्गत वे सभी बलात्संग आ सकें जो अस्पताल के अहाते में या चिकित्सा करने वाली किसी अन्य संस्था के अहाते में किये जाते हैं ।

तद्नुसार, प्रस्तावित नई धारा 376 की उपधारा (2) में स्पष्टीकरण 3 जोड़ दिया गया है ।

(xiv) जैसा कि ऊपर भाग (पांच) में पहले ही कहा जा चुका है, समिति यह महसूस करती है कि पत्नी की सहमति के बिना उसके साथ पति द्वारा किये जाने वाले मैथुन को, जबकि पत्नी पृथक्करणीय डिग्री के अंतर्गत पृथक रह रही हो, परन्तु वह अभी भी उसकी पत्नी हो, बलात्संग के अपराध के बराबर नहीं मानना चाहिए और इसके लिए पति को हल्का दंड दिया जाना चाहिए ।

तद्नुसार, विधेयक के खंड 3 में एक नयी धारा 376 क अंत:स्थापित की गई है ।

(xv) समिति यह महसूस करती है कि प्रस्तावित नई धारा 376 क (जिसकी संख्या अब 376 ख है) में प्रयुक्त पदावली "अपने पद की स्थिति का अनुचित लाभ उठाता है" से पेचीदगियां उत्पन्न हो सकती हैं और इससे इस बात पर भी विवाद खड़ा हो सकता है कि "उचित लाभ" तथा "अनुचित लाभ" का क्या अभिप्राय है । अत: समिति का मत है कि "अनुचित" पद का लोप कर दिया जाना चाहिए ।

समिति यह भी नोट करती है कि इस धारा में आये पद "विलुब्ध" से अभियुक्त को बच निकलने की कुछ गुंजाइश हो सकती है । समिति यह महसूस करती है कि बच निकलने की संभावना को समाप्त करने के लिए "विलुब्ध" पद से पहले "उत्प्रेरित या" जोड़ा जाए ।

तदनुसार, प्रस्तावित धारा 376 क (जिसकी संख्या अब 376ख कर दी गई है) में संशोधन किया गया है ।

(xvi) समिति महसूस करती है कि किसी जेल अथवा रिमांड होम का अधीक्षक अथवा प्रबन्धक वहां के निवासियों को ऐसे अवैध मैथुन के लिये, जो बलात्संग की कोटी में नहीं आता, उत्प्रेरित अथवा विलुब्ध करने के लिये निवासियों पर अपने प्राधिकार तथा नियंत्रण का लाभ उठा सकता है । अत: समिति का मत है कि धारा 376ख के उपबन्ध (अब धारा 376ग) उन्हीं तक सीमित रहने चाहियें । धारा में तदनुरूप संशोधन किया गया है ।

समिति का आगे यह विचार है कि यदि ऐसे संस्थान में अन्य पदधारी कोई व्यक्ति जो पद के कारण वहां के निवासियों पर किसी प्रकार के प्राधिकार अथवा नियंत्रण का प्रयोग करके ऐसा अपराध करता है, तो उसे भी वही दंड दिया जाना चाहिये । तदनुसार, इस धारा में स्पष्टीकरण 1 जोड़ दिया गया है ।

(xvii) प्रस्तावित नई धारा 376ग (अब 376घ) में किये गये संशोधन पारिणामिक तथा स्पष्टात्मक स्वरूप के हैं ।

खंड 3 तद्नुरूप संशोधित किया गया है । इस खंड में किये गये अन्य संशोधन या तो पारिणामिक, स्पष्टात्मक स्वरूप के हैं अथवा प्रारूपण सम्बन्धी हैं ।

22.खण्ड 4:—समिति महसूस करती है कि अन्य सभी सम्बद्ध अपराध, जिन पर बन्द कमरे में कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है, गम्भीर स्वरूप के नहीं है। अतः गोपनीयता को प्रकट करने हेतु उन्मुक्त वातावरण की सुविधा उपलब्ध कराने के विचार से बन्द कमरे में केवल बलात्संग और अवैध मैथुन के मामलों की ही सुनवाई की जानी चाहिये। इस प्रकार बन्द कमरे में सुनवाई के लिये धारा 3 के अन्तर्गत आने वाले अपराधों के मामले किये जाने चाहियें।

समिति महसूस करती है कि यद्यपि विधेयक के खंड 3 के अन्तर्गत भारतीय दंड संहिता की प्रस्तावित नई धाराओं, के अन्तर्गत बलात्संग तथा अवैध मैथुन से सम्बन्धित अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिये न्यायालय की कार्यवाही बन्द कमरे में की जानी है, कभी-कभी किन्हीं परिस्थितियों के अधीन किसी व्यक्ति विशेष को न्यायालय में उपस्थित होने की अनुमति देना आवश्यक हो सकता है। अतः समिति का विचार है कि किसी भी पक्ष द्वारा आवेदन देने पर पीठासीन न्यायाधीश को किसी व्यक्ति विशेष को न्यायालय में उपस्थित होने की अनुमति देने का स्वविवेकाधिकार होना चाहिए।

इस खण्ड में तद्नुरूप आवश्यक संशोधन किये गये हैं तथा खंड में किये गये अन्य संशोधन पारिणामित स्वरूप के हैं।

23. खण्ड 5 तथा 6 : समिति महसूस करती है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 350 में संक्षिप्त विचारण सम्बन्धी विद्यमान उपबन्ध को ध्यान में रखते हुए बन्द कमरे में हुयी सुनवाई का विवरण मुद्रित अथवा प्रकाशित करने के लिये विधेयक में अपराध के संक्षिप्त विचारण के लिये स्पष्ट उपबन्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अतः विधेयक के खंण्ड 5 का लोप किया गया है।

इसी प्रकार विधेयक के खंड 6 का भी जो पारिणामिक स्वरूप का है, लोप किया गया है।

24. खण्ड 5 (मूल खण्ड 7): समिति महसूस करती है कि कुछ अपराधों के आहत व्यक्तियों की पहचान बताने के सम्बन्ध में प्रस्तावित नई धारा 228क के अन्तर्गत आने वाला अपराध इतना गम्भीर नहीं कि जिसे अजमानतीय बनाया जाये, जैसा कि प्रस्ताव किया गया है, अतः इसे जमानतीय अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिये।

समिति का यह भी विचार है कि नई धारा 376 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ जिसकी आयु बारह वर्ष से कम न हो मैथुन से सम्बन्धित अपराध तथा नई धारा 376क के अन्तर्गत विवाह विच्छेद के दौरान पति द्वारा पत्नी के साथ, उसकी सहमति के बिना, किया गया मैथुन असंज्ञेय, जमानतीय तथा सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य बनाया जाना चाहिये।

समिति का आगे यह विचार है कि प्रस्तावित नई धारा 376ख, 376ग और 376घ के अन्तर्गत आने वाले अपराधों के मामले जमानतीय तथा सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य बनाये जाने चाहियें। समिति यह भी महसूस करती है, कि इन उपबन्धों के, जिनके अन्तर्गत अपराधों को संज्ञेय श्रेणी में रखा गया है, के दुरुपयोग को रोकने के लिये वारंट अथवा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिये।

प्रस्तावित नई अनुसूची की प्रविष्टियां तदनुरूप संशोधित की गयी हैं। इस खंड में किये गये अन्य संशोधन पारिणामिक स्वरूप के हैं।

25. खण्ड 6(मूल खण्ड 8) —समिति नोट करती है कि इस खण्ड के द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में एक नयी धारा 111क अंत:स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है जिसमें बलात्संग के लिये कुछ अभियोजनों में सम्मति न होने की उपधारणा के लिये व्यवस्था है। समिति का विचार है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ऐसे उपबंध के अन्त:स्थापन के लिये समुचित स्थान धारा 114 के पश्चात होगा जिसमें किसी मामले विशेष के अभियोजन के कतिपय तथ्यों के विद्यमान होने की उपधारणा का उपबंध है ।

तदनुसार प्रस्तावित नयी धारा 111क को धारा 114 के पश्चात् रखे जाने का प्रस्ताव किया गया है और इसकी संख्या अब धारा 114क कर दी गयी है।

(ii) समिति यह भी नोट करती है कि गर्भवती स्त्री के साथ बलात्संग से संबंधित प्रस्तावित नयी धारा 376 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) को प्रस्तावित नयी धारा 114क (मूल धारा 111क) के कार्यक्षेत्र से निकाल दिया गया है। समिति का विचार है कि यदि किसी गर्भवती स्त्री के साथ बलात्संग के अभियोजन में यह सिद्ध हो जाता है कि स्त्री गर्भवती है, तो न्यायालय के पास इस उपधारणा के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। अत: समिति की यह राय है कि प्रस्तावित नयी धारा 476 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) को भी नयी धारा 114क के कार्यक्षेत्र के भीतर लाया जाना चाहिये ।

(iii) समिति को यह आशंका है कि नयी धारा 114क (मूलधारा 111क) में किये गये उपबंधों का तब तक दुरुपयोग किये जाने की संभावना है जब तक कि बलात्संग के अभियोजन से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि मैथुन केवल अभियुक्त द्वारा ही किया गया है। अत: समिति का यह विचार है कि भारतीय दण्ड संहिता की नयी प्रस्तावित धारा 376 की उपधारा (2) के अन्तर्गत बलात्संग के अभियोजन में यह सिद्ध करना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिये कि मैथुन अभियुक्त द्वारा किया गया था ताकि निर्दोष व्यक्तियों को झूठे भुकदमों में न फंसाया जा सकें ।

खण्ड में तदनुसार संशोधन किया गया है। इस खण्ड में किया गया अन्य संशोधन पारिणामिक स्वरूप का है ।

26. खण्ड 1—इस खण्ड में किया गया संशोधन औपचारिक स्वरूप का है ।

27. अधिनियमन सूत्र— अधिनियमन सूत्र में किया गया संशोधन औपचारिक स्वरूप का है।

28. संयुक्त समिति सिफारिश करती है कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।

सामान्य सिफारिशें

29. महिलाओं पर किये जा रहे बलात्कार एवं सम्बद्ध अपराधों की निरंतर बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए दंड विधि संशोधन विधेयक, 1980 के उपबंधों के संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों के विचारों को जानने की दृष्टि से संयुक्त समिति ने राज्य सरकारों व गैर-सरकारी निकायों से सुझाव मांगे थे। उनसे बहुत बड़ी संख्या में टिप्पणियों/सुझावों वाले अनेक ज्ञापन प्राप्त हुए। समिति देश भर में कई स्थानों पर भी गयी थी। अपनी यात्राओं के दौरान, समिति ने राज्य सरकार के अधिकारियों और गैर-सरकारी व्यक्तियों जिनमें विभिन्न महिलाओं तथा स्वैच्छिक सामाजिक संगठनों, अधिवक्ता परिषदों, अधिवक्ता एसोसिएशनों, के प्रतिनिधि तथा अन्य व्यक्ति भी शामिल थे, से औपचारिक विचार-विमर्श किया था।

30. अपने विचार-विमर्शों तथा अपने विचाराधीन विधेयक की जांच-पड़ताल करने के दौरान समिति को सूचित किया गया था कि महिलाओं पर किये गये बलात्कार और यौन संबंधी अपराधों के अतिरिक्त उन पर कई अन्य अत्याचार भी किये जाते हैं ; जिनसे उनकी सुरक्षा के लिये पर्याप्त कानून नहीं है। वास्तव में कानूनों की अपर्याप्तता के अतिरिक्त

हमारे समाज की अधिकांश महिलायें स्वयं प्रभावी रूप से प्रतिरोध करने के लिये शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है तथा शारीरिक दृष्टि से असमानता के कारण आत्मरक्षा के लिये भी ऐसे अपराधों/अत्याचारों का प्रतिरोध करने के लिये समर्थ नहीं हैं । शिकार हुयी इन अपराधों/अत्याचारों का पीड़ित महिलाओं पर प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक शारीरिक और सामाजिक प्रभाव पड़ता है । ऐसे अपराधों/अत्याचारों से निपटने के लिये समिति को विभिन्न सुझाव दिये गये हैं ।

31. समिति को प्राप्त सुझावों/टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक के उपबंधों की जांच-पड़ताल करने के पश्चात् समिति महसूस करती है कि यद्यपि ऐसे अपराधों/अत्याचारों के साथ निपटने के लिये उसमें अंतर्विष्ट उपबंध अपर्याप्त हैं, फिर भी विस्तृत परिवर्तनों का सुझाव देना प्रस्तावित विधान के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत पूरी तरह नहीं आयेगा । तथापि इस विषय-वस्तु के महत्व तथा तात्कालिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, तथा महिलाओं के कल्याण का विचार करते हुए तथा उनके उचित हितों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए समिति ने विधेयक पर संशोधनों का सुझाव देने के अतिरिक्त सरकार के विचारार्थ कुछ सामान्य सिफारिशें करने का निश्चय किया है ।

32. सामान्य सिफारिशों को दो भागों में रखा गया है प्रथम भाग में भारतीय दंड संहिता के संशोधन हेतु सिफारिशें दी गयी हैं और दूसरे भाग में अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 के संशोधन के लिये सिफारिशें की गयी हैं । समिति सिफारिश करती है कि सरकार निम्नलिखित मामलों का विनियमन करने हेतु या तो वर्तमान विधानों का संशोधन करे अथवा यदि आवश्यक हो तो इस संबंध में उपर्युक्त विधान बनाये ।

भाग एक

(भारतीय दंड संहिता में सुझाये गये संशोधन)

I. छेड़-छाड़ होने पर महिला को शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार :

33. समिति बड़ी चिंता के साथ यह नोट करती है कि अभी हाल ही में महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ करने, उन्हें परेशान करने आदि की घटनाओं में वृद्धि हो गयी है और अपराधों लोग अपराध कानून के होने के बावजूद भी दंडित होने से बच जाते हैं । समिति महसूस करती है कि एक महिला को शील भंग करना नृशंस अपराध है और इस पर कठोर दंड दिया जाना चाहिये । समिति का मत है कि छेड़छाड़ करने के अपराध को बलात्कार के बराबर माना जाना चाहिये और इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत लाया जाना चाहिये जिसके अधीन शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भार डालने तक हो सकता है ।

II. शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग महिलाओं पर बलात्कार के लिये दंड

34. समिति का मत है कि जो कोई भी ऐसी महिला पर बलात्कार करता है जो कि विक्षिप्त मन, अंधे, बहरे, गूंगे होने के कारण अथवा वह शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग होने के कारण अपना बचाव करने में असमर्थ है उसे निवारक दंड दिया जाना चाहिये । समिति की राय है कि इसके लिये प्रस्तावित नयी धारा 376 की उप धारा (2) में एक उपयुक्त उपबंध की अंतःस्थापना की जानी चाहिये ।

III. आर्थिक प्रभुत्व होने पर किसी महिला पर बलात्कार के लिये दंड

35. समिति को सूचित किया गया है कि ग्रामीण तथा नगरीय दोनों क्षेत्रों में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के नियोजकों आर्थिक प्रभुत्व, प्रभाव तथा नियंत्रण, में तथा किसी एक व्यक्ति की नौकरी के अंतर्गत भी महिलाओं पर बलात्कार किये जाने के अत्यधिक मामले हुए हैं । समिति की राय है कि इस प्रकार किये गये अपराधों, चाहे वे नियोजकों के द्वारा प्रत्यक्ष

एवं अप्रत्यक्ष रूप से किये गये हों, के लिये भी कठोर दंड दिया जाना चाहिये तथा उन्हें भारतीय दंड संहिता की नयी धारा 376 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत लाया जाना चाहिये।

भाग दो

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन संबंधी सुझाव)

IV सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पूर्व स्त्रियों की गिरफ्तारी की मनाही।

36. देश के विभिन्न भागों के दौरे के दौरान समिति को अनेक स्त्री और स्वयं सेवी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बताया कि पुलिस द्वारा स्त्रियों के साथ किये जाने वाले अपराधों में वृद्धि के कारण जब कभी किसी स्त्री को गिरफ्तार किया जाता है या पुलिस स्टेशन पर पूछताछ के लिये बुलाया जाता है या वहां रोका जाता है, वह असुरक्षित महसूस करती है और सदैव आशंकित रहती है कि पुलिस उसे तंग करेगी और हो सकता है उसके साथ यौन अपराध भी करे।

37. समिति का विचार है कि अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी स्त्री को सूर्यास्त के बाद सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिये। तथापि, जब ऐसी अपरिहार्य परिस्थिति हो तो पुलिस अधिकारी को अनिवार्यतः एक लिखित रिपोर्ट बना कर अपने वरिष्ठ अधिकारी से पूर्वानुमति लेनी चाहिये अथवा यदि मामला अविलम्बनीयता का है तो उसे अनिवार्यतः गिरफ्तारी के बाद अविलम्ब अपने तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को गिरफ्तारी के कारण और साथ ही पूर्वानुमति न लेने के कारण बताते हुए लिखित सूचना देनी चाहिये।

38. समिति विधि आयोग द्वारा अपने 84वें प्रतिवेदन के पैरा 3.7 में की गई ऐसी सिफारिश से पूरी तरह सहमत है और सिफारिश करती है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 46 में एक समुचित उपबंध अंतःस्थापित किया जाये जिसमें उपरोक्त सुझावों का समावेश हो।

V बलात्संग से दोषारोपित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा

39. समिति को बताया गया कि यद्यपि बलात्संग या अन्य यौन अपराधों से दोषारोपित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा की जाती है किन्तु सामान्यतः यह देखा गया है कि चिकित्सीय परीक्षा सरसरी तौर पर की जाती है और उसकी रिपोर्ट भी समय पर नहीं मिलती। फलस्वरूप अनेक मामलों में अभियोजन पक्ष असफल रहता है और अभियुक्त दण्ड से बच निकलता है।

40. समिति का विचार है कि जब बलात्संग करने या बलात्संग करने का प्रयास करने से दोषारोपित किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और उसकी परीक्षा की जानी हो तो उसे अविलम्ब रजिस्ट्रीकृत अर्हताप्राप्त चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजा जाना चाहिये ऐसे चिकित्सा व्यवसायी को अविलम्ब ऐसी व्यक्ति की परीक्षा करनी चाहिये और एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिये जिसमें उसके द्वारा की गई परीक्षा के परिणाम देते हुए प्रत्येक निष्कर्ष पर पहुंचने पर कारण बताये और चोट के चिन्ह, यदि कोई हों, और वीर्य या रक्त की रासायनिक परीक्षा और/या जहां सम्भव हो व्यक्ति के शरीर या वस्त्रों पर उसके धब्बों का पूरा विवरण दें। चिकित्सा रिपोर्ट में परीक्षा आरम्भ करने और उसके द्वारा पूरा होने का समय भी दिया जाना चाहिये तथा चिकित्सा व्यवसायी को अविलम्ब अन्वेषक अधिकारी को रिपोर्ट भेजनी चाहिये, जो उसे आगे मजिस्ट्रेट को भेजे।

41. समिति का विचार है कि जैसा कि विधि आयोग द्वारा अपने 84वें प्रतिवेदन के पैरा 4.7 में सिफारिश की गई है, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में एक स्वतंत्र धारा 53 के अंतःस्थापित की जाये जिसमें उपरोक्त सुझावों का समावेश किया जाये।

VI. बलात्संग से आहत व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा

42. समिति को बताया गया है कि अनेक मामलों में प्राय: होने वाले विलम्ब के अलावा बलात्संग से आहत व्यक्ति की चिकित्सा रिपोर्ट भी सरसरी तौर पर तैयार की गई पाई जाती है जिसमें सफलतापूर्वक मुकदमा चलाने के लिये सारवान विवरण का अभाव रहता है। समिति का विचार है कि अन्वेषण के दौरान यदि किसी स्त्री जिसके साथ बलात्संग या बलात्संग का प्रयास अभिकथित है कि चिकित्सा परीक्षा का प्रस्ताव है, ऐसी परीक्षा स्त्री की सहमति से अथवा उसकी ओर से सहमति देने के लिये सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति से किसी रजिस्ट्रीकृत और अर्हताप्राप्त चिकित्सा व्यवसायी द्वारा की जानी चाहिये। और उसे ऐसे चिकित्सा व्यवसायी के पास अविलम्ब भेजा जाना चाहिये। ऐसे चिकित्सा व्यवसायी को अविलम्ब उसकी परीक्षा करनी चाहिये और एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिये जिसमें स्त्री को सामान्य मानसिक स्थिति सहित उपरोक्त पैरा 40 में उल्लिखित सभी विवरण दिये जायें और यह भी कि क्या आहत व्यक्ति के साथ पहले भी मैथुन होता था। रिपोर्ट में अपेक्षित अन्य विवरणों के साथ यह भी स्पष्ट रूप से लिखा जाये कि ऐसी परीक्षा के लिये स्त्री की सहमति या उसकी ओर से सहमति देने के लिये सक्षम किसी अन्य व्यक्ति की सहमति ले ली गई थी।

43. समिति विधि आयोग द्वारा अपने 74वें प्रतिवेदन के पैरा 4.10 में की गई सिफारिशों से सहमत है और सिफारिश करती है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में एक स्पष्टीकरण द्वारा 164क अंत:स्थापित की जाये जिसमें उपरोक्त सुझावों का समावेश हो।

VII. महिलाओं एवं बालकों पर किये गये अपराध की जांच में समाज कल्याण अधिकारी को संबद्ध करना

44. समिति का विचार है कि यह सुनिश्चित करने के लिये कि महिलाओं एवं बालकों पर किये गये अपराधों से संबंधित मामलों की जांच सही ढंग से हो, जांच करने वाले पुलिस-अधिकारी के लिये यह अनिवार्य कर दिया जाना चाहिये कि वह ऐसी जांच में उस क्षेत्र के किसी समाज कल्याण अधिकारी अथवा किसी मान्यता प्राप्त समाज कल्याण संगठन के प्रतिनिधि को संबद्ध करे।

45. समिति सिफारिश करती है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में खण्ड 173क के रूप में उपयुक्त उपबन्ध अन्त:स्थापित कर लिये जायें जिससे उपयुक्त सुझावों का समावेश हो।

VIII. बलात्संग—आहत व्यक्तियों को मुआवजा

46. समिति को बताया गया कि एक बार इस बात का पता लग जाने अथवा यह सिद्ध हो जाने पर कि किसी महिला विशेष के साथ बलात्संग किया गया है, व्यवहार में उसके परिवार के सदस्यों अथवा निकट संबंधियों द्वारा उसे अपनाये जाने की कोई संभावना नहीं है। समिति महसूस करती है कि वास्तव में हमारा समाज अभी उस आधार तक ऊंचा नहीं उठा है जहां बलात्संग, छेड़छाड़ इत्यादि आहतों को सहानुभूति की दृष्टि से देखा जाये तथा उन्हें अपेक्षित /सहानुभूति प्रतिष्ठा एवं सम्मान दिया जाये। परिणामत: कुछ मामलों में बलात्संग अथवा अन्य यौन संबंधी अपराधों से आहत महिलायें पागल हो जाती हैं अथवा आत्महत्या कर लेती हैं अथवा अपनी इच्छा के विरुद्ध वेश्या बन जाती हैं। समिति का विचार है कि ऐसी आहत महिलाओं को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिये जिससे वे अपना जीवन पुन: बसा सकें।

47. समिति सिफारिश करती है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के खण्ड 275 में उपयुक्त उपबंध अन्त:स्थापित किया जाये जिसमें उपयुक्त सुझावों का समावेश हो।

IX. गिरफ्तारी के बाद महिला की हिरासत व नजरबन्दी

48. जैसा कि उपर्युक्त पैरा 36 में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि जब किसी महिला को गिरफ्तार करने के पश्चात् पूछताछ के लिये थाने में नजरबन्द रखा जाता है तो

वह स्वयं को असुरक्षित महसूस करती है और उसे पुलिस द्वारा तंग किये जाने और यहां तक कि उसके साथ बलात्संग किये जाने की भी आशंका रहती है। हाल ही में इस प्रकार की घटनाओं में हुई वृद्धि से ऐसे व्यक्तियों के मन में यह आशंका दृढ़ होती जा रही है। अतः उनकी आशंका को समाप्त किये जाने और महिलाओं को पुलिस के कुकृत्यों से पर्याप्त संरक्षण प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।

49. अतः समिति का विचार है कि जब किसी महिला को गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें हिरासत में रखने के लिये अनन्य रूप से महिलाओं के लिये निर्धारित स्थान में रखने की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है तो उन्हें बच्चों की देख रेख, संरक्षण एवं कल्याण संबंधी संस्था में स्त्री और बालक संस्था (अनुज्ञापन) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अनुज्ञापित, अथवा केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में भेज दिया जाये सिवाय ऐसे मामलों में जिनमें उन्हें संरक्षण गृह अथवा किसी विशेष विधि के अन्तर्गत इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी अन्य स्थान पर भेजना अपेक्षित हो।

50. समिति सिफारिश करती है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में एक स्वतंत्र खण्ड 417क अन्तःस्थापित किया जाये जिसमें उपर्युक्त सुझावों का समावेश हो।

निष्कर्ष

51. समिति महसूस करती है कि जब तक उपर्युक्त सुझावों के आधार पर उपर्युक्त विधान तैयार/अधिनियमित नहीं किया जाता, तब तक सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कार्यपालक अनुदेश जारी किये जाने की संभावना पर विचार करे।

डी० के० नाटकर,
सभापति,
संयुक्त समिति।

नई दिल्ली ;
30 अक्तूबर, 1982

---

8 आश्विन, 1904 (शक)

विमत टिप्पण

I

प्रतिवेदित रूप में विधेयक में कतिपय ऐसे उपबन्ध हैं जो निष्पक्ष विचारण तथा हमारे देश की वर्तमान सामूहिक बलात्संग तथा अभिरक्षा में बलात्संग के अनेक मामले हो रहे हैं, वर्तमान परिस्थितियों में बलात्संग जैसे सामाजिक अपराधों को रोकने के हित में नहीं है; मेरी राय में विधेयक का खण्ड (2) समस्या के समाधान में सहायक नहीं होगा। किसी ऐसे व्यक्ति के नाम अथवा किसी सामग्री के मुद्रण और प्रकाशन जिससे पीड़ित व्यक्ति की पहचान होती है से संबंधित खण्ड अस्पष्ट है तथा बहुत व्यापक है और इससे सही अर्थ में आपराधिक दायित्व स्थापित नहीं होता। पहचान से संबंधित किसी सामग्री की विभिन्न न्यायालयों द्वारा अलग-अलग व्याख्या की जायेगी। इस खण्ड का उस स्थिति में भी दुरुपयोग होने की संभावना है जबकि किसी समाचार के प्रकाशन से पत्रकार अथवा समाचार पत्रों के प्रबन्धक इस खण्ड के क्षेत्राधिकार में आ जायेंगे। वस्तुतः यह प्रकाशन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के समान है। यह अवांछनीय है तथा इसका वास्तविक अभिप्राय बलात्संग तथा संबंधित अपराधों अथवा सामान्य रूप से भारतीय महिलाओं के बारे में आम चर्चा तथा विरोध को दंडनीय बनाना है। अब प्रेस ऐसे मामलों से संबंधित कोई समाचार प्रकाशित करने तथा दो वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराध करने का खतरा मोल लेने का दुःसाहस नहीं करेगी। इससे सताढ़ व्यक्तियों विशेषरूप से अपराधों को संरक्षण देने वाले व्यक्तियों को सुविधा होगी तथा आम चर्चा पर इस प्रकार का प्रतिबंध आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से अधिक शक्तिशाली व्यक्तियों के लिये सहायक होगा। यह जनसेवा की भावना वाले उन व्यक्तियों तथा नागरिकों की राह में भी रुकावट डालेगा जो जांच संबंधी चूक के विरुद्ध जनमत तैयार करना चाहते हैं। जन-विरोध तथा प्रमुख समाचार पत्रों के द्वारा ऐसे मामलों में कठोर दंड तथा कार्यवाही की मांग करने पर ही सरकार को यह विधेयक प्रस्तुत करने तथा इस विषय के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिये एक संयुक्त समिति गठित करने की आवश्यकता पड़ी थी।

2. कानून में ऐसा परिवर्तन किया जाना चाहिये ताकि इसके द्वारा अपराधियों को कड़े से कड़ा दण्ड दिया जा सके। परन्तु यह इसके बिल्कुल विपरीत है। जिन कारणों से बलात्संग से संबंधित कानून की पुनर्जांच की आवश्यकता उपस्थित हुई थी, उन्हीं को इस कानून के अन्तर्गत दंडनीय बनाया जा रहा है। आपराधिक न्याय दिलाने में जन सहयोग सामाजिक न्याय के लिये स्वास्थ्यप्रद तथा प्रेरक है। यह खंड इसके विपरीत है। अतः इस मामले को पत्रकारिता के व्यवसाय, वर्तमान कानून तथा प्रेस परिषद् के विवेक पर छोड़ना वांछनीय होगा। प्रेस तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप का अर्थ लोकतांत्रिक पद्धति को नकारना होगा। व्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार है। प्रेस की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार के रोक अथवा प्रतिबंध पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाना चाहिये तथा केवल अपवादी परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिये। बलात्संग तथा सामाजिक अपराधों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से भी इस प्रकार का प्रतिबंध सहायक नहीं होगा और इससे कोई समाधान नहीं हो पायेगा। कुछ व्यक्तियों तथा संगठनों ने इस संबंध में समिति के समक्ष साक्ष्य दिया है।

3. भारतीय दंड संहिता की धारा 228क में पत्रकारों अथवा समाचार पत्रों के प्रबंधकों को दो वर्ष के कारावास तथा असीमित मात्रा में जुर्माने का उपबंध है। धारा 354 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उप खंड (4) के अन्तर्गत उनके साथ साधारण अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। यह उपबंध किया गया है कि जब एक वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय कोई अपराध सिद्ध हो जाता है परन्तु न्यायालय द्वारा तीन माह से कम की अवधि की सजा दी जाती है, तो न्यायालय को ऐसी सजा देने के कारणों को दर्ज करना चाहिये बशर्ते कि यह सजा न्यायालय के उठने तक की न हो। कोई भी न्यायालय

तीन माह से कम की सजा के कारण देने का उत्तरदायित्व नहीं लेगा और इसलिये धारा 228 क, उप-खंड (1) तथा उप-खंड (3) के अन्तर्गत सजा कम से कम तीन माह की होगी। इस कानूनी उपबंध को ध्यान में रखते हुए कोई भी व्यक्ति ऐसे अपराधों से संबंधित समाचार को प्रकाशित करने का जोखिम नहीं उठायेगा तथा किसी समाचार के प्रकाशित न होने की स्थिति में वास्तविक अपराधियों का पता लगाना तथा दोषियों को सजा देना कठिन होगा। जांच की अवस्था में प्रचार का निषेध करने अथवा उसे दण्डनीय अपराध बनाने का कोई ठोस कारण नहीं है।

4. विधेयक के खंड 4 के अन्तर्गत यह उपबंध किया गया है कि ऐसे अपराधों का विचारण बन्द कमरे में किया जायेगा। किसी कानून के न होने पर बन्द कमरे में किये जाने वाले विचारण की कार्यवाही के प्रकाशन का निषेध करने संबंधी खंड 4 का उल्लंघन न्यायालय का अवमान होगा। इसके अतिरिक्त यदि विधेयक के अधीन खंड 4 के उल्लंघन पर दण्ड दिया जाना है तो कठोर दांडिक उपबंधों की व्यवस्था करना वांछनीय नहीं होगा। यहां तक की भारत के विधि आयोग ने अपने 84 वें प्रतिवेदन में भी 1 हजार रु० तक के जुर्माने की व्यवस्था की है और यह कहा है कि प्रस्तावित धारा 228क में इस प्रकार का अधिनियम बनना चाहिये जिससे कि अदालत की कार्यवाही का प्रकाशन अवैध घोषित हो तथा इसके लिये जुर्माना किया जाये न कि कारावास की सजा दी जाये।

5. इसलिये मेरा सुझाव है कि खंड 228क, उप खंड (1) को हटा दिया जाये तथा उसके स्थान में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

> "228क (1) जो कोई भी ऐसे व्यक्ति का नाम मुद्रित और प्रकाशित करता है जिसके विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई के दौरान धारा 376—क धारा 376 ख धारा 376ग और धारा 376(घ) के अधीन अपराध किया हुआ पाया जाये और यदि ऐसा मुद्रण और प्रकाशन सद्भावना से न किया गया हो अथवा जनहित में न हो तो उसे 1000 रु० तक दंड किया जावेगा।

धारा 228 क, उप धारा 2 को हटा दिया जाये। धारा 228क और उप-धारा (3) की व्याख्या को हटा दिया जाये और उसके स्थान पर क्रम संख्या 228 क (3) को बदल कर 228 क2 कर दिया जाये। निम्न लिखित प्रति-स्थापित किया जावे :—

> "228 क (2) जो कोई भी उपधारा 1 में उल्लिखित अपराध के संबंध में न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना न्यायालय के बन्द कमरे में हुई किसी कार्यवाही के संबंध में कोई बात प्रकाशित करेगा उसे 1000 रु० तक जुर्माने का दंड दिया जा सकता है।

स्पष्टीकरण

किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णय का मुद्रण या प्रकाशन इस धारा के अर्थ में कोई अपराध नहीं है।

6. वर्तमान कानून के अधीन पीड़ित तथा अपराधी व्यक्तियों के नाम तथा विवरण जब तक कि मुकदमे की कार्यवाही बन्द कमरे में नहीं हुई हो समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित की जा सकती है। यह न्यायिक कार्यवाहियों के अनुरूप है। इंड न्याय संहिता का एक प्रभुत्व सिद्धांत यह है कि सुनवाई खुली होनी चाहिये। अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 327 में यही व्यवस्था की गयी है। ए० आई० आर० 1967 एस० सी० के पृष्ठ में जिसमें उच्च-

तम न्यायालय का नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले का निर्णय दिया गया है, उसमें भी यह बात स्पष्ट कही गई है कि जब जनता को सुनवाई से वंचित किया जाता है तो प्रकाशन का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। विधि का यह भी सर्वमान्य सिद्धांत है कि "गोपनीय रखने पर न्याय समाप्त हो जाता है।" तथापि ऐसी विशेष परिस्थितियों में जहां प्रचार से होने वाली बदनामी से बचने के लिये यह एक सामान्य सिद्धांत है कि न्यायिक कार्यवाही के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है परन्तु ऐसा प्रतिबंध अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। यह मान्य सत्य है कि बलात्संग से उत्पन्न कलंक से भविष्य बिगड़ जाता है। अतः बलात्संग की शिकार महिला के चाहने पर ही बंद कमरे में कार्यवाही की जानी चाहिये। अतः मेरा सुझाव है कि उप धारा (2) को जोड़ने वाले खंड को पुनः लिखा जाना चाहिये और परन्तुक से पहले उप धारा (2) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए :—

> "यदि पीड़ित व्यक्ति ऐसा चाहता है और उसने इस संबंध में लिखित रूप में आवेदन पत्र दिया है।"

7. सामूहिक बलात्संग एक बहुत ही गंभीर अपराध है और इसके लिये निवारक दंड दिया जाना चाहिये। इसका अन्य अपराधों के साथ वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है जैसाकि नई धारा 376 के अन्तर्गत उप-खंड (2) में किया गया है मेरे विचार से न्याय के उद्देश्यों को मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास तथा जुर्माने की देयता का उपबंध करने पर ही पूरा किया जा सकता है। जैसा कि कत्ल करने के लिये भारतीय दण्ड संहिता धारा 302 के अन्तर्गत उपबंध किया गया है। प्रस्तावित संशोधन में उपबंध किया गया दंड पर्याप्त नहीं है।

8. समाप्त करने से पूर्व, मैं यह कहना चाहूंगा कि अवयस्कों के साथ बलात्संग की घटनायें गत तीन वर्षों में विशेष रूप से दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में बढ़ रही हैं। हमारा यह अनुभव है कि इन अपराधों के दांडिक विचारण को प्राथमिकता नहीं दी जाती। कानून का अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है। लेकिन उसे सही रूप से लागू करने का तंत्र भी होना चाहिये। अतः ऐसे मामलों की सही तथा शीघ्र जांच कराना और मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिये पर्याप्त तंत्र का होना आवश्यक है। सरकार को इसके लिये तुरन्त कदम उठाने चाहिए और ऐसे मामलों के विचारण के लिये विशेष न्यायालयों को स्थापित करने हेतु न्यायपालिका को निदेश देने चाहिये। जब तक अपराधियों पर शीघ्र मुकदमें नहीं चलाये जाते और उन्हें निवारक दंड नहीं दिये जाते तब तक इस सामाजिक अपराध को नहीं रोका जा सकेगा। इस समय ऐसे व्यक्तियों द्वारा कानून को अपनी प्रतिरक्षा के रूप में देखा जाता है और विचारण में असाधारण विलंब न्याय को हास्यास्पद बना रहे हैं।

9. उपर्युक्त टिप्पणियों तथा अपने विमत टिप्पण के साथ मैं सामान्य रूप से समिति द्वारा अन्य मामलों के संबंध में की गयी सिफारिशों से सहमत हूं।

नयी दिल्ली;
25 अक्तूबर, 1982

(एस० डब्ल्यू० खान)

---

3 कार्तिक, 1904 (शक)

यद्यपि मैं समिति की प्रमुख सिफारिशों से सहमत हूं परन्तु निम्नलिखित मामलों में समिति से मेरा मतभेद है :—

मेरे विचार से विधेयक का खंड-दो जिसमें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 228 में संशोधन करने का प्रावधान है, पूर्णतया निकाल दिया जाना चाहिये।

इस खंड में कतिपय अपराधों, आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहिचान प्रकट करने पर प्रतिबन्ध का उपबन्ध किया गया है। इसके लिये ये कारण बताये गये हैं:—

प्रचार से बलात्संग पीड़ित की प्रतिष्ठा पर आंच आती है और समाज में उसका रहना कठिन हो जाता है। उसे मानसिक आघात तथा पीड़ा के अतिरिक्त एक प्रकार से सामाजिक बहिष्कार वहन करना पड़ता है। अपराध की जांच करना कठिन हो जाता है।

मेरा सादर अनुरोध है कि उपर्युक्त दोनों आधारों में से कोई भी मेरे तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बलात्संग के पीड़ित को जिसे समाज की सहानुभूति प्राप्त होनी चाहिए समाज का तिरस्कार प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति यह बात जानता है कि इस दुर्घटना में पीड़ित का कोई दोष नहीं है परन्तु समाज की पुरानी अतर्कसंगत मान्यताएं पीड़ित के आदर सहित समाज में रहने के विरुद्ध है। प्रश्न यह उठता है कि पीड़ित को यह कठिनाई समाचार पत्रों में अथवा अन्य प्रकार से प्रचार के कारण होती है। जब बलात्संग की कोई घटना घटती है तब यह मामला परिवार संबंधियों तथा समाज के छोटे वर्ग से छुपा नहीं रहता। समाज उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होता चाहे समाचार पत्रों में इसका प्रचार हो अथवा नहीं। वास्तव में आवश्यकता समाज की विचारधारा में परिवर्तन की है। यह तभी संभव है जब इस प्रकार का वातावरण पैदा किया जाये।

यह बात भी विचार करने योग्य है कि यह विधान क्यों लाया गया। बलात्संग निरंतर बहुत सी घटनाओं के विरुद्ध बहुत ऐसे महिला संगठनों तथा अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा उठायी गई आवाज बहुत से समाचार पत्रों द्वारा इन घटनाओं को प्रकाशित करने तथा मथुरा के मामले का बहुत अधिक प्रचार इस विधेयक के लाये जाने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यदि इस प्रकार का प्रचार न किया गया होता तो मुझे आशंका है कि इस प्रकार का संशोधन लाने के लिये समाज और विधान मंडल पर दबाव न पड़ता। यहां तक कि संसद् के दोनों संदन भी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब को सहन नहीं कर सके और यह उचित भी है।

दूसरे जांच पड़ताल के मामले में कथित कठिनाई भी संदर्भ से अलग की बात है। वास्तव में जांच अधिकारियों की ढील और लापरवाही अपराधी को भाग निकलने का अवसर देती है। वास्तव में प्रचार से तंत्र पर दबाव पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप शीघ्र तथा सावधानीपूर्वक जांच की जा सकती है।

तीसरे, यह विधि आयोग की रिपोर्ट के प्रतिकूल है। विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ऐसे संशोधनकारी प्रावधानों का प्रस्ताव नहीं किया है। अतः मेरा दृढ़ विचार है कि वर्तमान रूप में धारा 228-क जोड़ने से उद्देश्य का किसी प्रकार का हल न निकलकर इसे क्षति पहुंचेगी अतः इस धारा को निकाल दिया जाना चाहिये।

2. इस संशोधनकारी विधेयक से तीन अधिनियमों में अर्थात् दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दण्ड संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, संशोधन किया जा रहा है और मेरा विचार है कि यह ठीक है, परन्तु ऐसा करते समय कुछ प्रक्रियात्मक मामलों का बड़ा महत्व

है। मेरा विचार है कि पीड़ित तथा अपराधी दोनों की डाक्टरी जांच के लिये अधिक स्वीकृति होनी चाहिये। रंगीन फोटोग्राफी भी जिस पर विधि आयोग ने जोर दिया है बहुत ही वैध है। बहुत विलंब हो चुका है, हमें इन मामलों को स्वीकार कर लेना चाहिये।

इसके पश्चात् दो मुख्य मुद्दे रहते है जिन के बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे देश में अपनी परम पत्नी के साथ बलात्संग जैसी विचारधारा की कोई कामना नहीं है। यह अनुचित हो सकता है कि पति 12 वर्ष से कम आयु की अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती मैथुन करे। लेकिन यह स्थिति उत्पन्न कैसे हुई ? यद्यपि कानून में बाल विवाह निषिद्ध है तथापि भारतीय समाज ने कानून को पूर्णतः नहीं अपनाया है और इसीलिये अब भी यहां हजारों नहीं बल्कि लाखों बाल विवाह हो रहे है। यह हो सकता है कि ऐसे मामले बहुत कम हों और उनकी संख्या रजिस्ट्रेशन की जा सके लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा उपबंध अनावश्यक लगता है।

धारा 114क उपबंधित करके साक्ष्य के सामान्य नियम का अनुसरण नहीं किया गया है। मूल विचार यह था कि अभिरक्षा में किये गये बलात्संग के मामलों में एक कल्पना की जानी चाहिए और वह यह है कि यदि कोई पीड़ित स्त्री कहे कि मैथुन उसकी सहमति से नहीं हुआ है तो अन्यथा सिद्ध करने का दायित्व अभियुक्त पर होगा। यह (कल्पना) ऐसे मामले से सम्बद्ध है जिसमें स्त्री गर्भवती हो और उसके साथ ऐसा अपराध किया जाए ; अतः यह माना जायेगा कि जो स्त्री गर्भवती हो गई है वह मैथुन क्रिया का प्रमाण है, और शरीर विज्ञान की दृष्टि से भी उसके साथ मैथुन करने में कोई रुकावट नहीं है। चिकित्सा विज्ञान और आधुनिक सामाजिक विचारधारा तथा यौन-मनो विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि किसी गर्भवती स्त्री के साथ उसके 4–5 महीने की गर्भवती होने तक मैथुन करने में कोई बुराई नहीं है। इसलिये इस प्रकार के बलात्संग को अभिरक्षा में किये गए बलात्संग की श्रेणी में रखना, अर्थात् उन मामलों में जो धारा 376 उपखंड 2(क), (ख), (ग), और (घ) के अन्तर्गत आते है, उचित नहीं होगा और मैं महसूस करता हूं कि इसे धारा 114क के विस्तार क्षेत्र से निकाल दिया जाए। इसी प्रकार बलात्संग की परिभाषा अर्थात् धारा 375 भारतीय दण्ड संहिता, पर भी पुनर्विचार किया जाना आवश्यक लगता है। विशेषकर मैं परिभाषा के "छठे" भाग की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है "जब वह 16 वर्ष की आयु की है तब उसकी सहमति से या सहमति के बिना। तर्क यह है कि जो स्त्री 16 वर्ष से कम आयु की है यदि वह मैथुन के लिये अपनी सहमति भी दे दे फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह इसके प्रभावों तथा इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं को समझती है। यह हो सकता है कि कुछ समस्याओं का पता स्त्री को न चले चाहे वह 16 वर्ष से अधिक आयु की हो लेकिन यह सही नहीं है कि आधुनिक समाज में 13–14 वर्ष के लड़के तथा लड़कियों को यौन संबंधी ज्ञान होता है। मैंने 13 और 16 वर्ष के बीच के भारतीय लड़के लड़कियों के यौन संबंधी अनुभवों का अध्ययन नहीं किया है लेकिन अमरीका में 13–19 वर्ष के लड़के-लड़कियों के बारे में आंकड़े उपलब्ध हैं और वहां 14–15 वर्ष की या जिन लड़कियों की उम्र अभी 16 वर्ष पूरी नहीं हुई है उन्हें यौन संबंधी काफी ज्ञान प्राप्त है। इनमें से कुछ को तो इस संबंध में अनुभवी कहा जा सकता है।

इस मुद्दे पर फिर से विचार किया जाना चाहिये कि जिस लड़की को अनुभव है और जो संभोग के आनंद जानती है अपनी इच्छा से पुरुष के साथ संभोग करती है क्या ऐसी स्थिति में भी पुरुष को दोषी ठहराया जावे। इस विषय के अध्ययन की आवश्यकता है और मेरे विचार से इस खंड में अध्ययन पर आधारित संशोधन हमारे समाज में होने वाले परिवर्तन के अनुरूप होगा। समिति ने कुछ सामान्य सिफारिशें की हैं जिनका तात्पर्य यह है कि वह विधेयक में कुछ और संशोधन चाहती है परन्तु वर्तमान संशोधनकारी विधेयक

में किये जा रहे ऐसे संशोधन के औचित्य के कारण उन्हें स्वीकार नहीं किया गया है। तथापि यह बात स्पष्ट है कि इन प्रश्नों पर यथाशीघ्र विचार किया जाना चाहिए। अतः मैं यह बात मानता हूं कि समिति ने जो उद्देश्य प्राप्त किये हैं वे पूर्ण नहीं है।

नई दिल्ली;
26 अक्तूबर, 1982

4 कार्तिक, 1904 (शक)

एम० के० मोखलकर

दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 1980, संसद में जिस रूप में पुरःस्थापित किया गया है उससे स्पष्ट प्रगट होता है कि उसका प्रारूप शीघ्रता में बनाया गया तथा त्रुटिपूर्ण है। संयुक्त प्रवर समिति के हाथों मे इस विधेयक में उल्लेखनीय परिष्करण और परिमार्जन हुआ है। भले ही यह दोषरहित नहीं हो सका है लेकिन अब इसे एक सुविचारित विधान के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये। तथापि, बहुमत से प्रेषित प्रतिवेदन में कुछ ऐसे पहलू है जिनसे हम सहमत नहीं हो सकते हैं। अतः यह विमत टिप्पण प्रस्तुत है।

हमारी प्रथम और प्रमुख आपत्ति विधेयक के खंड 2 के बारे में है जो "किसी ऐसे मामले के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाता है जिससे बलात्संग मे पीड़ित व्यक्ति की पहचान हो सकती है।" यह खंड सदाशय से प्रेरित है लेकिन इसका प्रमुख परिणाम यह होगा कि बलात्संग के मामलों के समाचार देने में समाचार-पत्रों पर भारी बाधा आ जायेगी। पीड़ित व्यक्ति के नाम के प्रकाशन पर ही रोक नहीं लगाई गई है अपितु ऐसा कोई भी मामला जो संभवतया पीड़ित व्यक्ति की ओर संकेत कर सकता है। हम महसूस करते हैं कि इस व्यापक प्रतिबंध से अधिकांश संवाददाता बलात्संग के मामलों का समाचार देने के बारे में संकोच करेंगे।

यह नही भूलना चाहिये कि यह विधेयक स्वयं ही बलात्संग के मामलों विशेषकर बातों के भीतर हुए मामलों का निरंतर समाचार-पत्रों द्वारा भंडाफोड़ किये जाने का परिणाम है। वास्तव में यदि यह खंड पहले ही सांविधिक पुस्तिका में होता तो यह बिल्कुल संभव है कि बलात्संग मामलों का समाचार-पत्रों में इस प्रकार प्रकाशन न हुआ होता और परिणामतः बलात्संग कानूनों को सुदृढ बनाने के लिये जनता द्वारा हो-हल्ला भी न किया जाता और इस प्रकार इस विधेयक का ही जन्म न हुआ होता। हम यह भी उल्लेख करते हैं कि इस सांविधिक उपबंध के बिना भी संवाददाता प्रायः स्वैच्छिक रूप से बलात्संग पीड़ित व्यक्तियों के नामों का उल्लेख नहीं करते हैं।

जब विधि आयोग ने इस मामले पर विचार किया तो उन्होंने महसूस किया कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान बंद कमरे में मुकदमें की सुनवाई की व्यवस्था करके कार्यवाही की सूचना देने पर सांविधिक रूप से रोक लगानी चाहिए जांच पड़ताल की स्थिति में बलात्संग के मामले का किस प्रकार समाचार दिया जाना चाहिए, यह "पत्रकारिता व्यवसाय की अच्छी भावना और वर्तमान कानून के ऐसे उपबंधों जो लागू हो सकते है पर छोड़ देना चाहिये। हम उस पर विचार का पूरी तरह से समर्थन करते हैं।

इस विधेयक का खंड 3 भारतीय दंड संहिता की धारा 375 पर विचार करता है जिसमे "बलात्संग" की परिभाषा दी गई है। संयुक्त प्रवर समिति द्वारा सुझाये गये संशोधन अधिकांश कमियों पर ध्यान देते हैं। लेकिन धारा 375 के अपवादस्वरूप यह इस प्रकार है "पुरुष का अपनी पत्नी के साथ मैथुन बलात्संग नहीं है जबकि पत्नी पन्द्रह वर्ष से कम आयु की नहीं है।" इसका आशय यह है कि यदि पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की है तो पति (जो अभी 15 अथवा 16 वर्ष का हो सकता है) बलात्संग का दोषी है यदि वह उसके साथ मैथुन करता है।

बाल विवाह व्यापक रूप से प्रचलित सामाजिक बुराई है और जिसके बारें में निश्चित रूप से सांविधिक मंजूरी की आवश्यकता है। लेकिन ये मंजूरी आवश्यक रूप से विभिन्न स्वरूप की होनी चाहिये। यद्यपि बाल विवाह अत्यंत निन्दनीय है तथापि इसे निश्चित रूप से बलात्संग जैसे एक ही वर्ग में नहीं रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बाल विवाह के मामले में वास्तविक अपराधी वधू अथवा वर नहीं है अपितु उनके माता पिता है। अतः हम बिना शर्त के इस अपवाद के पक्ष में है "किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ किया गया मैथुन बलात्संग नहीं है।"

इस विधेयक का प्रमुख उपबंध साक्ष्य अधिनियम में जोड़ी गई नई धारा 114 क है। इसमें बलात्संग के कुछ विशेष मामलों में अभियोजिका की ओर से सहमति न होने के बारे में अनुमान की व्यवस्था है। संयुक्त प्रवर समिति ने मूल प्रारूप में "अभियुक्त द्वारा" शब्दों को शामिल किया है। अब यह प्रमाणित किया जाना है कि मैथुन केवल अभियुक्त द्वारा ही किया गया है। हमें इसमें तनिक संदेह है कि क्या इन शब्दों को जोड़ने से ऐसे व्यक्तियों को अनभिप्रेत तथा अवांछित लाभ तो नहीं होगा जिन पर सामूहिक बलात्संग जिसमें इस बात का ध्यान किये बिना ही किसी व्यक्ति ने वास्तव में बलात्संग किया है, का अभियोग है, वे सभी जो सामूहिक रूप से बलात्संग करने में सम्मिलित हैं, समान रूप से अपराधी हैं।

संयुक्त समिति ने विधेयक में संशोधन का सुझाव देने के अलावा कई सामान्य सिफारिशें भी की हैं। हालांकि वे सिफारिशें सही अर्थों में विधेयक के क्षेत्राधिकार के भीतर नहीं आतीं फिर भी उनका महिलाओं के विरुद्ध किये जाने वाले अपराधों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिये कानून की क्षमता पर बहुत बड़ा प्रभाव है।

इनमें से कुछ सिफारिशें विधि आयोग के बलात्संग तथा संबंधित अपराधों से संबंधित 84वें प्रतिवेदन से सीधे ली गई है। इनमें से कुछ सिफारिशें अर्थात् अभियुक्त और विशेष रूप से बलात्संग से पीडित स्त्री की डाक्टरी जांच संबंधी है। अतः हमारा विचार है कि ये सिफारिशें विधेयक में ही सम्मिलित की जानी चाहिये थी और बाद में बनाने वाले कानून के लिये नहीं छोड़ देनी चाहिये थीं। निःसन्देह सामान्य स्वरूप के मामलों जैसे छेड़छाड़ के मामले में आत्मरक्षा का अधिकार, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पूर्व स्त्रियों को गिरफ्तार न किया जाना, गिरफ्तारी पर महिलाओं की अभिरक्षा तथा नजरबंदी आदि, के संबंध मे अनुवर्ती कानून आवश्यक होगा। कुछ अन्य सिफारिशें जैसे "आर्थिक प्रभुत्व" के अधीन किसी स्त्री के साथ बलात्संग से संबंधित सिफारिश अस्पष्ट है और उनकी आसानी से कानूनी व्याख्या नहीं की जा सकती।

नई दिल्ली ;
7 अक्तूबर, 1982

लाल कृष्ण आडवाणी

---

5 कार्तिक, 1904 (शक)

क. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 228 क

निम्नलिखित कारणों को ध्यान में रखते हुए समूची धारा 228क का पुनर्गठन/पुनः रचना/संशोधन करना होगा :—

(एक) जहां तक अपराधी का संबंध है, पहचान के प्रकटीकरण पर रोक लगाई गई है, जबकि महिला के संबंध में ऐसा नहीं किया गया है । अपराधी को यह विशेषाधिकार दिये जाने की मांग की गई है, जिससे महिला/उत्पीड़ित महिला का समाज में रहना खतरे में पड़ गया है ।

(दो) अपराधी के बारे में नियंत्रित तथा सीमित प्रचार की परिकल्पना की गई है परन्तु उत्पीड़ित महिला के बारे में अनुमति के अध्यधीन खुला प्रचार किया जा सकता है । (परन्तु ऐसी अनुमति अविश्वसनीय है) ।

(तीन) यथा उल्लिखित रूप में रोक की धारणा विरोधाभासपूर्ण तथा भेदभावपूर्ण है ।

(चार) प्रेस पर लगाई गई रोक उनकी स्वतंत्रता को समाप्त करती है और इस प्रकार की रोक का उद्देश्य केवल अपराधी को लाभ पहुंचाना है (हालांकि केवल अपराधी को लाभ पहुंचाने के लिये उपबन्ध नहीं बनाया जाना चाहिये) ।

(पांच) जहां तक भविष्य में छेड़खानी किये जाने का संबंध है, स्पष्टीकरण के साथ पठित धारा 228क (2) (ङ) का परन्तुक मान्य नहीं है, किसी महिला का नाम पहले से किसी मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या संगठन के पास दर्ज कराना होगा (चाहे ऐसे संगठन का अस्तित्व देश के सभी भागों में हो ही नहीं) ।

(छः) इससे धारा 228क (1) और (3) के अन्तर्गत किये गये कथित अपराधों के लिये अनेक मुकदमें चलाने पड़े हैं ।

(सात) इन अतिरिक्त मुकदमों ने संशोधन की समूची विचारधारा को जटिल तथा निष्फल बना दिया है क्योंकि उनसे केवल अपराधी को दंड की विचारधारा निष्फल होती है ।

अतः मेरा सुझाव है कि धारा 228क को निकाल दिया जाना चाहिये क्योंकि यह निष्प्रभावी तथा पक्षपातपूर्ण है ।

ख. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2)

अस्पतालों की भांति किसी भी नर्सिंग होम के प्रबन्धक अथवा कर्मचारियों को भी दंड दिया जाना चाहिये क्योंकि हमारे देश में नर्सिंग होम्स् बहुत अधिक बढ़ते जा रहे हैं ।

अतः मेरा सुझाव है—

संशोधन कारी विधेयक में जहां भी "अस्पताल" शब्द आता है वहां उसके पश्चात् "नर्सिंग होम" शब्द जोड़ा जाना चाहिये ।

ग. साक्ष्य अधिनियम की धारा 114क

उपर्युक्त संशोधन हटा दिया जाना चाहिये क्योंकि इससे किसी व्यक्ति के विरुद्ध झूठा मुकदमा चलाये जाने की पूरी आशंका है ।

अतः मैं उपर्युक्त विमत टिप्पण भेज रहा हूं और आशा करता हूं कि संसद के दोनों सदन दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 1980, जहां तक इसमें पुलिस कर्मचारियों को प्रचार के मामले की जांच के लिये निर्बाध अधिकार देने के प्रश्न हैं, के प्रस्तावित संशोधनों पर पुनर्विचार करेंगे ।

कलकत्ता;

24 अक्तूबर, 1982

---

2 कार्तिक, 1904 (शक)

अमर प्रसाद चक्रवर्ती

जबकि हम इस तथ्य से सहमत हैं कि पिछले विधेयक (मूलतः लोक सभा में प्रस्तुत किया गया) की तुलना में वर्तमान दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 (संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में) कई प्रकार से सुधार हुआ है, किन्तु हम इस विधेयक और प्रतिवेदन से पूर्णतः सहमत नहीं हो सकते। इसलिये हम निम्नलिखित विमत टिप्पण प्रस्तुत करते हैं:

1. विधेयक के खण्ड 2 (पृष्ठ 1) में धारा 228क (1) के अन्तर्गत और इस उप-खण्ड के अन्त में हम दो संशोधन अन्तःस्थापित करना चाहते हैं। चूंकि यह स्वतः स्पष्ट है, हम दोनों को उद्धृत कर रहे हैं:

(क) धारा 228(1) (पृष्ठ 1) की पहली पंक्ति में "नाम" शब्द के पश्चात "या अन्य बात को, जिससे किसी व्यक्ति की पहचान हो सकती है" शब्दों को हटा दिया जावे।

(ख) उप-खण्ड 228(1) के अन्त में हम निम्नलिखित उपबन्ध जोड़ना चाहते हैं:—

बशर्ते कि किसी मामले अथवा बलात्संग अथवा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना का कोई समाचार, समाचार पत्रों अथवा अन्यों द्वारा प्रकाशित ऐसा प्रकाशन, जो महिलाओं से बलात्संग और छेड़छाड़ के किसी ऐसे मामले को प्रकाश में लाने के उद्देश्य से किया गया हो, धारा 354, 376, 376क, 376ख, 376घ के अन्तर्गत आने वाले अपराधों के संबंध में पुलिस अथवा अधिकारियों को दी गई शिकायत अथवा दी गई सूचना की जांच में लापरवाही बरती गई हो अथवा पुलिस या अधिकारियों द्वारा गलत दिशा प्रदान की गई हो, इस खण्ड के अन्तर्गत प्रकटन के अभिप्रेत नहीं होगा।

प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव से यह जानता है कि पिछले कई वर्षों के दौरान समाचार पत्रों में प्रकाशन और महिलाओं और अन्य संगठनों के आंदोलनों ने बलात्संग के कतिपय मामलों और विशेषकर दूर दराज क्षेत्रों (जैसे हाल ही में सिसवा कांड तथा पिछली कई घटनायें) में गरीब महिलाओं पर हुए बलात्संग का पर्दाफाश किया है। इसके बिना शायद कुछ मामले तो कई स्थानों पर दर्ज ही न हो पाते; यह बात उन मामलों में विशेष कर सत्य है जहां अभियोग पुलिस कर्मियों अथवा स्थानीय पुलिस का संरक्षण प्राप्त अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के विरुद्ध हो।

वर्तमान विधेयक में अन्य चीजों के साथ पीड़ित की लिखित अनुमति से प्रकाशन दण्डनीय नहीं होगा जैसी व्यवस्था किये जाने से पीड़ित के "नाम" तथा अन्य किसी मामले, जिससे उसकी पहचान का पता चलता हो, के प्रकाशन पर पहले जैसे पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। तो भी हमारा विचार है कि दूरगामी स्थानों में महिला की लिखित अनुमति प्राप्त करना सदा व्यवहार्य नहीं है और वास्तव में स्वयं प्रकाशन से ही इन महिलाओं की सहायता होती है।

यह तर्क दिया जा सकता है कि बलात्संग पीड़ितों के नाम पर लगने वाले कलंक के कारण हमारे समाज में बलात्संग के पीड़ितों को प्रचार के मामलों में संरक्षण की आवश्यकता है। जहां हम इस बात से सहमत हैं कि इस संबंध में सामान्य मामलों में कुछ संरक्षण आवश्यक है, इसीलिये हम पीड़ित के नाम के बारे में प्रचार पर प्रतिबंध के विरुद्ध नहीं हैं परन्तु हमारा विचार है कि "पहचान बताने वाले प्रत्येक मामले पर" की सीमा तक प्रतिबंध लगाना अत्यधिक हो जायेगा और समाचार पत्र सिसवान जैसे बहुत से मामलों को प्रकाशित करने से लाचार हो जायेंगे जो इस उद्देश्य के प्रतिकूल होगा।

यह महिला संगठनों के आवश्यक कार्य-कलाप करने में भी अड़चन डालेगा। इस बात को देखते हुए कि सामान्यतः सभी मामलों का प्रचार नहीं किया जाता अथवा उनमें

आन्दोलन नहीं चलाया जाता अपितु केवल उन्हीं मामलों में ऐसा किया जाता है जिनमें संबंधित प्राधिकारी पंजीकरण जांच आदि के बारें में उपेक्षा करते है, हमारा विचार है कि हमारे द्वारा प्रस्तावित परन्तुक विधेयक में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिये ताकि बलात्संग के पीड़ितों को न्याय का अवसर मिल सके।

2. हम पुराने विधेयक के खंड 3 में स्पष्टीकरण 2 अर्थात् "न्यायिक पृथक्करण की किसी डिक्री के अधीन अपने पति से पृथक रहने वाली स्त्री के बारें में यह समझा जायेगा कि वह इस धारा के प्रयोजनों के लिये उसकी पत्नी नहीं है" का लोप करने से सहमत नहीं है।

यह तर्क दिया जा सकता है कि न्यायिक पृथक्करण के अधीन सहमति के बिना भी "पत्नी के साथ मैथुन को संभावित सुलाह के हित में बलात्संग नहीं माना जायेगा। किन्तु हमारा विचार है कि प्रथमतः सुलह के लिये स्त्रियों को बाध्य करना सबसे बेहतर तरीका नहीं है, दूसरे स्त्रियों को इस खतरे का भय रहता है कि यदि मैथुन से गर्भ धारण हो जावे तो स्त्री को बड़ी समस्या का मुकाबला करना पड़ेगा।

3. विधेयक के खण्ड 3 में भारतीय दंड संहिता की नई धारा 376 (1) के अन्तर्गत विद्यमान विधेयक के खण्ड (2) के उप खंड (1) जिसमें किसी पुलिस अधिकारी द्वारा बलात्संग की परिस्थितियों की परिभाषा की जा रही है, में कुछ सुधार है किन्तु फिर भी हमारा यह अधिकार है कि यह अपर्याप्त है। हम चाहते हैं कि एक अन्य उप खंड यह जोड़ा जाये कि "अथवा किसी क्षेत्र में जहां वह एक पुलिस कर्मचारी हो"।

हमारा तर्क यह है कि जो कोई भी (विशेष रूप से गरीब तथा ग्रामीण स्त्रियां) यह जानेगा कि कोई व्यक्ति विशेष पुलिस का कर्मचारी है, उसे उससे, जो प्रभुत्व की स्थिति में होगा, डरने की संभावना है, भले ही उस विधेयक में विहित परिस्थितियों में हो।

4. हमें आर्थिक अधिशासन अथवा शक्ति का लाभ उठाकर किये गये बलात्संग के मामलों के बारें में अत्यधिक चिन्ता है। इस प्रश्न पर संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की सामान्य सिफारिश (पैरा 35) में आंशिक रूप से विचार किया गया है। किन्तु हमारा विचार है कि इस विधेयक को ही इस समस्या का ध्यान रखना चाहिये था और उसके लिये पर्याप्त गुंजाइश थी। हम चाहते है कि भारतीय दंड संहिता की नई धारा 376 (1) की उपधारा 2 में "सामूहिक बलात्संग" शब्दों के पश्चात या तो "(छ) शक्ति से बलात्संग करता है" या "(छ) किसी स्त्री के साथ जिस पर उस स्त्री का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक अधिशासन है, बलात्संग करता है" शब्दों के माध्यम से एक अन्य अवधारणा जोड़ी जाये और उसके बाद यह स्पष्टीकरण दिया जाये--

"स्पष्टीकरण 4" जहां किसी स्त्री के साथ आर्थिक अधिशासन या प्रभाव या नियंत्रण या प्राधिकार के अधीन जिसके अन्तर्गत भूस्वामियों, अधिकारियों, प्रबन्ध कर्मचारियों, ठेकेदारों, नियोजकों तथा महाजनों द्वारा स्वतः या उनके द्वारा भाड़े पर नियोजित व्यक्तियों द्वारा बलात्संग किया जाता है, वहां इस उपधारा के अर्थ के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति द्वारा बलात्संग किया गया समझा जायेगा।

हमारा विचार है कि ऐसे मामलों में दोषी को ऐसा कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिये जैसा अभिरक्षा में किये गए बलात्संग तथा सामूहिक बलात्संग के मामलों में दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इन मामलों में पीड़ित को भारतीय दण्ड संहिता की प्रस्तावित नई धारा 114 का लाभ भी मिलना चाहिये जिसमें साक्ष्य के अभाव से संबंधित अवधारणा पीड़िता के पक्ष में की जाती है। किसी भावी विधान पर छोड़ने के बजाय उपर्युक्त दोनों प्रावधानों का उपबन्ध वर्तमान विधेयक में ही किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त हमने यह नोट किया है कि प्रतिवेदन के पैरा 35 में इस संबंध में की गई सामान्य सिफारिशों में केवल "नियोजकों" के आर्थिक वर्चस्व, प्रभाव नियंत्रण तथा प्राधिकार मात्र का उल्लेख है तथा हमारे द्वारा सुझाए गए उपर्युक्त स्पष्टीकरण 4 में उल्लिखित अन्य श्रेणियों का उल्लेख नहीं है। अतएव हम यह महसूस करते हैं कि इस संबंध में प्रतिवेदन की सामान्य सिफारिश भी अपर्याप्त है।

5. विधेयक (खंड 4) में बलात्संग के मामलों के लिये "बन्द कमरे में" अनिवार्य विचारण संबंधी उपबंध के बारे में हम यह चाहते हैं कि इसमें "यदि पीड़ित द्वारा इच्छा व्यक्त की जाये" का उपबंध किया जाना चाहिये। हमारा विचार है कि यद्यपि बलात्संग के मामलों का विचारण सामान्यतया बन्द कमरे में किया जाना चाहिये तथा यह पीड़ित के हित में है, परन्तु ऐसे भी मामले हो सकते हैं जहां न्याय के लिये प्रचार की आवश्यकता हो तथा इस उद्देश्य से प्रचार पीड़ित के हित में किया जाना चाहिये और इस स्थिति में इसकी गुंजाइश रहेगी।

6. समाज कल्याण अधिकारी अथवा किसी मान्यता प्राप्त समाज कल्याण संगठन के किसी प्रतिनिधि के संबद्ध होने की आवश्यकता के बारे में प्रतिवेदन के पैरा 44 तथा 45 में (दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में जोड़ी गई धारा 173क) यह सिफारिश की गई है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में नई धारा 173क जोड़ी जानी चाहिये। परन्तु हमारा विचार है कि किसी समाज कल्याण अधिकारी अथवा समाज कल्याण संगठन के किसी प्रतिनिधि अथवा क्षेत्रीय किसी महिला संगठन के जांच प्रक्रिया से संबद्ध होने तथा अपराधी पर मुकदमा चलाने और यदि पुलिस अधिकारी मुकदमा चलाना आवश्यक न समझते हों, तो भी ऐसे संगठनों द्वारा मुकदमा चलाये जाने के अधिकार की इस विधेयक में व्यवस्था की जानी चाहिये।

7. विधि आयोग ने यह सिफारिश की है तथा महिलाओं के अधिकांश संगठनों ने भी इस बात पर उल्लेख किया है कि पीड़ित के पिछले यौन जीवन को साक्ष्य में नहीं बताया जाना चाहिए अथवा इससे संबंधित प्रश्नों को बलात्संग के मामले के विचारण में अभियोजक की प्रति जांच में नहीं पूछा जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में उक्त अधिनियम की धारा 146 में इस उद्देश्य की उपधारा (3) अन्तः स्थापित की जानी चाहिए। विधेयक अथवा प्रतिवेदन में की गई सामान्य सिफारिशों में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। निष्पक्ष विचारण के लिए यह आवश्यक है।

8. अन्ततः सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पूर्व महिलाओं की गिरफ्तारी और नजरबंदी के बारे में तथा बलात्संग मामलों में पीड़ित तथा अभियुक्त स्त्री की तत्काल और प्रभावी डाक्टरी जांच और महिलाओं तथा बच्चों के विरुद्ध अपराधों में जांच पड़ताल की व्यवस्था के बारे में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन का प्रश्न और विधि आयोग द्वारा उल्लेख किये गये बहुत से अन्य मामले अत्यन्त तत्कालिक हैं यदि इन मामलों को सफलता-पूर्वक किया जाना है। यह खेद की बात है कि समस्त अन्वेषणात्मक प्रक्रिया वर्तमान विधेयक की परिधि में से छोड़ दी गई है। अब कुछ जांच प्रक्रिया कार्यपालिका के आदेशों के माध्यम से पूरी किये जाने का प्रस्ताव है। हमारे विचार से यह पूरी तरह से अपर्याप्त है और इसमें प्रायः उल्लंघन हुआ है। अतः जांच पड़ताल से संबंधित विधि आयोग की सिफारिशों को इस विधेयक में ही स्थान मिला है।

नई दिल्ली ;
28 अक्तूबर, 1982

गीता मुखर्जी
सुशीला गोपालन

---

6 कार्तिक, 1904 (शक)

1. खण्ड 3, धारा 228क(1) जो कतिपय अपराधों आदि के पीड़ित की पहचान के प्रकरण से संबंधित है के संदर्भ में यह नोट दिया गया है कि उल्लिखित सजा जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है काफी सख्त है और जानबूझकर प्रेस का गला घोटना है। यह विधेयक भी सनसनीखेज प्रकटन और प्रेस द्वारा जघन्य अपराधों के विरुद्ध लगातार लगाई जा रही तीव्र फटकार का ही परिणाम है। चूंकि सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन और कमजोर और गरीबों की रक्षा आवश्यक है, इसका शामिल किया जाना विधेयक के मूल उद्देश्य के लिए हानिकारक है। किन्तु पीड़ित के हितों की रक्षा और जिस भावना के साथ इसे शामिल किया गया था, हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए केवल जुर्माना ही पर्याप्त होना चाहिए।

3. खण्ड 3 में धारा 375 के पश्चात् "अपवाद" उस व्यक्ति पर आयु की रोक लगाता है जो अपनी ही पत्नी के साथ मैथुन करता है।

चूंकि हिन्दु विवाह अधिनियम तथा अन्य विवाह कानूनों में जो पहले से विद्यमान हैं, पुरुष तथा स्त्री दोनों के लिए ही विवाह के लिए न्यूनतम आयु उपबन्धित की गई है।

इसका उपचार इसके प्रभावी और समुचित कार्यान्वयन में है। हमारे वर्तमान विवाह कानून एक एकरूप सिविल विवाह संहिता द्वारा निर्देशित होने चाहिए। इसे शामिल करना उचित नहीं है क्योंकि इससे यह पहले से ही मान लेना होगा कि वर्तमान विवाह कानूनों का मनमाने ढंग से उल्लंघन होगा और वर्तमान विवाह कानूनों का मजाक उड़ाता है। इसलिए इस अपवाद को शामिल न किया जाए।

धारा 376(2) भी इसी प्रकार की कमी से संबंधित है जो केवल हमारे वर्तमान कानूनों के उस खोखलेपन को उजागर करता है जिसे कार्यान्वित किया जाना संभव नहीं है।

नई दिल्ली ;   प्रो० किशोर चन्द्र एस० देव

29 अक्तूबर, 1982

---

7 कार्तिक, 1904 (शक)

मुझे खेद है कि मैं संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत विधेयक के कुछ खण्डों का समर्थन नहीं कर सकता हूं।

मेरी राय है कि खण्ड दो जिसके अन्तर्गत नयी धारा 228क जोड़ी गयी है, वह अनावश्यक है और अनेक मामलों में सार्वजनिक अनिष्ट का कारण भी बनेगी। इसकी विस्तृत शब्दावली के अन्तर्गत वह मामला भी आ जाता है जिसमें एक पिता ने किसी मामले की जांच में ढिलाई और भ्रष्टाचार की शिकायत की हो। मेरी राय है कि इसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाये जाने वाले नैतिक नियम पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

जहां तक खण्ड 2, उपखण्ड 2(ग) के स्पष्टीकरण तथा परन्तुक का संबंध है मैं इससे सहमत हूं क्योंकि जो उपबंध सुझाया गया है वह अव्यवहार्य है तथा उसे लागू किया जाना भी कठिन है। पूरे देश में यहां तक कि जिला स्तरों पर मान्यता प्राप्त कल्याण संस्थाएं गठित कर पाना बिल्कुल असम्भव है। मेरा ख्याल है कि देश में जब तक प्रत्येक ग्राम में संस्थाएं खोल पाना सम्भव नहीं होगा तब तक उपबंध को लागू करना सम्भव नहीं होगा। और इस कारण उपबंध का लक्ष्य उसी रूप में पूरा नहीं किया जा सकेगा।

खण्ड 3 जिसमें नयी धारा 375 शामिल की गई है, उसमें पांचवे खण्ड के विस्तृत क्षेत्र को मैं समर्थन नहीं कर पा रहा हूं। इस खण्ड से खुद लिए जाने वाले उत्तेजक पदार्थों को छोड़ दिया जाना चाहिए। आधुनिक समाज में जहां तक कि कुछ पिछड़ी जातियों में भी जहां शराब और अन्य नशीली चीजों का सेवन मुख्य रूप से किया जाता है वहां बलात्कार का अभियोग बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। गर्भ धारण कर सकने वाले मामलों में पुरुष के लिए यह समझ पाना कठिन हो जाता है कि महिला यौन समागम के स्वरूप और परिणाम को समझने योग्य है या नहीं। इसी खण्ड के छठवें भाग से भी मैं सहमत नहीं हूं। उष्ण कटिबंधीय देशों में लड़कियां जल्दी ही परिपक्व हो जाती हैं। इस्लाम धर्म में वयः सन्धि होने पर ही विवाह की अनुमति दे दी जाती है। सोलह वर्ष से कम उम्र में सभी प्रकार के समागम को अवैध घोषित करने से अन्य कई बुराइयां पैदा होंगी जिन्हें समाज में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए।

मेरे विचार से छठे भाग का अपवाद होना चाहिए और प्रस्तावित धारा 376 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। सही विधायी नीति में इस बात की भी आवश्यकता है कि विवाह की उम्र बढ़ाई जानी चाहिए। कम उम्र में विवाह की अनुमति देकर पति और पत्नी के बीच समागम को निषिद्ध करना आधुनिक स्थिति में स्पष्टतः बेतुकी बात है।

मेरे विचार में धारा 375 में दिए गए स्पष्टीकरण पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। न्यायालयों में कई बार यह सिद्ध करने की कोशिश की जाती है कि बलात्कार का अपराध सिद्ध नहीं हुआ है क्योंकि प्रवेशन जो अपराध का प्रमुख अंग है सिद्ध नहीं हो सका है। इस उपबंध का लाभ उठा कर अभियोक्त्री से कई ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि अपमानजनक होते हैं और इस अपमान से बचने के लिए वह ऐसी बातें स्वीकार कर लेती है जिसका लाभ अभियुक्त को मिलता है जिसके परिणामस्वरूप उसे दोषमुक्त करके छोड़ दिया जाता है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि वर्तमान स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए :—

"बलात्कार के इरादे से किया गया यौन अवयवों का शारीरिक सम्पर्क बलात्कार के आरोप को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है।"

मेरी राय में इस खण्ड में धारा 376(2)(क) में इस प्रकार संशोधन कर लिया जाए कि उसके अन्तर्गत यूनिफार्म में पुलिस अधिकारी उसके अधिकार क्षेत्र में अथवा उसके क्षेत्राधिकार से बाहर भी शामिल हो सके।

मेरी राय में 376(2) के स्पष्टीकरण 1 में जिसमें विधेयक के खण्ड 3 में सामूहिक बलात्कार को परिभाषित किया गया है संशोधन करने अथवा स्पष्ट करने की आवश्यकता है। ऐसे भी मामले हो सकते हैं जिनमें 5 व्यक्तियों का समूह किसी महिला पर हमला करे जिनमें से 2 यौन समागम करें तथा 3 उसके हाथ अथवा पैर पकड़ने में सहायता करें। ऐसा भी हो सकता है कि इन तीनों में कोई महिला भी हो। लेकिन धारा 375 में दी गई बलात्कार की परिभाषा के अनुसार कोई महिला बलात्कार नहीं कर सकती और इस प्रकार सामूहिक बलात्कार अपराध में सक्रिय रूप से सहायता कर रही महिला को इसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अपितु उसे अधिक से अधिक कुछ कम गम्भीर अपराध के लिए अभियुक्त ठहराया जा सकता है। यह आवश्यक है कि सामूहिक बलात्कार की परिभाषा में इस प्रकार के मामले भी शामिल किए जाने चाहिए।

मैं विधेयक के खण्ड 6 का समर्थन करने में असमर्थ हूं : इसमें प्रस्तावित भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114क के अधीन सहमति के बारे में नए रूप में अनुमान लगाया गया है। अनुमान लगाने से पूर्व जो तथ्य साबित करने होंगे उनसे न्यायालय अक्सर यह निष्कर्ष लगा सकता है कि महिला ने सहमति नहीं दी थी। न्यायालय को इस प्रकार की उपधारणा सामान्य विवेक और साक्ष्य का समझदारीपूर्वक मूल्यांकन करके करनी चाहिए। "उपधारणा करेगा" ऐसी धारणा किसी मामले विशेष के तथ्यों के लिए काफी कठोर सिद्ध हो सकती है तथा इससे सही न्याय नहीं मिल पायेगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 में दृष्टांत जोड़ कर यही परिणाम प्राप्त किया जा सकता है अर्थात् यह न्यायालय पर छोड़ दिया जाए कि जहां तथ्यों में इस की जरूरत हो वह उपधारण कर सकता है।

रत्नगिरि;
24 अक्तूबर, 1982

बापू साहिब पटवर्धन

---

2 कार्तिक, 1904 (शक)

मैं, मुख्य रूप से इस विधेयक को तैयार करने में सरकार द्वारा दिखाई गई उदासीनता पर अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए यह विमत टिप्पण दे रहा हूं।

1. मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने देश में महिलाओं के साथ बलात्कार और उनको कष्ट पहुंचाने की बढ़ती हुई घटनाओं के बारे में बहुत अच्छी तरह उल्लेख किया है जबकि उन्होंने विधान सभा में यह कहा कि उनके राज्य में औसतन "1981 में प्रत्येक आठ घंटे में एक स्त्री के साथ बलात्कार हुआ, प्रत्येक बारह घंटे में एक स्त्री ने आत्महत्या की और प्रत्येक तीन दिन में पारिवारिक कलह में एक स्त्री की हत्या की गयी।" राष्ट्रीय समाचार पत्रों में स्त्रियों के विरुद्ध बलात्कार और अपराध की जघन्य घटनाओं का प्रकाशन एक आम बात हो गई है; बागपत, अकुमाली, सिसवा और मथुरा कांड पर संसद में जोरदार बहस हुई और गृह मंत्री ने यह टिप्पणी की कि "इस प्रकार की घटनायें विश्व भर में हो रही हैं।" और यह कि "महाभारत काल से बलात्कार होता रहा है।" कभी-कभी भू-स्वामी द्वारा या कानून और व्यवस्था के रक्षक द्वारा पुलिस स्टेशन में किये गये बलात्कार की घटना पर स्थानीय स्तरों पर व्यापक आन्दोलन हुआ। किन्तु कई वर्षों से शासकीय उदासीनता, सार्वजनिक चिन्ता के अभाव और सांविधिक उपबन्धों की अपर्याप्तता के कारण अपराध दर में अत्यधिक वृद्धि हुई और बड़े तथा छोटे अपराधी राज्य में कानून का उल्लंघन करते रहे तथा इनके द्वारा विलम्ब किये जाने तथा कार्यवाही करने में तत्परता न दिखाये जाने के कारण छूट निकले। इस समिति द्वारा दिए गए ब्यौरे के अनुसार कुछ राज्यों में बलात्कार, दोषसिद्धि और दोषमुक्ति के मामलों के आंकड़े इस प्रकार हैं:—

बलात्कार के सामान्य मामले

(वर्ष 1978, 1979 तथा 1980 के लिए कुल)

राज्य	रिपोर्ट किये गये मामले	मामले, जिनमें दोष सिद्ध हुआ	मामले, जिनमें दोष मुक्ति हुई
गुजरात . .	241	47	163
हरियाणा	245	68	135
हिमाचल प्रदेश .	89	22	35
कर्नाटक .	258	30	76
केरल .	129	32	95
महाराष्ट्र	63	7	24
पंजाब	243	81	159
पश्चिम बंगाल	1516	124	734
दिल्ली . .	202	27	58

यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त आंकड़ों से वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता क्योंकि बलात्संग की बहुत घटनाओं की रिपोर्ट नहीं कराई जाती है, उन्हें दर्ज नहीं करवाया जाता है तथा उनकी कोई जांच नहीं की जाती है एवं उनका कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। तालिका से पता चलता है कि रिपोर्ट दर्ज कराये गये मामलों में भी कम प्रतिशत मामलों में दोष सिद्धि होती है।

2. तुका राम बनाम महाराष्ट्र राज्य (मथुरा कांड नामक मामला) मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण हुई काफी लोक-चर्चा तथा विरोध के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार को विधि आयोग से इस विषय का विशेष अध्ययन करने का अनुरोध करना पड़ा। विधि आयोग ने 24 अप्रैल, 1980 को अपना 84वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। गृह मंत्री महोदय ने 19 जून, 1980 को आश्वासन दिया कि बलात्संग सम्बन्धी कानून में संशोधन करने के लिए एक व्यापक विधेयक उसी सत्र में संसद् में लाया जायेगा। पता चला है कि जुलाई, 1980 में राज्य सरकारों से टिप्पणियां और सुझाव मांगे गये। परन्तु यह खेद की बात है कि संसद् में पुरःस्थापित तथा संयुक्त प्रवर समिति को सौंपे गये रूप में दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक से सभी आशाओं और केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नों के प्रयोजन पर पानी फिर गया। जल्दबाजी के कारण विधि आयोग द्वारा की गई अनेक अच्छी सिफारिशों तथा राज्य सरकारों, महिला संगठनों एवं प्रसिद्ध विधिवेत्ताओं द्वारा दिये गये मौखिक साक्ष्य पर विचार करने के बाद समिति कुछ महीने तक निष्क्रिय रही क्योंकि सरकार प्रस्तावित/स्वीकार किए जाने वाले संशोधनों के बारे में कोई निर्णय नहीं कर सकी। जब सरकारी संशोधन अन्तिम रूप से आये तो विधेयक के प्रत्येक खंड में आमूल चूल संशोधन करना पड़ा। निःसन्देह, सरकार की इस सम्बन्ध में कोई निश्चित धारणा नहीं है। इसीलिए वह इस बारे में कोई निश्चित मत नहीं बना पायी है।

3. मुझे आशंका है कि विधेयक की धारा 228क के अतिरिक्त विधेयक के खंड 2 से भविष्य में पीड़ित व्यक्ति को लाभ नहीं होगा अपितु अभियुक्तों तथा भ्रष्ट चरित्र अपराधियों को प्रभावी प्रचार और सामाजिक विरोध के कारण संरक्षण मिलेगा। यद्यपि यह वांछनीय है कि पीड़ित व्यक्ति के सम्बन्ध में अवांछनीय प्रचार न किया जाये किन्तु संशोधित खण्ड 2 के वर्तमान रूप से ऐसी किसी भी घटना के समाचार को प्रकाशित करने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लग जायेगा और इसके फलस्वरूप जनमत तैयार करने तथा सामाजिक विरोध को संगठित करने के कार्य में काफी बाधा होगी। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि यह विधेयक, स्वयं की बलात्संग के विशेष मामलों के प्रकाशित समाचारों तथा उनसे उत्पन्न जनता की मांगों के कारण प्रस्तुत किया गया है।

4. विधेयक के खंडों में सुझाये गये संशोधनों के अलावा समिति ने कुछ सामान्य सुझाव भी दिए हैं जिनमें बलात्संग से सम्बन्धित वर्तमान विधान में व्यापक परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है। उनमें से कुछ सुझाव विधि आयोग के प्रतिवेदन में दिए गये हैं। यदि सरकार ने इस समस्या और सुझावों पर अधिक ध्यान और चिन्ता प्रकट की होती तो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को आगामी विधेयक पर छोड़ने के स्थान पर एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया होता।

5. बलात्संग केवल अपराधपूर्ण हमला ही नहीं अपितु वह पीड़ित व्यक्ति के जीवन, उसकी आत्मा तथा सामाजिक प्रतिष्ठा पर आक्रमण है। बिना किसी अपराध के एक नारी को अकस्मात ही सामान्य और सुखी जीवन बिताने के उसके जन्मजात अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। उसे चुपचाप घुल-घुल कर जीवन बिताने के लिए छोड़ दिया जाता है और केवल मृत्यु ही उसे इस वेदना तथा अपयश से मुक्ति दिलवा सकती है। बलात्संग के मामलों में निवारक सजा देने के अतिरिक्त सरकार को जुल्म की शिकार महिलाओं की दशा को ध्यान में रख कर व्यापक दृष्टि अपनानी चाहिये तथा ऐसी सांविधिक और प्रशासनिक कार्यवाही करनी चाहिये जिससे उन पीड़ित महिलाओं का पुनर्वास हो सके।

6. मैं निश्चय से नहीं कह सकता हूं कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर संसद् के वर्तमान अधिवेशनों में विचार कर लिया जायेगा तथा उसे पारित कर लिया जायेगा अथवा उसे बजट सत्र अथवा वर्षाकालीन सत्र तक के लिए स्थगित रख लिया जाएगा। मैं अनुभव करता हूं कि इस विधान के महत्व और तात्कालिकता को

ध्यान में रखकर सरकार को वर्तमान सत्र में ही समय निकाल कर इसे पारित करना चाहिये। तथापि, हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि बलात्संग से पीड़ित एक महिला का जीवन यातना और लांछन से परिपूर्ण होता है और वह सदैव दुखी जीवन यापन करती है । उसके जीवन में कभी सुख की बौछारें नहीं आतीं। उसकी आंखों में सदैव आंसुओं की बरसात बरसती रहती है । उसके सामने दुखों के लम्बे अतीतकाल और सूने भविष्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है।

नई दिल्ली;
29 अक्तूबर, 1982

इरा सेझियान

---

7 कार्तिक, 1904 (शक)

दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 1980

(संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में)

[समिति के संशोधन संबंधी सुझावों को दर्शाने के लिए संबंधित शब्दों के पार्श्व में या नीचे रेखांकन किया गया है और लोप संबंधी सुझावों को दर्शाने के लिए संबंधित शब्दों के स्थान पर तारांकन किया गया है]

भारतीय दण्ड संहिता, 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता,
1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम,
1872 का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 1982 है। — संक्षिप्त नाम

1860 का 45 — 2. भारतीय दण्ड संहिता (जिसे इसमें इसके पश्चात दण्ड संहिता कहा गया है) की धारा 228 के पश्चात निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— — नई धारा 228क का अन्तःस्थापन।

'228क. (1) जो कोई किसी नाम या अन्य बात को, जिससे किसी ऐसे व्यक्ति की (जिसे इस धारा में इसके पश्चात पीड़ित व्यक्ति — कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित।

व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण ।

कहा गया है) पहचान हो सकती है, जिसके विरुद्ध***धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग या धारा 376घ के अधीन किसी अपराध का किया जाना अभिकथित है या किया गया पाया गया है, मुद्रित या प्रकाशित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि***दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा;

(2) उपधारा (1) की किसी भी बात का विस्तार किसी नाम या अन्य बात के ऐसे मुद्रण या प्रकाशन पर, यदि उससे पीड़ित व्यक्ति की पहचान हो सकती है, तब लागू नहीं होता है जब ऐसा मुद्रण या प्रकाशन—

(क) पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा या उसके लिखित आदेश के अधीन अथवा ऐसे अपराध का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा, जो ऐसे अन्वेषण के प्रयोजनों के लिये सद्भावपूर्वक कार्य करता है, या उसके लिखित आदेश के अधीन किया जाता है ; या

(ख) पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से किया जाता है ; या

(ग) जहां पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है अथवा वह अवयस्क या विकृत चित्त है वहां, पीड़ित व्यक्ति के निकट सम्बन्धी द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से, किया जाता है :

परन्तु निकट सम्बन्धी द्वारा कोई भी ऐसा प्राधिकार किसी मान्यता-प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन के अध्यक्ष या सचिव से चाहे उसका जो भी नाम हो, भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "मान्यता-प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन" से केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त समाज कल्याण संस्था या संगठन अभिप्रेत है ।

(3) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अपराध की बाबत किसी न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के संबंध में, उस न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई बात मुद्रित या प्रकाशित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

स्पष्टीकरण—किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णय का मुद्रण या प्रकाशन इस धारा के अर्थ में कोई अपराध नहीं है ।' ।

धारा 375 और 376 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन ।

3. दण्ड संहिता में धारा 375 के ठीक पूर्व आने वाले शीर्षक "बलात्संग के विषय में" के स्थान पर तथा धारा 375 और 376 के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक और धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

'यौन अपराध

बलात्संग ।

375. जो पुरुष एतस्मिनपश्चात् अपवादित दशा के सिवाय किसी स्त्री के साथ निम्नलिखित छह भांति की परिस्थितियों में से किसी परिस्थिति में मैथुन करता है वह पुरुष "बलात्संग" करता है, यह कहा जाता है :—

पहला : उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध ।

दूसरा : उस स्त्री की***सम्मति के बिना ।

तीसरा : उस स्त्री की सम्मति से जबकि उसकी सम्मति, उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डाल कर अभिप्राप्त की गई है ।

चौथा : उस स्त्री की सम्मति से जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है और उस स्त्री ने सम्मति इसलिये दी है कि वह विश्वास करती है कि वह ऐसा पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है ।

* * * *

पांचवां : उस स्त्री की सम्मति से जब ऐसी सम्मति देने के समय वह विकृत चित्त या मत्तता या किसी संज्ञा शून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ उसके द्वारा व्यक्तिशत रूप में या किसी अन्य व्यक्ति के मध्यम से दिए जाने के कारण उस बात की, जिसके बारे में वह सम्मति देती है, प्रकृति और परिणामों को समझाने में असमर्थ है*** ।

छठा : उस स्त्री की सम्मति से या बिना सम्मति के जब कि वह सोलह वर्ष से कम आयु की है ।

स्पष्टीकरण—बलात्संग के अपराध के लिए आवश्यक मैथुन गठित करने के लिए प्रवेशन पर्याप्त है ।

* * * *

अपवाद —पुरुष का अपनी पत्नी के साथ मैथुन बलात्संग नहीं है जब कि पत्नी पन्द्रह वर्ष से कम आयु की नहीं है ।

बलात्संग के लिए दंड ।

376. (1) जो कोई, उपधारा (2) द्वारा उपबन्धित मामलों के सिवाय, बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन या दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, सिवाय तब के जब कि वह स्त्री, जिसके साथ बलात्संग किया गया है, उसकी अपनी पत्नी है और बारह वर्ष से कम आयु की नहीं है, और ऐसे मामले में वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा ;

परन्तु न्यायालय पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे, सात वर्ष से कम अवधि के कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा ।

2. जो, कोई—

(क) पुलिस अधिकारी होते हुए—

(i) उस पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर, जिसमें वह नियुक्त है, बलात्संग करेगा ; या

(ii) किसी भी थाने के परिसर में चाहे वह ऐसे पुलिस थाने में, जिसमें वह नियुक्त है, स्थित है या नहीं, बलात्संग करेगा; या

(iii) अपनी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ, बलात्संग करेगा, या

(ङ) लोक सेवक होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठा कर, किसी ऐसी स्त्री के साथ जो ऐसे लोक सेवक के रूप में उसकी अभिरक्षा में या उसके अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में है, बलात्संग करेगा ; या

(च) किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित अभिरक्षा के अन्य स्थान के या, स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबन्ध, या कर्मचारीवृन्द में होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर उस संस्था के किसी निवासी के साथ बलात्संग करेगा ; या

(घ) किसी अस्पताल के प्रबन्धक या कर्मचारीवृन्द में होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाएगा और उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ बलात्संग करेगा ; या

(ङ) किसी स्त्री के साथ यह जानते हुए कि वह गर्भवती है, बलात्संग करेगा ; या

(च) किसी स्त्री के साथ, जो बारह वर्ष से कम आयु की है, बलात्संग करेगा ; या

(छ) सामूहिक बलात्संग करेगा,

वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में उल्लिखित किये जायेंगे, दोनों में से किसी भांति के कारावास का, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की हो सकेगी, दण्डनीय अधिरोपित कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण 1—जहां किसी स्त्री के साथ बलात्संग व्यक्तियों के समूह में से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा, अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिये किया जाता है, वहां प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जायेगा कि उस ने इस उपधारा के अर्थ में सामूहिक बलात्संग किया है ।

* * * * *

स्पष्टीकरण 2—"स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था" से ऐसी कोई संस्था अभिप्रेत है जिसका नाम चाहे अनाथालय हो या उपेक्षित स्त्रियों या बालकों के लिये गृह हो या विधवाओं के लिये गृह या कोई भी अन्य नाम हो, जो स्त्रियों और बालकों को ग्रहण करने और उनकी देखभाल करने के लिये स्थापित या अनुरक्षित है ।

स्पष्टीकरण 3—"अस्पताल" से अस्पताल का अहाता अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत ऐसी किसी संस्था का अहाता है जो उपधाय (अरोग्य स्थापन) के दौरान व्यक्तियों को या चिकित्सीय ध्यान या पुनर्वास की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों को प्रविष्ट करने और उनका उपचार करने के लिये है ।

पृथक कर दिये जाने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग ।

376क. जो कोई अपनी पत्नी के साथ, जो पृथक्करण की किसी डिक्री के अधीन या किसी प्रथा अथवा रूढ़ि के अधीन, उससे पृथक रह रही है, उसकी सम्मति के बिना उसके साथ मैथुन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में की किसी स्त्री के साथ संभोग ।

376ख. जो कोई, लोक सेवक होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर किसी स्त्री को जो ऐसे लोक सेवक के रूप में उसकी अधिरक्षा में है, या उसके अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में है, ऐसा मैथुन करने के लिये उत्प्रेरित या विलुब्ध करेगा, जो बलात्संग की अपराध की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

जेल, प्रतिप्रेषण-गृह आदि के अधीक्षक द्वारा संभोग ।

376ग. जो कोई किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के ऐसे अन्य स्थान का जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया है या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था का अधीक्षक या प्रबन्धक होते हुए * * * अपनी शासकीय स्थिति का * * * लाभ उठा कर जेल, प्रतिप्रेषणगृह, स्थान या संस्था की किसी स्त्री निवासी की, ऐसे मैथुन करने के लिये जो बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, उत्प्रेरित या विलुब्ध करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण 1.—किसी जेल, प्रतिप्रेषणगृह या अभिरक्षा के किसी अन्य स्थान या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के सम्बन्ध में "अधीक्षक" के अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो ऐसी संस्था में कोई ऐसा पद धारण करता है, जिसके आधार पर वह उसके निवासियों पर किसी प्राधिकार या नियंत्रण का प्रयोग कर सकता है ।

स्पष्टीकरण 2—स्त्रियों या बालकों की किसी "संस्था" पद का वही अर्थ है जो धारा 376 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण 2 में उसका है ।

* * * *

अस्पताल के प्रबन्ध या कर्मचारिवृन्द आदि के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग ।

376घ. जो कोई, किसी अस्पताल के प्रबन्ध में होते हुए या किसी अस्पताल के कर्मचारी वृन्द में होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठायेगा और किसी स्त्री के साथ, जो उस अस्पताल में है * * * ऐसा मैथुन करेगा जो बलात्संग की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

स्पष्टीकरण—"अस्पताल" पद का वही अर्थ है जो धारा 376 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण –3 में उसका है ।' ।

धारा 327 का संशोधन ।

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इस में इसके पश्चात् दण्ड प्रक्रिया संहिता कहा गया है) में धारा 327 को उस धारा की उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार संख्यांकित उपधारा के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :— 1974 का 2

"(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग या धारा 376घ, के अधीन बलात्संग या किसी अपराध की जांच या उसका विचारण बन्द कमरे में किया जायेगा : 1860 का 45

परन्तु पीठासीन न्यायाधीश, यदि वह उचित समझता है तो, या दोनों में से किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किये जाने पर, किसी विशिष्ट व्यक्ति को, न्यायालय द्वारा उपयोग किये गये कक्ष का या भवन तक पहुंचने या उसमें होने या उसमें बने रहने की अनुज्ञा देसकता है ।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन कोई कार्यवाही की जाती है वहां ऐसे किसी व्यक्ति के लिये किसी ऐसी कार्यवाही से संबंधित किसी बात को न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना, मुद्रित या प्रकाशित करना विधिपूर्ण नहीं होगा ।" ।

* * * *

प्रथम अनुसूची का संशोधन ।

5. दण्ड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में, "1—भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध" शीर्ष के नीचे,—

(क) धारा 228 से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6
"228क.	कतिपय अपराध आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण ।	दो वर्ष के लिये कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
	न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी कार्यवाही का *** मुद्रण या प्रकाशन ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त ।";

(ब) धारा 376 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी , अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6
"376.	बलात्संग	आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिये कारावास और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
	किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग जिसकी आयु बारह वर्ष से कम नहीं है ।	दो वर्ष के लिये कारावास या जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	यथोक्त
376क.	पृथक कर दिये जाने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग ।	दो वर्ष के लिये कारावास और जुर्माना	असंज्ञेय	जमानतीय	यथोक्त
376ख.	लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में की किसी स्त्री के साथ संभोग ।	पांच वर्ष के लिये कारावास और जुर्माना	संज्ञेय (किन्तु किसी वारन्ट या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना कोई गिरफ्तार नहीं किया जायेगा)	यथोक्त	यथोक्त
376ग.	जेल, प्रतिप्रेषणगृह आदि के अधीक्षक द्वारा संभोग ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
376घ.	किसी अस्पताल के प्रबन्धक आदि द्वारा किसी स्त्री के साथ जो उस अस्पताल में है, संभोग ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त ।" ।

1872 के अधिनियम सं० 1 में नई धारा 114क का अन्तःस्थापन ।

6. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

बलात्संग के लिए कुछ अभियोजनों में सम्मति न होने की उपधारणा ।

"114क. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 की उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) या खण्ड (छ) के अधीन बलात्संग के लिये किसी अभियोजन में, जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन साबित हो जाना है और प्रश्न यह है कि क्या वह उस स्त्री की सम्मति के बिना किया गया है जिसके साथ बलात्संग किया जाना अभिकथित है और वह स्त्री, न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में यह कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, वहां न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी ।" । 1860 का 45

परिशिष्ट एक

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 2)

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए लोक सभा में प्रस्ताव

"कि भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें 35 सदस्य हों, इस सभा से 22 अर्थात् :—

(1) श्री के० अप्पुनन

(2) श्री रासबिहारी बेहरा

(3) श्रीमती गुरचिन्दर कौर ब्रार

(4) श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी

(5) श्रीमती सुशीला गोपालन

(6) श्रीमती गीता मुखर्जी

(7) श्रीमती मोहसिना किदवई

(8) श्रीमती माधुरी सिंह

(9) श्री आर० के० महालगी

(10) श्री डी० के० नायकर

(11) श्री के० एस० नारायण

(12) श्री राम प्यारे पनिका

(13) श्री बाबू साहिब प रुलेकर

(14) श्री अमृत पटेल

(15) श्री काजी सलीम

(16) प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत

(17) श्री सिंगारवाडीवल

(18) श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव

(19) श्री त्रिलोक चन्द

(20) श्री पी० वेंकटसुब्बया

(21) श्री वी० एस० विजयराघवन

(22) श्री आर० एस० स्पैरो

और राज्य सभा के 11 सदस्य,

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी ;

कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंत तक अपना प्रतिवेदन सभा को देय करेगी ;

कि अन्य मामलों में, इस सभा के संसदीय समितियों संबंधी प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करें ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 11 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

परिशिष्ट दो

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 3)

राज्य सभा में प्रस्ताव

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक से संबंधित दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा यह संकल्प करती है कि राज्य सभा निम्नलिखित 11 सदस्य उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए नामनिर्देशित किये जायें :—

(1) श्री धुलेश्वर मीणा

(2) श्री बी० इब्राहीम

(3) श्री सुरेन्द्र महन्ती

(4) श्री लियोनार्ड सोलोमन सारिंग

(5) श्री रामचन्द्र भारद्वाज

(6) श्री ईरा सेजियान

(7) श्री एस० डब्ल्यू० धाबे

(8) श्री लाल कृष्ण आडवाणी

(9) श्री अमर प्रसाद चक्रवर्ती

(10) श्री हुक्म देव नारायण यादव

(11) श्री वी० पी० मुन्नुसामी"

परिशिष्ट तीन

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 9)

उन संस्थाओं/संगठनों, व्यक्तियों आदि की सूची जिनसे समिति को ज्ञापन/अभ्यावेदन प्राप्त हुए।

(एक) ज्ञापन

ज्ञापन संख्या	नाम
1	कुमारी राधा कुमार, स्त्री संघर्ष, 21 गोल्फ लिंक्स्, नई दिल्ली।
2	श्रीमती सुभद्राबुटालिया, अध्यक्ष, कार्मिका, बी–26 गुलमोहर पार्क, नयी दिल्ली।
3	श्री हरगोविन्द डबराल, संयुक्त सचिव, गृह (पुलिस), विभाग–9 लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
4	श्री एस० एम० जैड० यूसुफैन, डिटैक्टिव गंगावती, जिला रायचूर, कर्नाटक।
5	श्रीमती जी० सीता कामराज, अध्यक्ष, भारत महिला मंडली, विजयवाड़ा–2।
6	श्री के० एन० शेट्टी, सी–26, विशालाक्षी थोट्टम, सुब्रह्मण्य रोड, मयिलापुर, मद्रास–600004।
7	कुमारी बी० बागा, इंडियन कौंसिल आफ फैमिली एंड सोशल वेलफेयर, 34, शहीद भगत सिंह मार्ग, नयी दिल्ली।
8	श्रीमती एन० नागपाल, सचिव, द ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एल–17, ग्रीन पार्क, नमी दिल्ली।
9	श्री जया अरुणाचलम, सदस्य, शासी निकाय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, प्रेसीडेंट वर्किंग वूमैनस फोरम, 55 भीमसेन गार्डन रोड, मयिलापुर, मद्रास।
10	श्रीमती सावित्री निगम, संस्थापक अध्यक्ष, इंडियन हाऊस वाइवस फेडेरेशन, बी–1, आनन्द निकेतन, नयी दिल्ली।
11	श्री वाई० आर० जगदीश, एडवोकेट, नं० 18 कुब्बरासंथा बिल्डिंग, 2 मेन गांधी-नगर बंगलौर।
12	श्री एस० के० आचार्य, एडवोकेट, जनरल पश्चिम बंगाल, उच्च न्यायालय, कलकत्ता।
13	न्यायिक सचिव, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन, मुख्य आयुक्त का सचिवालय, पोर्ट ब्लेयर।
14	वित्त आयुक्त तथा सचिव हरियाणा सरकार, न्याय विभाग प्रशासन, चंडीगढ़।
15	श्री आर० के० मानीसना सिंह, महाधिवक्ता, मणिपुर सरकार, इम्फाल।
16	श्री लालनारायण सिन्हा, भारत के महाधिवक्ता।
17	श्रीमती एन० गायत्री देवी, वर्किंग वूमैन्स कोऑर्डिनेशन कमेटी तथा अन्य, बंगलौर।
18	श्री विद्या मेहता, जनरल सेक्रेट्री, ज्योति संघ, श्री श्रीकोरोबेन, अपलवाल महिला भवन, रिलीफ रोड, अहमदाबाद।
19	श्री यू० डी० गौड़, महाधिवक्ता, हरियाणा।
20	श्री देवारक्कल, कावनरवारी, पी० ओ० बावनिरी, भूमवर्मा (कर्नाटक)।

ज्ञापन संख्या	नाम
21	श्री डी० पी० कुण्डु, महाधिवक्ता, त्रिपुरा।
22	श्री भगवान सिंह, पी० ओ० एवं अन्य विदृदा, सिवनी, मध्यप्रदेश ।
23	श्री रासाने, रघुनाथ नगर, (जिला औरंगाबाद) महाराष्ट्र ।
24	श्री बी० शिवयोगी, बेलुली शिवयोगी, केन्वेंसिंग एजेंट काइपेट, दावनगेरे, कर्नाटक।
25	श्री एस० बी० बाग्रमरे, म्यूनिसिपल कारपोरेशन कालोनी, 1/20–ए भवानी पेठ, पूना ।
26	श्री सुदेश वैद्य, सचिव, पीपुल्स यूनियन फार डेमोक्रेटिक राइट्स, 213, जोरबाग, नयी दिल्ली ।
27	के० इन्द्राणी डोर नं० 65/95 फोर्ट, कुरनूल (पोस्ट) आंध्रप्रदेश ।
28	श्री जे० पी० आतरे, जनरल, सोसाइटी टू एन्श्योर ट्रीटमेंट आफ वूमैन (स्टेपैटो), हाऊस नं० 79, सैक्टर 7–ए चंडीगढ़ ।
29	श्री ए० एस० किस्ती, सोशल वर्कर, फैंड्स सोसायटी, 39-रेलवे लाइन्स, शोलापुर
30	मंजुला दावे, अवैतनिक सचिव, श्री कस्तूरबा स्त्रीविकासगढ़, कस्तूरबा गांधी मार्ग, जामनगर (गुजरात) ।
31	डा० रूपा कुलकर्णी , संयोजक, संस्कृत के प्राध्यापक, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग विभाग, नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर ।
32	चौधरी निमई सिंह, अवर सचिव (विधि) मनीपुर सरकार।
33	श्रीमती एच० पी० मिस्तरी, संसद सदस्य, राज्य सभा ।
34	आल इंडिया स्माल एंड मिडियम न्यूजपेपर्स फेडरेशन, रामबाग, कानपुर ।
35	पांडिचेरी सरकार ।
36	लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ।
37	श्री एस० आर० नारायण अय्यर, एडवोकेट, देवीनिलय्यम, कुमुर ।
38	दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ।
39	जनरल सेक्रेट्री, सैंट्रल इन्फोरमेशन सर्विस एसोसिएशन, पी० टी० आई० बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नयी दिल्ली ।
40	श्रीमती पदमा मोहन राज, बंगलौर ।
41	डायरेक्टर, मित्रनिकेतन, वैलांड, पी० ओ० जिला त्रिवेन्द्रम (केरल) ।
42	प्रेसीडेंड यूनिवर्सिटी, वूमैन एसोसिएशन आफ बंगलौर 43, फोर्थ मैन सम्पगिरि-नगर, बंगलौर ।
43	आनरेरी सैक्रेट्री, श्रद्धानंद महिला आश्रम, श्रद्धानंद रोड, किंग सर्किल मांटुगा, बंबई।
44	चेयरमैन, प्रेस फ्रीडम कमेटी आफ दि इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसायटी, रफ़ी मार्ग, नयी दिल्ली ।
45	श्रीमती सुनन्दा भंडारे, एडवोकेट, चैयरमैन, लीगल एड कमेटी, गिल्ड आफ सर्विस, 84, लायर्स चैम्बर, सुप्रीम कोर्ट, एवं अन्य नयी दिल्ली ।
46	श्रीमती कुमुद एम० रामनेकर, विधान परिषद सदस्य "आदर्श" सारकुंजा, औरंगाबाद ।

ज्ञापन संख्या	नाम
47	श्रीमती रेणुका रे, प्रेसीडेंट, वूमैन्स कोंडिनेटिंग कौंसिल, 5/1, रैड क्रास पुलिस प्लेस, कलकत्ता ।
48	गोआ, दमन और दीव सरकार ।
49	श्रीमती रोड़ा मिस्तरी, प्रेसीडेंट, इंडियन कौंसिल आफ सोशल वेलफेयर, 175, दादाभाई नारोजी रोड़, बम्बई ।
50	सिक्किम सरकार, गंगतोक ।
51	श्री आर० कृष्णामूर्ति, एडवोकेट-जनरल, तमिलनाडु हाई कोर्ट बिल्डिंग, मद्रास ।
52	श्री वी० डी० जोगलेकर, एडवोकेट, पूना बार एसोसिएशन, 229, सदाशिव पेठ पूना, 30 ।
53	डेमोक्रेटिक वूमैनस एसोसिएशन, तमिलनाडु, 16, श्रीनगर स्ट्रीट, मद्रास तथा अन्य ।
54	जिला बार एसोसिएशन, सिरसा ।
55	पश्चिम बंगाल, सरकार, कलकत्ता ।
56	कोआपरेटिव बार एसोसिएशन, अहमदाबाद ।
57	गुजरात सरकार, गांधीनगर, गुजरात ।
58	जिला बार एसोसिएशन, सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश) ।
59	नेशनल फैडरेशन आफ इंडियन वूमैन, 16 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नयी दिल्ली ।
60	इंडियन फैडरेशन आफ यूनिवर्सिटी, वूमैन एसोसिएशन, कलकत्ता ।
61	सतारा जिला बार एसोसिएशन, सतारा ।
62	हिन्द कुष्ठ निवारण संघ, 1, रैड क्रास रोड, नयी दिल्ली ।
63.	थियोसिफिकल सोसाइटी, 26, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली ।
64.	उत्तर विभाग स्त्री संस्था संयुक्त समिति, दादर, बम्बई ।
65.	श्री एम० एस० फिरंगी, एडवोकेट, हुबली रोड, धारवार (कर्नाटक)
66.	आल इंडिया क्राइम प्रिवेन्शन सोसाइटी, कल्पी रोड, कानपुर ।
67.	त्रिपुरा राज्य नारी समिति , 37/2 ठाकुर पालो रोड, कृष्णानगर, अगरतला ।
68.	चण्डीगढ़ प्रशासन, चण्डीगढ़ ।

ज्ञापन संख्या	नाम
69.	बार एसोसिएशन, सीतापुर (यू० पी०)
70.	नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन वूमैन, (वेस्ट बंगाल कमेटी), 11-बी सन्नी पार्क, कलकत्ता ।
71.	पंजाब सरकार, चण्डीगढ़ ।
72.	डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, दुमका (बिहार)
73.	पश्चिम बंगाल महिला समिति, 188/2 गंगुली स्ट्रीट, कलकत्ता ।
74.	अध्यक्ष, सर्वदेशलोक यवतमाल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, यवतमाल (महाराष्ट्र) ।
75.	बार एसोसिएशन, चितौड़गढ़, राजस्थान ।
76.	सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानन्द भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली ।
77.	श्री जी० एस० निहलानी, एडवोकेट, जंगीराबाद, भोपाल ।
78.	बार एसोसिएशन, उदयपुर, राजस्थान ।
79.	श्रीमती मंगलम, समपथ, तमिलनाडु, वूमैन्स फेडरेशन, 8 वां क्रास रोड, मद्रास ।
80.	लोक सेवक संघ, लाजपत भवन, नई दिल्ली ।
81.	नागालैंड सरकार, कोहिमा ।
82.	जिला बार एसोसिएशन, पटना ।

ज्ञापन संख्या	नाम
83.	नेल्लोर बार एसोसिएशन, नेल्लौर ।
84.	धार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, धार (एम० पी)
85.	श्री नहर सिंह, निजी सहायक तकनीकी विकास महानिदेशालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली ।
86.	श्री यू० एन० पण्डित, पुरानी बाडकी, विसनगर, जिला मेहसाना, (गुजरात)
87.	सैन्टर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन, 6 तालकटोरा रोड, नई दिल्ली ।
88.	ईश्वरी प्रसाद, दत्ता एण्ड रे ओरथोपैटिक सेन्टर (आंध्र महिला सभा), मद्रास ।
89.	डा० वसुधा, धागम्बर, हीरापुर, धनबाद (बिहार)
90.	प्रेस काउंसिल आफ इण्डिया, फरीदकोट हाउस, नई दिल्ली ।
91.	श्री वी० पी० मुत्तुसामी, एम० पी०,
92.	मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल ।
93.	इण्डियन सोसाइटी फार दि रिहैबिलिटेशन आफ दी हैण्डीकैप्ड, बम्बई ।
94.	भारतीय ग्रामीण महिला संघ, नई दिल्ली ।
95.	कर्नाटक सरकार, बंगलौर ।
96.	श्रीमती रानी, मैना राम कुमार भार्गव, लखनऊ ।
97.	केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम ।
98.	तमिलनाडु सरकार, मद्रास।

ज्ञापन संख्या	नाम

99. हैदराबाद वूमैन्स इंडस्ट्रियल को-ग्रोपरेटिव सोसायटी, हैदराबाद ।
100. आंध्र प्रदेश महिला फैडरेशन, हैदराबाद ।
101. आल इंडिया एसोसिएशन आफ डेमोक्रेटिक लायर्स, हैदराबाद ।
102. डा० (कुमारी) एक्स शेमा थाटे, चिपलून, जिला रत्नगिरि ।
103. "आग्नेस बिलो" इंस्टीट्यूट एंड डिस्वेल्ड होम, बंगलौर ।
104. भारतीय जनता पार्टी, दादर, बंबई ।
105. श्रीमती जयश्री एवं अन्य स्त्री जागृति, सेंट जोसफ नगर, जोपू मंगलौर ।
106. श्री के० ई० रूस्तमजी, बी: 2/2 सफदरजंग एनक्लेव, नयी दिल्ली ।
107. श्रीमती अनुसूया जैसवाल, चैयरमैन, स्टेट सोशल वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड, पटना ।
108. श्रीमती मनोरमा बावा, सदस्य, स्टेट सोशल वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड एंड सेक्रेटरी, महिला इमदाद कमेटी, पटना ।
109. श्रीमती सरस्वती प्रधान, भूतपूर्व संसद् सदस्य, पी०ओ० जिला बारगढ़, स्मालाल-पुर, उड़ीसा ।
110. श्रीमती मुकुल शा, वाइस प्रेसीडेंट, बिहार राज्य समाज कल्याण सलाहकार, पटना ।
111. श्री कृपाल सिंह, विधि विभाग के प्रधान, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर ।
112. श्रीमती उमा सिंहा, प्रेसीडेंट, अखिल भारतीय महिला परिषद्, पटना ।
113. श्रीमती श्यामला, पप्पू, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली ।
114. श्री उपेन्द्र बक्शी, एवं अन्य ला फैकलिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली ।
115. (एक) आल इंडिया वूमैनस कान्फ्रेंस एवं अन्य, कलकत्ता ।
116. निदेशक, नेशनल पुलिस एकादमी, हैदराबाद ।
117. श्रीमती अरुणा आसफ अली एवं अन्य, नयी दिल्ली ।
118. महाराष्ट्र सरकार, बम्बई ।
119. दिल्ली लीगल ऐण्ड और एडवाइस बोर्ड, 1, पटियाला हाउस, नयी दिल्ली ।
120. जस्टिस एस० एम० एन० रैना, (रिटायर्ड) 1625 नेपियर टाउन, जबलपुर (संसद् सदस्य) ।

(दो) अभ्यावेदन

1. श्रीमती इंदिरा जयसिंह, लायर्स कोलेकटिव, 8वीं मंजिल, स्टाक एक्सचेंज टावर, बम्बई।
2. श्री श्याम सिंह, फैकल्टी आफ ला, प्रवक्ता, यूनिवर्सिटी आफ जम्मू एंड कश्मीर ।
3. श्रीमती डी० विजया, संयोजक, समाता, मैसूर ।

परिशिष्ट चार

दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 संबंधी संयुक्त समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश

पहली बैठक

3-2-1981

समिति की बैठक, मंगलवार, 3 फरवरी, 1981 को 15.00 बजे से 16.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री डी० के० नायकर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी
3. श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव
4. श्रीमती सुशीला गोपालन
5. श्रीमती मोहसिना किदवई
6. श्री आर० के० म्हालगी
7. श्रीमती गीता मुखर्जी
8. श्री के० एम० नारायण
9. श्री राम प्यारे पनिका
10. श्री अमृत पटेल
11. श्री काजी सलीम
12. श्री ए० सिंगारावाडीवेल
13. श्री आर० एस० स्पैरो
14. श्री त्रिलोक चन्द
15. श्री वी० एस० विजयराघवन
16. श्री पी० वेंकटसुब्बैया

राज्य सभा

17. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
18. श्री रामचन्द्र भारद्वाज
19. श्री अमर प्रसाद चक्रवर्ती
20. श्री श्रीधर वासुदेव धाबे
21. श्री बी० इब्राहीम
22. श्री धूलेश्वर मीणा
23. श्री वी० पी० मुनुसामी
24. श्री लेनार्ड सोलोमन सारिंग

सचिवालय

श्री ज्ञान चन्द – अवर सचिव

श्री सत्यदेव कोड़ा – वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

विधायी परामर्शदाता

श्रीमती वी० एस० रमा देवी ––संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता

डा० रघुवीर सिंह ––सहायक विधायी परामर्शदाता

2. प्रारम्भ में सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया तथा समिति के समक्ष प्रस्तावित विधायी कार्य के महत्व तथा अविलम्बनीयता का उल्लेख किया। सभापति ने सदस्यों को विधेयक संबंधी दस्तावेजों के परिचालन की जानकारी दी।

3. तत्पश्चात् समिति ने अपने भावी कार्यक्रम पर विचार किया।

4. समिति ने विधेयक की विषय सामग्री में रुचि रखने वाली राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, सार्वजनिक निकायों, महिलाओं तथा स्वैच्छिक सामाजिक संगठनों, बार एसोसिएशनों, परिषदों, प्रेस संगठनों, व्यक्तियों आदि से विधेयक संबंधी ज्ञापन अपने विचारार्थ 18 फरवरी, 1981 तक आमंत्रित करने का निर्णय किया।

5. समिति ने यह भी निर्णय लिया कि समस्त राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के मुख्य सचिवों, बार एसोसिएशनों परिषदों, प्रेस संगठनों तथा महिलाओं और स्वैच्छिक सामाजिक संगठनों, (गृह मंत्रालय द्वारा सूची सप्लाई की जायेगी) सभी राज्यों के महान्यायवादी तथा महाधिवक्ताओं को विधेयक के उपबन्धों के संबंध में उनकी टिप्पणियों/सुझावों को 18 फरवरी, 1981 तक आमंत्रित करने के लिये एक परिपत्र जारी किया जाये।

6. समिति ने यह निर्णय लिया कि इस मामले में रुचि रखने वाले पक्षों का मौखिक साक्ष्य लिया जाये तथा समिति ने इस प्रयोजन हेतु पक्षों का चयन करने के लिये सभापति को प्राधिकृत किया।

सभापति ने सदस्यों से यह भी अनुरोध किया कि वे उन संगठनों/व्यक्तियों आदि के नामों का सुझाव दें, जिन्हें समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने हेतु आमंत्रित किया जा सके।

7. तत्पश्चात् समिति ने विधेयक संबंधी ज्ञापन आमंत्रित करने के लिये एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का निर्णय लिया तथा इस मामले में रुचि रखने वाले पक्षों से अनुबन्ध के अनुसार मौखिक साक्ष्य देने का अनुरोध किया समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि प्रेस विज्ञप्ति की विषय वस्तु का व्यापक प्रचार किया जाये तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन के समस्त केन्द्रों से इनका प्रसारण/टेलीकास्ट किया जाये।

8. समिति ने इच्छा व्यक्त की कि समिति द्वारा प्राप्त किये जाने वाले ज्ञापन को गृह मंत्रालय सारणीबद्ध करे तथा उसमें उठाये गये विभिन्न मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे ताकि समिति उन पर विचार कर सके।

9. समिति ने यह महसूस किया कि समिति के पास उपलब्ध कम समय तथा प्रस्तावित विधान के महत्व तथा जटिलताओं को देखते हुए विधेयक के विभिन्न चरणों को पूरा करना और अपने प्रतिवेदन को निर्धारित तिथि अर्थात 20 फरवरी, 1981 तक प्रस्तुत करना संभव नहीं होगा। अतएव समिति ने यह निर्णय किया कि वह अपने प्रतिवेदन को छठे सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाने की मांग करे।

समिति ने इस संबंध में सभापति तथा उनकी अनुपस्थिति में श्री आर० के० महालगी, संसद सदस्य, को सभा में आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किया।

10. समिति ने सभापति को समिति की अगली बैठक की तिथि तथा समय निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत किया।

11. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

अनुबन्ध

लोक सभा सचिवालय

प्रेस विज्ञप्ति

संसद के दोनों सदनों की दंडविधि (संशोधन) विधेयक, 1980 संबंधी संयुक्त समिति ने संसद सदस्य श्री डी॰ के॰ नायक की अध्यक्षता में 3 फरवरी, 1981 को हुई अपनी पहली बैठक में यह निर्णय लिया कि विधेयक की विषय सामग्री तथा इसके उपबंधों के संबंध में समिति के विचारार्थ ज्ञापन प्रस्तुत करने को इच्छुक राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, सरकारी निकायों, महिलाओं तथा स्वैच्छिक सामाजिक संगठनों, बार एसोसिएशनों/परिषदों, प्रेस संगठनों तथा व्यक्तियों को ज्ञापन की कम से कम पांच प्रतियां 18 फरवरी, 1981 तक या इससे पहले सचिव, लोक सभा, संसदीय सौध, नई दिल्ली के पास भेजनी चाहिये। विधेयक में भारतीय दंड संहिता, 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में मुख्यतया बलात्कार के अपराध के संबंध में और संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है तथा अन्य बातों के साथ-साथ इसमें बलात्कार की व्यापक परिभाषा इस अपराध से निपटने के लिये और सख्त उपायों तथा अपराधी को कम से कम सजा देने की व्यवस्था की गई है।

समिति को प्रस्तुत किया जाने वाला ज्ञापन समिति के रिकार्ड एक अंग होगा तथा इसे अत्यन्त गोपनीय समझा जाना चाहिये और इसे किसी व्यक्ति को परिचालित नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि इससे समिति के विशेषाधिकार का हनन होता है।

जो व्यक्ति ज्ञापन देने के अतिरिक्त समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने के इच्छुक हैं, उनसे अनुरोध है कि वे इसकी सूचना लोक सभा सचिवालय को उपर्युक्त तिथि से पहले भेज दें ताकि समिति उस पर विचार कर सके।

दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 जिस रूप में लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था, उसी रूप में 12 अगस्त, 1980 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड दो में प्रकाशित किया गया था।

नई दिल्ली ;

4 फरवरी, 1981

---

15 माघ, 1902 (शक)

संख्या 6/4/1/80/सी-दो

4 फरवरी, 1981

---

15 माघ, 1902 (शक)

प्रति सूचनार्थ प्रेषित

(1) महानिदेशक, (श्री यू॰ एल॰ बरुआ) आकाशवाणी, नई दिल्ली।

(2) महानिदेशक, (श्री एस॰ पी॰ नारायण) दूरदर्शन, नई दिल्ली।

संयुक्त समिति ने यह इच्छा व्यक्त की है कि प्रेस विज्ञप्ति की विषय वस्तु का आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाये। अतः यह अनुरोध है कि इसका

आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से प्रसारण किया जाय तथा दूरदर्शन के सभी केन्द्रों से निरन्तर तीन दिन तक उसका टेलीकास्ट किया जाय । संयुक्त समिति की जानकारी के लिये कृपया इसकी सूचना इस सचिवालय को भेजी जाये ।

वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

दूसरी बैठक

17-3-1981

समिति की बैठक, मंगलवार, 17 मार्च, 1981 को अपराह्न 4.00 से 4.45 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री डी० के० नायकर--सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री रास बिहारी बहेरा
3. श्रीमती गुरबिन्दर कौर ब्रार
4. श्री बी० किशोरचन्द्र एस० देव
5. श्रीमती सुशीला गोपालन
6. श्री आर० के० महालगी
7. श्रीमती गीता मुखर्जी
8. श्री बापूसाहिब पारुलेकर
9. प्रो० विमला कुमारी शक्तावत
10. श्री आर० एस० स्पैरो
11. श्री बी०एस० विजयराघवन्
12. श्री पी० वेंकटसुबबया

राज्य सभा

13. श्री रामचन्द्र भारद्वाज
14. श्री श्रीधर वासुदेव धावे
15. श्री बी० इब्राहीम
16. श्री सुरेन्द्र महन्ती
17. श्री इरा सेझियान
18. श्री बलदेव नारायण यादव

सचिवालय

श्री सत्य देव कोहा — वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

विधायी परामर्शदाता

श्रीमती बी०एस० रमा देवी — संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता

डा० रघुवीरसिंह — सहायक विधायी परामर्शदाता

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री पी० के० कठपालिया — अपर सचिव

श्री एस० सी० बबलानी — अपर सचिव

2. आरम्भ में सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों, विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों से विधेयक के उपबंधों पर टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिये उनसे ज्ञापन मंगाने हेतु जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति और उन्हें भेजे गये परिपत्र के उत्तर में सचिवालय को केवल 48 ज्ञापन प्राप्त हुये थे। इन ज्ञापनों को सदस्यों में पहले ही परिचालित कर दिया गया था।

3. समिति को यह भी सूचना दी गई थी कि यद्यपि ज्ञापन प्राप्त होने की अंतिम तारीख 18 फरवरी, 1981 निश्चित की गई थी तथापि ज्ञापन प्रस्तुत किये जाने की तारीख को बढ़ाने के संबंध में सभापति को अनेक अनुरोध प्राप्त हुये थे। अतः उन्होंने इस अवधि को 7 मार्च, 1981 तक के लिये बढ़ा दिया था और तदनुसार एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई थी।

4. चूंकि ज्ञापन काफी संख्या में, विशेषकर राष्ट्रीय स्तर के महिला संगठनों से प्राप्त नहीं हुये थे, समिति ने ज्ञापन प्राप्त करने की तारीख को 15 अप्रैल, 1981 तक के लिये और आगे बढ़ाने का निर्णय किया। समिति ने यह भी निर्णय किया कि विधेयक उपबंधों के बारे में उपर्युक्त तारीख तक सभी संसद सदस्यों जिला बार-एसोसिएशनों से अपनी टिप्पणियों/सुझाव भेजने की अनुरोध भी किया जाना चाहिये। जिला बार एसोसिएशनों को पत्र भेजे जाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा देश में राज्यवार जिलों की सूची उपलब्ध कराई जायेगी।

5. समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि उपर्युक्त तारीख तक ज्ञापन भेजे जाने के बारे में व्यापक विचार करने हेतु एक प्रेस विज्ञप्ति पुनः जारी की जाय। यह प्रेस विज्ञप्ति प्रादेशिक भाषाओं के समाचारपत्रों को भी भेजी जानी चाहिये।

6. सभापति ने सदस्यों को यह भी सूचित किया कि समिति की 3 फरवरी, 1981 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार, समिति को प्राप्त हुए ज्ञापन में दिये गये सुझावों की एक तालिका गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की जा रही है और सदस्यों को उचित समय पर तालिका के रूप में एक विवरण, जिसमें उठाये गये मुद्दों पर मंत्रालय की टिप्पणियां भी होंगी, परिचालित कर दिया जायगा।

7. तत्पश्चात् सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि जैसाकि उनसे पहले अनुरोध किया गया था सदस्य 15 अप्रैल, 1981 तक उन संगठनों/व्यक्तियों के नाम सुझा सकते हैं जिन्हें समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने के लिए बुलाया जाना चाहिए।

8. कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि उनके संदर्भ तथा रोजमर्रा के उपयोग के लिए उन्हें तीनों अधिनियमों अर्थात् भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अद्यतन प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं। गृह राज्य मंत्री इस कार्य के लिए लोक सभा सचिवालय को इन अधिनियमों की अपेक्षित संख्या में प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गए।

9. तत्पश्चात् समिति ने आगामी कार्यक्रम अर्थात् अध्ययन दौरे, मौखिक साक्ष्य की सुनवाई और विधेयक पर खण्डवार विचार करने के लिए 15 अप्रैल, 1981 के बाद किसी समय समिति की अगली बैठक की तारीख तथा समय निश्चित करने हेतु सभापति को प्राधिकृत किया।

10. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

तीसरी बैठक

29-4-1981

समिति की बैठक बुधवार, 29 अप्रैल, 1981 को 15.30 बजे से 16.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री डी० के० नायकर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती गुरब्रिन्दर कौर बार
3. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी
4. श्रीमती सुशीला गोपालन
5. श्रीमती माधुरी सिंह
6. श्री आर० के० म्हालगी
7. श्रीमती गीता मुखर्जी
8. श्री आर० एल० रुआरो
9. श्री त्रिलोक चन्द
0. श्री वी० एस० विजयराघवन
1. श्री पी० वेंकट सुब्बैया

राज्य सभा

2. श्री लाल कृष्ण अडवानी
3. श्री रामचन्द्र भारद्वाज
4. श्री अमरप्रसाद चक्रवर्ती
5. श्री श्रीधर वासुदेव धाबे
6. श्री बी० इब्राहीम
7. श्री धूलेश्वर मीणा
8. श्री सुरेन्द्र मोहन्ती

सचिवालय

श्री सत्यदेव चौड़ा—वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

विधायी काउन्सेल

1. श्रीमती वी० एस० रमा देवी—संयुक्त सचिव तथा विधायी काउन्सेल
2. डा० रघुबीर सिंह—सहायक विधायी काउन्सेल

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री पी० के० कठपालिया—अपर सचिव
2. श्री एस० सी० पपलानी—अपर सचिव

2. बैठक के आरम्भ में सभापति ने समिति को सूचित किया कि :

(एक) अब तक राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, महिला तथा स्वैच्छिक संगठनों, महान्यायवादी महाधिवक्ता, प्रेस संगठनों, जिला बार एसोसिएशनों, व्यक्तियों आदि से 89 ज्ञापन प्राप्त हुए थे तथा जिन्हें सदस्यों में परिचालित कर दिया गया था ;

(दो) सदस्यों की इच्छानुसार गृह मंत्रालय से तीन अधिनियमों अर्थात् (1) भारतीय दण्ड संहिता (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता (3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम

की अधुनातम प्रतियां प्राप्त हो गई थी तथा उन्हें समिति के सदस्यों में परि-चालित कर दिया गया था।

(तीन) अब तक 19 पार्टियों ने समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने की इच्छा व्यक्त की है।

3. तत्पश्चात् समिति ने इच्छुक पार्टियों से विधेयक के संबंध में मौखिक साक्ष्य लेने तथा उसको रिकार्ड करने सहित अपने भावी कार्यक्रम पर विचार किया। इस बात पर विचार करते समय कि क्या समिति को उन इच्छुक पार्टियों के साथ, जो दिल्ली आने की स्थिति में नहीं हैं अनौपचारिक विचार-विमर्श के लिए विभिन्न दलों में अध्ययन करने चाहिए या देश में विभिन्न स्थानों पर उनका मौखिक साक्ष्य लेने के लिए औपचारिक बैठकें आयोजित करनी चाहिए। समिति ने 5 जून, 1981 के पश्चात् बम्बई, बंगलौर, हैदराबाद, लखनऊ, भोपाल, शिमला तथा इटानगर में विभिन्न चरणों में मौखिक साक्ष्य लेने के लिए औपचारिक बैठकें करने का निर्णय लिया बशर्ते माननीय अध्यक्ष महोदय से इसकी स्वीकृति मिल जाए। सभापति को अन्य प्रवर/संयुक्त समितियों के तद-स्थानिक दौरों / बैठकों को ध्यान में रखकर बैठकों की तिथियां तथा कार्यक्रम निश्चित करने हेतु प्राधिकृत किया गया था।

मौखिक साक्ष्य के लिए आमंत्रित किए जाने वाले संगठनों/एसोसिएशनों, व्यक्तियों के संबंध में यह निर्णय किया गया था कि सभापति महोदय समिति को अब तक प्राप्त 19 आवेदनों तथा समिति के सदस्यों से मिलने वाले सुझावों में से इनका चयन करें। समिति ने यह भी महसूस किया कि श्री धर्मवीर, चेयरमैन, पुलिस आयोग तथा श्री रुस्तमजी जैसे विशे-षज्ञों को भी इस उद्देश्य के लिए आमंत्रित किया जाए।

4. तत्पश्चात् सभापति महोदय ने सदस्यों से अनुरोध किया कि लोक सभा सचि-वालय को चालू सत्र के अवसान से पूर्व अपने सुझाव भेजें कि मौखिक साक्ष्य के लिए किन संगठनों/एसोसिएशनों, व्यक्तियों आदि को आमंत्रित किया जाए।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

चौथी बैठक

30-6-1981

समिति की बैठक मंगलवार, 30 जून, 1981 को हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फेयरलान्स मशोबरा, शिमला में कान्फ्रेंस हाल में 10.00 बजे से 12.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री डी॰ के॰ नायकर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री के० अर्जुनन
3. श्री राम बिहारी बहेरा
4. श्रीमती सुशीला गोपालन
5. श्रीमती मोहसिना किदवई
6. श्री आर॰ के॰ महालगी
7. श्री राम प्यारे पनिका

8. श्री बापू साहिब परुलेकर

9. प्रोफेसर निर्मला कुमारी शक्तावत

10. श्री एस० सिंगारावाडी वेल

11. श्री वी० एस० विजयराघवन

राज्य सभा

12. श्री लाल कृष्ण आडवाणी

13. श्री राम चन्द्र भारद्वाज

14. श्री अमर प्रसाद चक्रवर्ती

15. श्री श्रीधर वासुदेव धाबे

16. श्री वी० इब्राहीम

17. श्री धूलेश्वर मीणा

18. श्री हुकमदेव नारायण यादव

सचिवालय

श्री राम किशोर-----वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एम० पी० कोसला—विशेष कार्य अधिकारी

2. श्री एस० सी० बहलानी—अवर सचिव

2. समिति द्वारा निम्नलिखित राज्य सरकार/संगठन आदि के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लेने की कार्यवाही आरंभ करने से पूर्व सभापति ने उन का ध्यान लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों के निदेश 58 में दिए गए उपबंध की ओर दिलाया :

एक. हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला
प्रवक्ता

(एक) श्री ज र मल्होत्रा, सचिव (विधि)

(दो) श्री इन्द्रजीत सिंह सोढ़ी, पुलिस महानिरीक्षक

(तीन) श्री के० सी० चौहान, निदेशक कल्याण

(10.00 से 11.00 बजे)

दो. सोसाइटी टु इम्प्रूवर ओवर ट्रीटमेंट आफ विमेन, चंडीगढ़ ।
प्रवक्ता

1. श्री जे० पी० सवे, महासचिव

2. श्री वी० एन० नेगी, एस० पी० एस० पी० रोहतक

(11.05 से 12.15 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया ।

4. इस के पश्चात् समिति ने बैठकों के बारे में अपने पूर्व कार्यक्रम में परिवर्तन करने के संबंध में विचार किया । ये बैठकें प्रारंभ में बम्बई, बंगलौर और हैदराबाद में 10 से 16 जून, 1981 को होनी थीं लेकिन महिलाओं और स्वैच्छिक सामाजिक संगठनों एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लेने के उद्देश्य से इन बैठकों को 28 जुलाई से 4 अगस्त, 1981 तक बंबई, हैदराबाद और बंगलौर में आयोजित करने का निर्णय लिया गया ।

तत्पश्चात् समिति की बैठक बुधवार 1 जुलाई, 1981 को 10.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

पांचवीं बैठक

1-7-1981

समिति की बैठक बुधवार, 1 जुलाई, 1981 को हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फेयरलान्स, मशोबरा, शिमला के कान्फ्रेंस हाल में 10.00 बजे से 13.15 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री डी० के० नायकर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री के० अर्जुनन
3. श्री रास बिहारी बहेरा
4. श्रीमती सुशीला गोपालन
5. श्रीमती मोहसिना किदवई
6. श्री आर० के० महालमी
7. श्री बापू साहिब पल्लेकर
8. श्री काजी सलीम
9. प्रोफेसर निर्मला कुमारी शक्तावत
10. श्री एस० सिंगारा वाडीवेल
11. श्री वी० एम० विजयाराघवन
12. श्री पी० वेंकटसुब्बैया

राज्य सभा

13. श्री लाल कृष्ण आडवानी
14. श्री रामचन्द्र भारद्वाज
15. श्री अमर प्रसाद चक्रवर्ती
16. श्री श्रीधर वासुदेव धावे
17. श्री बी० इब्राहीम
18. श्री धूलेश्वर मीणा
19. श्री सिमोनार्ड सोलोमन लेरिंग
20. श्री हुकमदेव नारायण यादव

सचिवालय

श्री राम किशोर—वरिष्ठ वित्तीय समिति अधिकारी

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस० पी० खोसला—वित्त कार्य अधिकारी
2. श्री एस० बी० बबलानी—अवर सचिव

2. समिति द्वारा निम्नलिखित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य होने से पूर्व, सभापति ने उनका ध्यान, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के निदेश 58 में दिये गये उपबंधों की ओर दिलाया :—

एक. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, चंडीगढ़ के प्रवक्ता :

श्री एम० एस० नागरा,

लीगल रिमेम्ब्रान्सर

दो. पंजाब सरकार, चंडीगढ़:

(एक) प्रवक्ता : श्री आफताब सिंह बक्शी
लीगल रिमेम्ब्रान्सर

(दो) श्री एस० बी० सिंह
पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा

तीन. हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ (प्रवक्ता)

(एक) श्री एल० सी० गुप्ता, आई० ए० एस० हरियाणा सरकार, गृह विभाग के वित्तीय आयुक्त और सचिव

(दो) श्री बी० एस० यादव, हरियाणा सरकार, विधायी विभाग के लीगल रिमेम्ब्रेन्सर और सचिव

(तीन) श्री मनमोहन सिंह, आई० पी० एस०, पुलिस महानिरीक्षक, हरियाणा

3. साक्ष्य का शब्दश: रिकार्ड रखा गया ।

4. समिति ने जुलाई-अगस्त, 1981 के दौरान बम्बई, हैदराबाद और बंगलौर में होने वाली अपनी बैठकों के कार्यक्रम के बारे में पुन: विचार किया और उक्त बैठकों की तिथि 28 जुलाई, 4 अगस्त, 1981 के स्थान पर 27 जुलाई–2 अगस्त, 1981 निर्धारित करने का निर्णय लिया ।

तत्पश्चात समिति की बैठक शुक्रवार, 3 जुलाई, 1981 को लखनऊ में 10.00 बजे पुन: समवेत होने के लिये स्थगित हुई ।

छठी बैठक

3-7-1981

समिति की बैठक शुक्रवार, 3 जुलाई, 1981 को विधान सभा सचिवालय, लखनऊ में कमरा सं० 80 में 15.00 से 16.30 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री डी० के० नायकर — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री रास बिहारी बहेरा
3. श्रीमती सुशीला गोपालन
4. श्रीमती मोहसिना किदवई
5. श्री आर० के० महालगी
6. श्री राम प्यारे पनिका
7. श्री बापू साहिब परुलेकर
8. श्री काजी सलीम
9. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत
10. श्री आर० एस० स्पैरो
11. श्री त्रिलोक चन्द
12. श्री वी० एस० विजयराघवन
13. श्री पी० वेंकटसुब्बय्या

राज्य सभा

14. श्री लाल कृष्ण आडवाणी

15. श्री रामचन्द्र भारद्वाज

16. श्री अमर प्रसाद चक्रवर्ती

17. श्री बी० इब्राहीम

18. श्री धूलेश्वर मीणा

19. श्री हुक्मदेव नारायण यादव

सचिवालय

श्री राम किशोर—वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री एस० सी० वसवानी—अवर सचिव

2. समिति द्वारा निम्नलिखित महिला और स्वैच्छिक सामाजिक संगठनों आदि के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लेने से पूर्व, सभापति ने उनका ध्यान लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 में दिये गये उपबंधों की ओर दिलाया :—

एक. अखिल भारतीय अपराध निवारण समिति, लखनऊ (प्रवक्ता)

श्रीमती रानी शीला रामकुमार भार्गव

(15.00 से 15.30 बजे)

दो. आल इंडिया सेवा समिति, इलाहाबाद, (प्रवक्ता)

(एक) श्री एस० पी० पांडे, आयोजक सचिव

(दो) श्री गोपाल कृष्ण मिश्र, एडवोकेट

(15.30 से 15.45 बजे)

तीन. उत्तर प्रदेश राज्य कल्याण सलाहकार बोर्ड, लखनऊ (प्रवक्ता)

डा० कुमारी कंचन लता सब्बरवाल—अध्यक्ष

(15.45 से 16.00 बजे)

चार : बेगम ऐजाज रसूल, (सदस्य, विधान सभा)

(16.00 से 16.15 बजे)

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

4. समिति के एक सदस्य श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने बताया कि शिमला में हुई समिति की बैठक में किसी ध्वनि, प्रणाली संबंधी कार्मिक ने समिति की कार्यवाही टेप रिकार्ड कर ली थी जोकि समिति के विशेषाधिकारों का उल्लंघन है। समिति की सर्व सम्मति से, सभापति ने यह निदेश दिये हैं कि टेपरिकार्ड प्राप्त किया जाय और उसे लोक सभा सचिवालय की अभिरक्षा में रखा जाए।

तत्पश्चात् समिति की बैठक शनिवार, 4 जुलाई, 1981 को 10.00 बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित हुई।

सातवीं बैठक

4-7-1981

समिति की बैठक शनिवार, 4 जुलाई, 1981 को विधान सभा सचिवालय लखनऊ, में कमरा संख्या 80 में 10.00 से 14.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री डी० के० नायकर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री रास बिहारी बहेरा
3. श्रीमती सुशीला गोपालन
4. श्रीमती मोहसिना किदवई
5. श्री आर० के० म्हालगी
6. श्री राम प्यारे पनिका
7. श्री बापू साहिब परूलेकर
8. श्री काजी सलीम
9. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत
10. श्री आर० एस० स्परो
11. श्री त्रिलोक चन्द
12. श्री वी० एस० विजयाराघवन
13. श्री पी० वेंकट सुब्बया

राज्य सभा

14. श्री रामचन्द्र भारद्वाज
15. श्री अमर प्रसाद चक्रवर्ती
16. श्री बी० इब्राहीम
17. श्री धूलेश्वर मीणा
18. श्री हुक्मदेव नारायण यादव

सचिवालय

श्री राम किशोर—वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री एस० सी० वजलानी—अवर सचिव

2. समिति द्वारा निम्नलिखित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने से पूर्व सभापति ने उनका ध्यान लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 में दिये गये उपबंधों की ओर दिलाया :—

उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ

साक्षी।

(एक) श्री गोवर्धन लाल शुक्ल,
विधायी सचिव/शासन विलेखाधिकार

(दो) श्री नरेश कुमार, महानिरीक्षक, पुलिस

(तीन) श्री आर० सी० टकरू, गृह सचिव

(10.00 से 13.30 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

4. तत्पश्चात् समिति ने श्री एस० डब्ल्यू० धाबे, संसद् सदस्य के समिति की बैठक कलकत्ता में किये जाने के अनुरोध पर विचार किया। कुछ विचार विमर्श के पश्चात् यह निर्णय किया गया कि यह मामला समिति द्वारा विचार किये जाने के लिए संसद में फिर से उसके समक्ष रखा जाए।

तत्पश्चात् समिति की बैठक सोमवार, 6 जुलाई, 1981 को भोपाल में 10.00 बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित हुई।

आठवीं बैठक

6-7-1981

समिति की बैठक सोमवार, 6 जुलाई, 1981 को कांफ्रेंस हाल, वल्लभ भवन, भोपाल में 10.00 बजे से 13.00 बजे और पुनः 15.00 बजे से 17.20 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री डी० के० नायकर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री राम बिहारी बहेरा
3. श्री आर० के० महालगी
4. श्री के० एस० नारायण
5. श्री राम प्यारे पनिका
6. श्री बापूसाहिब पल्लेकर
7. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत
8. श्री आर० एस० स्पैरो
9. श्री त्रिलोक चन्द
10. श्री वी० एस० विजयराघवन

राज्य सभा

11. श्री रामचन्द्र भारद्वाज
12. श्री बी० इब्राहीम
13. श्री धूलेश्वर मीणा
14. श्री ऐरा सेजियन
15. श्री हुकमदेव नारायण यादव

सचिवालय

श्री रामकिशोर—वरिष्ठ वित्तीय समिति अधिकारी

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री एम० पी० खोसला—विशेष कार्य अधिकारी ।

2. समिति द्वारा निम्नलिखित महिला और स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों आदि के मौखिक साक्ष्य लेने से पहले सभापति ने उनका ध्यान लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन संबंधी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की ओर दिलाया :

(एक) श्री जी० एस० निहलानी,
एडवोकेट, भोपाल

(10.00 बजे से 11.20 बजे तक)

(दो) श्री एल० एस० सिन्हा,
अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, भोपाल

(11.20 बजे से 12.20 तक)

(तीन) मध्य प्रदेश महिला कल्याण समिति, भोपाल

प्रवक्ता :

श्रीमती विमला शर्मा

(12.20 बजे से 12.30 बजे तक)

(चार) इनरव्हील, क्लब, भोपाल

प्रवक्ता :

श्रीमती सरोज लालवानी

(12.30 बजे से 13.00 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया ।

तत्पश्चात समिति की बैठक 15.00 बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित हुई ।

4. समिति पुनः समवेत हुई और 15.00 बजे से 17.20 बजे तक निम्नलिखित महिला स्वयंसेवी सामाजिक संगठन का मौखिक साक्ष्य लेना पुनः आरम्भ किया ।

समिति द्वारा निम्नलिखित महिला स्वयंसेवी समाजिक संगठनों के मौखिक साक्ष्य लेने से पहले सभापति ने उनका ध्यान लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की ओर दिलाया :

एक. भारतीय ग्रामीण महिला संघ, इंदौर

प्रवक्ता :

श्रीमती कृष्ण अग्रवाल

(15.00 बजे से 15.45 बजे तक)

दो. ग्राम निवेतन संघ, इंदौर

प्रवक्ता :

श्रीमती शालिनी मोघे

(15.45 बजे से 16.00 बजे तक)

तीन. (1) भारतीय शिक्षा प्रचारिणी सभा, इंदौर

प्रवक्ता :

श्रीमती निर्मला देवी पोद्दार

(2) गंगवाल महिला कला निकेतन, इंदौर

प्रवक्ता :

श्रीमती इंदुमती जैन

(3) सेंट मार्क्स स्कूल, इंदौर

प्रवक्ता :

श्रीमती फलोरेंस जेकब

(4) नारी सहकारी समिति, ग्वालियर

प्रवक्ता :

श्रीमती मंदाकिनी: बकाल्कर

(5) एसोसिएशन फार सोशल हैल्थ इन इंडिया, ग्वालियर

प्रवक्ता :

श्रीमती कमला देवी जावव

(6) एम० पी० महिला कल्याण परिषद, भोपाल

प्रवक्ता :

(क) श्रीमती प्रज्ञा मुखर्जी

(ख) श्रीमती प्रकाश कुमारी हरकावत

(7) आल इंडिया विमेन्स कांफ्रेंस, जबलपुर

प्रवक्ता :

श्रीमती चन्द्रप्रभा पटेरिया

(16.00 बजे से 16.55 बजे तक)

चार. एसोसिएशन फार सोशल हैल्थ इन इंडिया, ग्वालियर

प्रवक्ता :

श्री राम सनेही

(16.55 बजे से 17.00 बजे तक)

पांच. श्रीमती अहलूवालिया, शिक्षामंत्री, मध्य प्रदेश

(17.00 बजे से 17.20 बजे तक)

तत्पश्चात् समिति की बैठक मंगलवार, 7 जुलाई, 1981 को 10.00 बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित हुई ।

नवीं बैठक

7-7-1981

समिति की बैठक मंगलवार, 7 जुलाई, 1981 को कांफ्रेंस हाल, बल्लभ भवन, भोपाल में 10.00 से 14.00 बजे और पुन: 15.30 से 17.30 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री बी० के० नायकर —सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री रास बिहारी बहेरा
3. श्री आर० के० महालगी
4. श्री के० एस० नारायण
5. श्री राम प्यारे पनिका
6. श्री बापूसाहिब पल्लेकर
7. श्री आर०एस० स्पैरो
8. श्री त्रिलोकचन्द
9. श्री पी० वेंकटसुब्बया

राज्य सभा

10. श्री रामचन्द्र भारद्वाज
11. श्री अमर प्रसाद चक्रवर्ती
12. श्री एस०डब्ल्यू० धाबे
13. श्री बी० इब्राहीम
14. श्री धूलेश्वर मीणा
15. श्री हुक्मदेव नारायण यादव

सचिवालय

श्री राम किशोर —वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि :

श्री एम०पी० चोसला—विशेष कार्य अधिकारी

2. समिति द्वारा मध्य प्रदेश, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिये जाने के पहले सभापति ने उनका ध्यान लोक सभा के प्रक्रिया और कार्यसंचालन नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की ओर दिलाया :

1. मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल

प्रवक्ता :

(एक) श्री ब्रह्मस्वरूप, अपर मुख्य सचिव

(दो) श्री के० के० सिंह, उप महानिरीक्षक पुलिस

(10.15 बजे से 11.15 बजे तक)

2. श्री जे० ए० खरे, उप सचिव, विधि विभाग

(11.15 बजे से 12.55 बजे तक)

3. श्री आर० एन० संघानी, जिला और सैशन् न्यायाधीश, भोपाल

(12.55 बजे से 14.00 बजे तक)

3. कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया ।

तत्पश्चात् समिति की बैठक 15.30 बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित हुई ।

4. समिति पुनः समवेत हुई और मध्य प्रदेश राज्य सरकार के प्रतिनिधियों का 15.30 बजे से 17.30 बजे तक मौखिक साक्ष्य लेना पुनः आरम्भ किया ।

5. समिति द्वारा मौखिक साक्ष्य लिये जाने से पहले सभापति ने उनका ध्यान लोकसभा के प्रक्रिया और कार्यसंचालन नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की ओर दिलाया :

डा० (श्रीमती) गिडवानी,

(एक) अधीक्षक सुलतानिया हास्पिटल, भोपाल

(दो) श्रीमती सुषमा नाथ,
समाहर्ता, नरसिंहपुर

(तीन) श्री आर०एस०एस० यादव,
पुलिस अधीक्षक, भोपाल

(चार) श्री आर०एन० बैस,
निदेशक पंचायत और समाज कल्याण, भोपाल

(पांच) श्री विजय सिंह,
जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल

(छः) श्री बी०एस० आचार्य,
अपर जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल
(15.30 बजे से 17.00 बजे तक)

(सात) श्री हरीशचन्द्र, निदेशक,
मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट, भोपाल
(17.00 बजे से 17.30 बजे तक)

6. कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया ।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

बत्तीसवीं बैठक

27-7-1981

समिति की बैठक सोमवार 27 जुलाई, 1981 को न्यू विज्ञान भवन, बम्बई के कक्ष सं० 2001 में 10.00 बजे से 14.00 बजे तक और 15.30 बजे से 18.45 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री डी० के० नायकर--सभापति

सदस्य

लोक सभा

2 श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी

3 श्रीमती मोहसिना किदवई

4 श्री आर० के० महालगी

5 श्रीमती गीता मुखर्जी

6 श्री बापूसाहेब परूलेकर

7. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत

8. श्री एम० सिंगारावाडीवेल

9. श्री आर० एस० स्पैरो

10 श्री त्रिलोक चन्द

11. श्री वी० एस० विजयराघवन

12 श्री काजी सलीम

राज्य सभा

13. श्री लाल कृष्ण आडवानी

14. श्री रामचन्द्र भारद्वाज

15. श्री अमर प्रसाद चक्रवर्ती

16. श्री श्रीधर वासुदेव धाबे

17. श्री वी० इब्राहीम

18. श्री धूलेश्वर मीणा

19. श्री वी० पी० मुनुसामी

20. श्री ईरा सेझियान

सचिवालय

श्री राम किशोर—वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस० पी० खोसला—विशेष कार्य अधिकारी

2. श्री एस० सी० वक्लामी—अवर सचिव

2. समिति ने महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य सुनने से पूर्व, सभापति ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 में अंतर्विष्ट उपबंधों की ओर उनका ध्यान दिलाया।

महाराष्ट्र सरकार

प्रवक्ता

(एक) श्री ए० डी० तालेख
सचिव, विधि और न्यायपालिका विभाग

(दो) श्री पी० जी० सात्वी
सचिव, गृह विभाग

(तीन) श्री पी० के० चतुर्वेदी
आई० जी०पी० महाराष्ट्र राज्य
(10.00 बजे से 14.00 बजे तक)

तत्पश्चात् समिति 15.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

3. समिति पुन: समवेत हुई और 15.30 बजे से 18.46 बजे तक निम्नलिखित महिला स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों का मौखिक साक्ष्य लेना आरम्भ किया।

4. समिति के निम्नलिखित महिला स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों का मौखिक साक्ष्य सुनने से पूर्व, सभापति ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों के निदेश सं० 58 में अंतर्विष्ट उपबंधों की ओर उनका ध्यान दिलाया :

(एक) श्रीमती सुशीलाताई अथावले
प्रिंसीपल सोमेश्वर कालेज, पुणे ।
(15.30 बजे से 15.45 बजे तक)

(दो) लायर्स कलेक्टिव, बम्बई

प्रवक्ता :

(1) श्रीमती इंद्रा जयसिंह
(2) श्री आनन्द ग्रोवर
(15.45 बजे से 17.00 बजे तक)

(तीन) भारतीय राष्ट्रीय महिला संघ, महाराष्ट्र शाखा, बम्बई।

प्रवक्ता :

(1) श्रीमती मंजू गांधी
(2) श्रीमती कुसुम नायकर्णी
(17.00 बजे से 17.15 बजे तक)

(चार) उत्तर विभाग स्त्री संस्था संयुक्त समिति माटुंगा, बम्बई।

प्रवक्ता :

(1) श्रीमती इन्दुमती एम० कुलकर्णी
(2) श्रीमती तारा के० शाह
(3) श्रीमती कस्तूर मंजरेकर
(4) श्रीमती शालिनी मंत्री
(17.15 बजे से 17.30 बजे तक)

(पांच) भारतीय समाज कल्याण परिषद, बम्बई

प्रवक्ता :

श्री एम० एस० उसेकर
विधायी सलाहकार और भूतपूर्व सत्र न्यायाधीश, बम्बई।
(17.30 बजे से 18.15 बजे तक)

(छ:) इंदिरा कांग्रेस महिला मंडल, थाने जिला

प्रवक्ता :

श्रीमती शकुन्तला परांजपे
अध्यक्ष और नोटेरी पब्लिक एडवोकेट
(18.15 बजे से 18.45 बजे तक)

5. साक्ष्य का शब्दश: रिकार्ड रखा गया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक 28 जुलाई, 1981 को 14.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

ग्यारहवीं बैठक

28-7-1981

समिति की बैठक मंगलवार, 28 जुलाई, 1981 को 14.00 बजे से 18.00 बजे तक कमरा संख्या 2001, न्यू विधान भवन, बम्बई में हुई।

उपस्थित

श्री डी० के० नायकर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी
3. श्रीमती सुशीला गोपालन
4. श्रीमती मोहसिना किदवई
5. श्री आर० के० महालगी
6. श्रीमती गीता मुखर्जी
7. श्री के० एस० नारायण
8. श्री रामप्यारे पनिका
9. श्री बापू साहिब परूलेकर
10. श्री काजी सलीम
11. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत
12. श्री एस० सिंगारावाडी वेल
13. श्री आर० एस० स्पैरो
14. श्री त्रिलोक चन्द
15. श्री वी० एस० विजयराघवन

राज्य सभा

16. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
17. श्री रामचन्द्र भारद्वाज
18. श्री अमर प्रसाद चक्रवर्ती
19. श्री श्रीधर वासुदेव धाबे
20. श्री बी० इब्राहीम
21. श्री धूलेश्वर मीणा
22. श्री वी० पी० मुनुसामी
23. श्री इयोनार्ड सोलोमन सरिंग
24. श्री इरा सेझियान
25. श्री हुक्मदेव नारायण यादव

सचिवालय

श्री राम किशोर—वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री एम० पी० खोसला— विशेष कार्य अधिकारी

2. समिति के गुजरात राज्य सरकार और अन्य महिला सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने से पूर्व सभापति लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों के निदेश 58 में अंतर्विष्ट उपबंधों की ओर उनका ध्यान दिलाया :

(एक) गुजरात सरकार, गांधी नगर

प्रवक्ता :

(एक) श्री आर० वी० चन्द्रमौली,

(दो) श्री के० एम० सतवाणी,
सचिव; विधिक विभाग ।
(14.00 बजे से 16.00 बजे तक)

(दो) अखिल महिला संघ, बम्बई ।

प्रवक्ता :

(एक) श्रीमती अहिल्या रंगनेकर

(दो) श्रीमती तारा वालाम्
(16.00 बजे से 16.15 बजे तक)

(तीन) कामकाजी महिला समन्वय समिति, बम्बई

प्रवक्ता :

श्रीमती सुभाषिणी अली
(16.15 बजे से 16.30 बजे तक)

(चार) लायर्स फार डेमोक्रेसी

प्रवक्ता :

(एक) श्री अरुण साठे

(दो) श्री हरीश जगतानी

(तीन) श्री महेश जेठमलानी

(चार) श्री राज पुरोहित

(पांच) श्री एम० डी० अंगल

(छः) श्री मिलिन्द साठे

(सात) श्री नितिन जी राउत
(16.30 बजे से 17.30 बजे तक)

(पांच) डा० रूपा कुलकर्णी,

लेक्चरर, नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर ।
(17.30 बजे से 17.45 बजे तक)

(छः) भारतीय जनता पार्टी (महिला कामकाजी) बम्बई

प्रवक्ता :

(एक) श्रीमती जयवंती बेन मेहता, विधायक
(दो) श्रीमती मालती नानवाणी
(तीन) श्रीमती चन्द्रकान्ता गोयल
(चार) श्रीमती शालिनी कुलकर्णी
(पांच) श्रीमती पुष्पा वाग्ले
(छः) कुमारी सुधा गांधी, एडवोकेट
(सात) कुमारी चानुशिला अजगांवकर
(आठ) श्री रामदास नायक, भूतपूर्व विधायक
(17.45 बजे से 18.30 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड* रखा गया ।

तत्पश्चात् समिति हैदराबाद में बुधवार 29 जुलाई, 1981 को 15.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई ।

बारहवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 29 जुलाई, 1981 को 15.30 बजे से 17.40 बजे तक पुराना समिति हाल आंध्र प्रदेश सरकार सचिवालय, हैदराबाद में हुई ।

उपस्थित

श्री डी० के० नामधर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी
3. श्रीमती सुशीला गोपालन
4. श्रीमती मोहसिना किदवई
5. श्रीमती गीता मुखर्जी
6. श्री के० एस० नारायण
7. श्री बापु साहेब पल्लेकर
8. श्री काजी सलीम
9. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत
10. श्री एस० सिंगारावाडी वेल
11. श्री आर० एस० स्पैरो
12. श्री त्रिलोक चन्द
13. श्री वी० एस० विजयराघवन
14. श्री पी० वेंकट सुब्बैया

---

*अलग से परिचालित किया जा रहा है ।

राज्य सभा

15. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
16. श्री रामचन्द्र भारद्वाज
17. श्री अमर प्रसाद चक्रवर्ती
18. श्री श्रीधर वासुदेव धावे
19. श्री बी० इब्राहीम
20. श्री धूलेश्वर मीणा
21. श्री वी० पी० मुनुसामी
22. श्री ल्योनार्ड सोलोमन सरिंग
23. श्री हुकम देव नारायण यादव

सचिवालय

श्री राम किशोर——वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एम० पी० बोसला—विशेष कार्य अधिकारी
2. श्री एस० सी० बवलामी—अवर सचिव

2. समिति के निम्नलिखित महिला और स्वयं सेवी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने से पूर्व सभापति ने लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अधीन अध्ययन हारा दिये गये निदेशों के निर्देश 58 में अंतर्विष्ट उपबंधों की ओर उनका ध्यान दिलाया :—

(एक) भारतीय राष्ट्रीय महिला संघ, हैदराबाद

प्रवक्ता

श्रीमती रीता सेठ, अध्यक्ष

(15.30 बजे से 16.00 बजे तक)

(दो) महिला लोकतांत्रिक संगठन, हैदराबाद

प्रवक्ता

श्रीमती फातिमा आलम अली

(16.00 बजे से 16.05 बजे तक)

(तीन) भारतीय ग्रामीण महिला संघ, हैदराबाद

प्रवक्ता

श्रीमती ए० वहाबुद्दीन

(16.05 बजे से 16.25 बजे तक)

(चार) भारतीय समाज कल्याण परिषद, हैदराबाद

प्रवक्ता

(एक) श्री डी० मल्होत्रा

(दो) श्रीमती आइना रिजाद

(तीन) श्री वी० वी० जगदीश

(16.25 बजे से 16.50 बजे तक)

(पांच) ए० पी० महिला समाख्या, हैदराबाद

प्रवक्ता

(एक) श्रीमती सरला देवी

(दो) श्रीमती ब्रिज रानी गौड़

(तीन) श्रीमती सी० राजकुमारी

(16.50 बजे से 17.10 बजे तक)

(छः) अखिल भारतीय महिला संघ, हैदराबाद

प्रवक्ता

श्रीमती दया देवी

(17.10 बजे से 17.40 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया है।

तत्पश्चात समिति वृहस्पतिवार, 30 जुलाई, 1981 को 10 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

तेइसवीं बैठक

30-7-1981

समिति की बैठक गुरुवार, 30 जुलाई, 1981 को 10.00 बजे से 13.10 बजे तक और पुनः 15.00 बजे से 16.00 बजे तक पुराने समिति हाल, आन्ध्र प्रदेश सरकार के सचिवालय हैदराबाद में हुई।

उपस्थित

श्री डी० के० नायकर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी
3. श्रीमती सुशीला गोपालन
4. श्रीमती मोहसिना किदवई
5. श्रीमती गीता मुखर्जी
6. श्री के० एस० नारायण
7. श्री राम प्यारे पनिका
8. श्री बापू साहिब परुलेकर
9. श्री काजी सलीम
10. श्री एस० सिंगारावाडीवेल
11. श्री आर० एस० स्पैरो
12. श्री त्रिलोक चन्द
13. प्रो० निर्मला कुमारी अक्तावत
14. श्री वी० एल० विजयराघवन
15. श्री पी० वेंकटसुब्बया

राज्य सभा

1. श्री रामचन्द्र भारद्वाज
2. श्री प्रमर प्रसाद चक्रवर्ती
3. श्री श्रीधर वासुदेव धाबे
4. श्री बी० इब्राहीम
5. श्री धूलेश्वर मीणा
6. श्री वी० पी० मुनुस्वामी
7. श्री लेनार्ड सोलोमन सरिंग
8. श्री हुकमदेव नारायण यादव

सचिवालय

श्री राम किशोर—वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एम० पी० बोसला—विशेष कार्य अधिकारी
2. श्री एस० सी० वधलानी—अवर सचिव

2. आन्ध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिए जाने से पूर्व सभापति ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों के निदेश 58 में अंतर्विष्ट उपबन्धों की ओर उनका ध्यान दिलाया।

1. आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद

प्रवक्ता :

(एक) श्री ई० अयप्पू रेड्डी—विधि मंत्री
(दो) श्री जयकर जानसन—गृह सचिव
(तीन) श्री एम० एन० राव—विधि सचिव
(चार) श्री टी० पोनय्या,
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध)
(10.10 से 13.10 बजे तक)

तत्पश्चात समिति की बैठक 15.00 बजे पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित हो गई।

3. पुन: समवेत होने के पश्चात् समिति ने 15.00 बजे से 16.00 बजे तक निम्नलिखित महिलाओं तथा स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों का पुन: मौखिक साक्ष्य लेना शुरू किया।

4. निम्नलिखित महिलाओं तथा सामाजिक संगठनों का मौखिक साक्ष्य लिए जाने से पूर्व सभापति ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों के निदेश 58 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की ओर उनका ध्यान दिलाया।

एक. विमुक्त महिला मंडल, हैदराबाद :

प्रवक्ता :

एक. श्रीमती यामनी चौधरी
दो. श्रीमती अमुतु निसा बेगम
तीन. श्रीमती गायत्री देवी
(15.00 बजे से 15.40 बजे तक)

डी. एसोसिएशन आफ डेमोक्रेटिक लायर्स :

प्रवक्ता :

श्री मनोहर लाल सक्सेना
(15.40 बजे से 16.00 बजे तक)

5. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया था।

तत्पश्चात् समिति की बैठक बंगलौर में शुक्रवार, 31 जुलाई, 1981 को 10.00 बजे पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित हो गई।

चौदहवीं बैठक

31-7-1981

समिति की बैठक शुक्रवार, 31 जुलाई, 1981 को 10.00 बजे से 13.30 बजे तक और पुन: 15.00 बजे से 17.00 बजे तक समिति कक्ष सं० 313, विधान सौध, बंगलौर में हुई।

उपस्थित

श्री डी० के० नायकर — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी
3. श्रीमती सुशीला गोपालन
4. श्रीमती मोहसिना किदवई
5. श्रीमती गीता मुकर्जी
6. श्री के० एस० नारायण
7. श्री राम प्यारे पनिका
8. श्री बापू साहिब परुलेकर
9. श्री काजी सलीम
10. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत
11. श्री एस० सिगारावाडीवेल
12. श्री आर० एस० स्पैरो
13. श्री त्रिलोक चन्द
14. श्री वी० एस० विजयराघवन
15. श्री पी० वेंकटसुब्बया

राज्य सभा

16. श्री रामचन्द्र भारद्वाज
17. श्री अमर प्रसाद चक्रवर्ती
18 श्री श्रीधर वासुदेव धाबे
19. श्री बी० इब्राहीम
20. श्री धूलेश्वर मीणा
21. श्री वी० पी० मुनुसामी
22. श्री लेनार्ड सोलोमन सरिग
23. श्री हुक्मदेव नारायण यादव

सचिवालय

श्री राम किशोर——वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री एम० पी० सक्सेना——विशेष कार्य अधिकारी

श्री एस० सी० बवलानी——अवर सचिव ।

2. अपने भविष्य के कार्यक्रम पर विचार करते हुये समिति ने यह महसूस किया कि चूंकि उसे अभी देश के विभिन्न भागों से प्राप्त ज्ञापनों में दिए गए सुझावों पर विचार करना है तथा अब तक समिति द्वारा जिन राज्यों का दौरा नहीं किया गया, उनके विभिन्न महिलाओं तथा स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों आदि के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेना है ; विधेयक पर खण्डवार विचार करना है तथा उसके अन्य चरणों के सम्बन्ध में कार्यवाही पूरी करनी है अतएव समिति के लिये कार्य पूरा करना तथा अपने प्रतिवेदन को निर्धारित तिथि अर्थात् 21 अगस्त, 1981 तक प्रस्तुत करना सम्भव नहीं होगा । इसलिए समिति ने अपने प्रतिवेदन को 1981 के शीतकालीन अधिवेशन के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रस्तुत करने सम्बन्धी समय सीमा को और बढ़ाने की अनुमति प्राप्त करने का निर्णय लिया ।

3. सदस्यों का मत था कि चूंकि वे पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों के कुछ राज्यों का दौरा कर चुके हैं, उन्हें उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्रों में स्थित विभिन्न महिलाओं तथा सामाजिक संगठनों इत्यादि के विचार सुनने के लिए वहां का दौरा करना चाहिए । तत्पश्चात समिति ने निश्चय किया कि यदि सभा द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाये जाने की अनुमति दी जाती है और अध्यक्ष लोक सभा द्वारा दिल्ली से बाहर बैठकें करने की अनुमति दी जाती है तो समिति को अगली अन्तर सत्रावधि के दौरान अपनी अगली बैठकें पटना, कलकत्ता, इटानगर, भुवनेश्वर और श्रीनगर में करनी चाहिए । समिति ने यह भी निश्चय किया कि मौखिक साक्ष्य के लिए समिति की दिल्ली में दो दिन और बैठकें होंगी । समिति ने इस संबंध में सभापति को तारीखें और कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए कहा और तत्संबंधी सूचना सदस्यों को यथाशीघ्र भेजने के लिए प्राधिकृत किया ।

4. निम्नलिखित राज्य सरकारों और महिला तथा स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लेने से पूर्व सभापति ने प्रतिनिधियों का ध्यान लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अधीन सभापति द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 के उपबंधों की ओर ध्यान दिलाया ।

एक. कर्नाटक सरकार

प्रवक्ता :

(1) श्री बी० शंकर रेड्डी,
डायरेक्टर आफ प्रोसिक्यूशन

(2) श्री बी० एन० गरुड़ाचार,
पुलिस के अपर महानिदेशक

(3) श्री ए० वेंकट राव,
सचिव विधि विभाग

(10.30 बजे से 12.30 बजे तक)

दो. केरल सरकार

प्रवक्ता :

(1) श्री सी. सुब्रह्मण्यम,
पुलिस के उप महानिदेशक

(2) श्री सी० श्रीधरन नायर,
अपर विधि सचिव
(12.30 से 13.00 बजे तक)

(तीन) गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन

प्रवक्ता :

(1) श्री यू० डी० शर्मा,
विधि सचिव.

(2) प्रो० एस० डी० शर्मा,
मनोचिकित्सक और मनोविज्ञान के प्रभारी निदेशक

(3) डा० जे० एम० शर्मा,

प्रो० फोरेन्सिक मेडिसिन कम पुलिस सर्जन ।
(13.00 से 13.30 बजे तक और
15.00 बजे से 16.30 बजे तक)

तत्पश्चात् समिति की बैठक 15.00 बजे से पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई ।

5. समिति पुनः समवेत हुई और गोवा, दमन और दीव संघ राज्य प्रशासनों के प्रतिनिधियों का साक्ष्य सुनना आरंभ किया तथा 15.00 बजे से 17.00 बजे तक निम्नलिखित महिला और स्वयंसेवी संगठनों का साक्ष्य लिया । सभापति ने प्रतिनिधियों का साक्ष्य लेने से पहले लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 के उपबंधों की ओर उनका ध्यान दिलाया ।

1. [illegible], बंगलौर

प्रवक्ता :

श्रीमती ई० वी० मैत्रयु
(16.30 से 16.45 बजे तक)

2. श्री सी० आर्बोगर, बंगलौर
(16.45 से 17.00 बजे तक)

6. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया ।

तत्पश्चात समिति की बैठक शनिवार, 1 अगस्त, 1981 को 10.00 बजे से पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई ।

ग्यारहवीं बैठक

1-8-1981

समिति की बैठक शनिवार, 1 अगस्त, 1981 को 10.00 बजे से 13.40 बजे तक और फिर 15.00 बजे से 16.00 बजे तक समिति कक्ष 313, विधान सौध, बंगलौर में हुई ।

उपस्थित

श्री डी० के० नायकर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी

3. श्रीमती सुशीला गोपालन
4. श्री आर० के० महालगी
5. श्रीमती गीता मुखर्जी
6. श्री के० एस० नारायण
7. श्री राम प्यारे पनिका
8. श्री काजी सलीम
9. प्रो० निर्मल कुमार शक्तावत
10. श्री एस० सिंगारावाडीवेल
11. श्री आर० एस० स्पैरो
12. श्री त्रिलोक चन्द
13. श्री बी० एस० विजयराघवन
14. श्री पी० वेंकटसुब्बया

राज्य सभा

15. श्री राम चन्द्र भारद्वाज
16. श्री अमरप्रसाद चक्रवर्ती
17. श्री श्रीधर वासुदेव धाबे
18. श्री बी० इब्राहीम
19. श्री भूलेश्वर मीणा
20. श्री लियोनार्ड सोलोमन सारिंग
21. श्री सुखदेव नारायण यादव

सचिवालय

श्री राम किशोर—वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री एस० वी० ववलानी—अवर सचिव ।

2. समिति के निम्नलिखित राज्य सरकारों और महिला स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य शुरू करने से पहले, सभापति ने उनका ध्यान लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 के उपबंधों की ओर दिलाया ।

(एक) तमिलनाडु सरकार

प्रवक्ता :

(1) श्री हुबर्ट पेरिनाथ,
उपसचिव, विधि विभाग

(2) श्री ए० जोन० जोसेफ़,
उपसचिव, गृह विभाग ।

(10.00 बजे से 11.00 बजे तक)

(समिति ने विधेयक के उपबंधों पर तमिलनाडु सरकार के साक्ष्य जिनमें राज्य सरकार के विचार व्यक्त थे प्राप्त होने के बाद तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव और गृह तथा विधि विभागों के सचिवों का दिल्ली में साक्ष्य लेने का निर्णय किया ।)

(दो) संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी

प्रवक्ता :

(1) श्री ए० जोन० एम्ब्रोह्ज
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पांडिचेरी

(2) श्री एस० जी० भट्ट
प्रिंसिपल, राजकीय विधि महाविद्यालय, पांडिचेरी ।

(11.00 बजे से 12.00 बजे तक)

(तीन) बम्बर्स निदर्शा, बंगलौर

(1) श्रीमती शर्कत कुरैशी,

(2) श्रीमती सादर्इया बेगम

(12.00 बजे से 12.30 बजे तक)

(चार) शांति सेवा समाज, बंगलौर

प्रवक्ता :

(1) श्रीमती इन्दू कृष्णाप्पा
(12.30 बजे से 13.00 बजे तक)

(पांच) कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस (आई) समिति, बंगलौर

प्रवक्ता :

श्रीमती वीरामनी

(13.00 बजे से 13.30 बजे तक)

(छः) दक्षिण भारत महिला संगम, बंगलौर

प्रवक्ता :

(1) श्रीमती पद्मा श्रीनिवासन

(2) श्रीमती भवानी सुन्दर राज
(13.30 बजे से 13.40 बजे तक)

समिति की बैठक पुनः समवेत होने के लिये स्थगित हुई ।

3. **समिति की बैठक पुनः समवेत हुई और** 15.00 **बजे से** 16.00 **बजे तक महिला स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों का मौखिक साक्ष्य लिया । समिति के निम्नलिखित महिला स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों का साक्ष्य शुरू करने के** पहले सभापति ने उनका ध्यान **लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश** 58 **के उपबंधों की ओर** दिलाया ।

एक. एगनेस बिल्ला कार इंस्टीच्यूट, बंगलौर

प्रवक्ता :

(1) श्रीमती लिलियन जेवियर

(2) श्रीमती बी० बिमला
(15.00 बजे से 15.30 बजे तक)

दो. वर्किंग वूमेन्स कोऑर्डिनेशन कमेटी, बंगलौर

प्रवक्ता :

श्रीमती मालती

(15.30 बजे से 15.45 बजे तक)

(तीन) डेमोक्रेटिक यूमेन्स एसोसिएशन, कर्नाटक, बंगलौर

प्रवक्ता :

श्रीमती गायत्री

(15.45 बजे से 16.00 बजे तक)

4. मौखिक साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया था।

समिति की बैठक स्थगित हुई।

सोलहवीं बैठक

14-10-1981

समिति की बैठक बुधवार, 14 अक्तूबर, 1981 को कमरा सं० 46, विधान सभा भवन, कलकत्ता में 11.30 बजे से 13.30 बजे तक और पुनः 15.00 बजे से 18.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री डी० के० नायकर —सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री रास बिहारी बहेरा
3. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी
4. श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव
5. श्री आर० के० महालगी
6. श्रीमती गीता मुखर्जी
7. श्री के० एस० नारायण
8. श्री रामप्यारे पनिका
9. श्री बापूसाहिब परूलेकर
10. श्री काजी सलीम
11. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत
12. श्री आर० एस० स्पैरो
13. श्री त्रिलोक चन्द्र
14. श्री वी० एस० विजयराघवन

राज्य सभा

15. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
16. श्री रामचन्द्र भारद्वाज
17. श्री धूलेश्वर मीणा

18. श्री वी० पी० मुनुसामी
19. श्री इरा सेझियान
20. श्री हुक्म देव नारायण यादव

सचिवालय

श्री राम किशोर--वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री एस० बी० शरण--संयुक्त सचिव
श्री एस० सी० बबलानी--अवर सचिव

2. निम्नलिखित महिला संगठनों और स्वैच्छिक सामाजिक संगठनों आदि का मौखिक साक्ष्य समिति द्वारा सुने जाने से पहले, सभापति ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अधीन अध्यक्ष महोदय के निदेशों के निदेश 58 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया :

एक. 1. नेशनल फेडरेशन आफ इण्डियन वीमेन, कलकत्ता

प्रवक्ता :

1. श्रीमती रानी दास गुप्ता
2. श्रीमती सेवा बन्धोपाध्याय
3. श्रीमती मीना दास गुप्ता

(11.30 बजे से 12.05 बजे तक)

दो. पश्चिम बंग महिला समिति, कलकत्ता

प्रवक्ता :

1. श्रीमती वीना गुहा
2. श्रीमती विद्या मुंशी

(12.05 बजे से 12.45 बजे तक)

तीन. (क) आल बंगाल वीमेन्स यूनियन, कलकत्ता

प्रवक्ता :

1. श्रीमती रोमाला सिन्हा
2. कुमारी मीना दत्ता गुप्ता

(ख) आल इण्डिया वीमेन्स, कान्फ्रेन्स, कलकत्ता
नेशनोपोलिटन आन्ध्र, कलकत्ता

प्रवक्ता :

1. श्रीमती मनी सिन्हा
2. श्रीमती अशोक गुप्ता

(ग) दि वीमेन्स कोआर्डीनेटिंग काउंसिल, कलकत्ता

प्रवक्ता :

1. श्रीमती बिजली घोष
2. श्रीमती आलोक मित्र

(12.45 बजे से 13.30 बजे तक)

तत्पश्चात् 15.00 बजे पुनः समवेत होने तक समिति की बैठक स्थगित हुई।

3. समिति की बैठक पुनः समवेत हुई और 15.00 बजे से 18.00 बजे तक निम्नलिखित संगठनों/ऐसोसियेशनों के मौखिक साक्ष्य की सुनवाई प्रारम्भ की। निम्नलिखित व्यक्तियों का मौखिक साक्ष्य समिति द्वारा सुने जाने से पहले, सभापति ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अधीन अध्यक्ष महोदय के निदेशों के निदेश 58 में अंतर्विष्ट उपबंधों की ओर उनका ध्यान दिलाया।

(चार) (क) दि इण्डियन जर्नलिस्ट्स एसोसियेशन, कलकत्ता

प्रवक्ता :

श्री ललित मोहन बनर्जी

(ख) दि कलकत्ता प्रेस क्लब, कलकत्ता

प्रवक्ता :

श्री मृत्युंजय चट्टोपाध्याय

(ग) कलकत्ता जर्नलिस्ट क्लब, कलकत्ता

प्रवक्ता :

1. श्री निरंजन सेन गुप्ता
2. श्री सत्येन देव मलिक

(15.00 बजे से 16.15 बजे तक)

(पांच) (क) दि बार कौंसिल आफ वेस्ट बंगाल, कलकत्ता

प्रवक्ता :

श्री एम॰ जी॰ मुखर्जी, सदस्य एवं वरिष्ठ वकील

(ख) दी मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, कलकत्ता

प्रवक्ता :

श्री देवेन मुखर्जी, एडवोकेट

(ग) श्री तारापद लाहिड़ी, वरिष्ठ वकील, अलीपुर बार ऐसोसियेशन अलीपुर,

(16.15 बजे से 18.00 बजे तक)

साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक गुरुवार, 15 अक्तूबर, 1981 को 10.00 बजे विधान सभा भवन, कलकत्ता में पुनः समवेत होने के लिये स्थगित हुई।

सत्रहवीं बैठक

15-10-1981

समिति की बैठक गुरुवार, 15 अक्तूबर, 1981 को 10.00 बजे से 13.20 बजे तक कमरा नं० 46, विधान सभा भवन, कलकत्ता में हुई ।

उपस्थित

श्री टी० के० नायकर--सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री रास बिहारी बहेरा
3. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी
4. श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव
5. श्री आर० के० म्हालगी
6. श्रीमती गीता मुखर्जी
7. श्री के० एस० नारायण
8. श्री राम प्यारे पनिका
9. श्री बापूसाहिब परूलेकर
10. श्री काजी सलीम
11. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत
12. श्री आर० एस० स्पैरो
13. श्री त्रिलोक चन्द
14. श्री वी० एस० विजयराघवन
15. श्री पी० वेंकटसुब्बैया

राज्य सभा

16. श्री लाल कृष्ण आडवानी
17. श्री रामचन्द्र भारद्वाज
18. श्री अमर प्रसाद चक्रवर्ती
19. श्री बी० इब्राहीम
20. श्री धूलेश्वर मीणा
21. श्री वी० पी० मुनुसामी
22. श्री लीओनार्ड सोलोमन सारिंग
23. श्री ईरा सेझियान
24. श्री हुक्मदेव नारायण यादव

सचिवालय

श्री राम किशोर--वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री एस० वी० शरण--संयुक्त सचिव

श्री एस० सी० · · · नी--अवर सचिव

2. समिति द्वारा निम्नलिखित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिये जाने से पहले सभापति ने उनका ध्यान लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की ओर दिलाया।

एक. मणिपुर राज्य सरकार

प्रवक्ता

1. श्री आई० विजय सिंह—विधि सचिव
2. श्री ए० सुकुमार सिंह—अवर सचिव (विधि)

(10.00 बजे से 10.35 बजे तक)

दो. त्रिपुरा राज्य सरकार

प्रवक्ता

श्री एच० दास—सचिव (विधि)

(10.35 बजे से 11.15 बजे तक)

तीन. असम राज्य सरकार

प्रवक्ता

1. श्री सी० डी० त्रिपाठी, आयुक्त-व-सचिव, गृह विभाग
2. श्री डी० सी० शर्मा—सचिव, न्यायिक विभाग

(11.15 बजे से 11.50 बजे तक)

चार. पश्चिम बंगाल राज्य सरकार

प्रवक्ता

1. श्री राजेन्द्र बैनर्जी—न्यायिक सचिव
2. श्री ए० के० बैनर्जी—विशेष सचिव, गृह विभाग
3. श्री ए० सी० सेनगुप्त—संयुक्त सचिव (न्यायिक)

(11.50 बजे से 13.20 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक इटानगर में शनिवार 17 अक्तूबर, 1981 को 10.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

अठारहवीं बैठक

17-10-1981

समिति की बैठक शनिवार, 17 अक्तूबर, 1981 को 10.00 बजे से 13.30 बजे तक महिला इमदाद भवन, इटा नगर में हुई।

उपस्थित

श्री डी० के० नायकर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री रासबिहारी बहेरा
3. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी
4. श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव
5. श्री आर० के० महालगी
6. श्रीमती गीता मुखर्जी
7. श्री के० एस० नारायण
8. श्री बापू साहिब पारूलेकर
9. श्री काज़ी सलीम
10. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत
11. श्री आर० एस० स्पैरो
12. श्री त्रिलोक चन्द
13. श्री वी० एस० विजयराघवन

राज्य सभा

14. श्री रामचन्द्र भारद्वाज
15. श्री अमर प्रसाद चक्रवर्ती
16. श्री बी० इब्राहीम
17. श्री धूलेश्वर मीणा
18. श्री वी० पी० मुनुस्वामी
19. श्री लीयोनार्ड सोलोमन सारिंग
20. श्री हुकमदेव नारायण यादव

सचिवालय

श्री राम किशोर—वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री एस० पी० शरण— संयुक्त सचिव

श्री एस० सी० बबलानी—अवर सचिव

2. समिति द्वारा निम्नलिखित महिला तथा स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों, समाज कल्याण बोर्ड, प्रैस संगठनों के प्रतिनिधियों और व्यक्तियों आदि का मौखिक साक्ष्य लिए जाने से पहले सभापति ने उनका ध्यान लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों के निदेश 58 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की ओर दिलाया :

एक. समाज कल्याण बोर्ड, इटानगर,

प्रवक्ता

1. श्रीमती ओमन देवरी, अध्यक्ष
2. श्रीमती यारी दोलोम, सामाजिक कार्यकर्ता

(10.00 बजे से 10.40 बजे तक)

दो. श्री जे० के पंगगैम, अधिवक्ता

(10.40 बजे से 10.50 बजे तक)

तीन. (क) श्री जे० के० खरगोरिया, यू० एन० आई० के प्रतिनिधि

(ख) श्री आर० बी० राय, हिन्दुस्तान समाचार के प्रतिनिधि

(10.50 बजे से 11.25 बजे तक)

चार. श्री टोमो रिब्बा, विधायक

(विपक्ष के नेता, अरुणाचल विधान सभा)

(11.25 से 12.00 बजे तक)

पांच. अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार, ईटानगर

प्रवक्ता

1. श्री आर० के० पतिर, मुख्य सचिव
2. श्री जे० एम० श्रीवास्तव, सचिव (विधि)
3. श्री सी० के० रैना, अतिरिक्त सहायक आयुक्त (साथ में)
4. श्री एम० के० माथुर, सचिव अरुणाचल प्रदेश विधान सभा

(12.00 बजे से 13.00 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक सोमवार, 19 अक्तूबर, 1981 को 15.00 बजे पटना में पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

उन्नीसवीं बैठक

19-10-1981

समिति की बैठक सोमवार, 19 अक्तूबर, 1981 को बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के सदस्यों के अध्ययन कक्ष में 15.15 बजे से 17.45 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री डी० के० नायकर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री रास बिहारी बहेरा
3. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी
4. श्रीमती माधुरी सिंह
5. श्री आर० के० म्हालगी
6. श्रीमती गीता मुखर्जी
7. श्री के० एस० नारायण
8. श्री बापूसाहिब परुलेकर
9. श्री काजी सलीम
10. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत
11. श्री आर० एस० स्पैरो

12. श्री त्रिलोक चन्द
13. श्री बी० एस० विजयराघवन

राज्य सभा

14. श्री रामचन्द्र भारद्वाज
15. श्री अमर प्रसाद चक्रवर्ती
16. श्री बी० इब्राहीम
17. श्री धूलेश्वर मीणा
18. श्री वी० पी० मुथु स्वामी
19. श्री लियोनार्ड सोलोमन सारिंग
20. श्री हुक्मदेव नारायण यादव

सचिवालय

श्री राम किशोर——वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री एस० बी० शरण——संयुक्त सचिव

श्री एस० सी० बबलानी——अवर सचिव

2. समिति द्वारा निम्नलिखित महिलाओं के तथा स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों आदि का मौखिक साक्ष्य सुने जाने के पूर्व सभापति ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों के निदेश सं० 58 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की ओर सदस्यों का ध्यान दिलाया :

1. डा० रामराज प्रसाद सिंह—विधायक
   (15.15 बजे से 16.05 बजे तक)
2. श्रीमती सुकुमारी देवी, विधायक
   (16.05 बजे से 17.10 बजे तक)
3. बिहार महिला समाज

   प्रवक्ता :

   (1) श्रीमती कनक राय

   (2) श्रीमती राज कुमारी शबनम

   (17.10 बजे से 17.45 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड भी रखा गया है।

तत्पश्चात् समिति की बैठक मंगलवार, 20 अक्तूबर, 1981 को 9.00 बजे बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना में सदस्यों के अध्ययन कक्ष में पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हो गई।

बीसवीं बैठक

20-10-1982

समिति की बैठक मंगलवार, 20 अक्तूबर, 1981 को राज्य विधान सभा भवन, पटना में, सदस्यों के अध्ययन कक्ष में 9.10 बजे से 12.25 बजे तक तथा पुनः 14.40 बजे से 15.45 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री डी० के० नायकर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री रास बिहारी बहेरा
3. श्रीमती माधुरी सिंह
4. श्री आर० के० महालगी
5. श्री बापू साहिब परुलेकर
6. श्री काजी सलीम
7. श्री आर० एस० स्पैरो
8. श्री त्रिलोक चन्द
9. श्री वी० एस० विजयराघवन

राज्य सभा

10. श्री रामचन्द्र भारद्वाज
11. श्री अमरप्रसाद चक्रवर्ती
12. श्री बी० इब्राहिम
13. श्री धूलेश्वर मीणा
14. श्री वी० पी० मुनुस्वामी
15. श्री हुकुमदेव नारायण यादव

सचिवालय

श्री राम किशोर——वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी ।

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री एस० बी० शरण—संयुक्त सचिव

2. समिति द्वारा बिहार राज्य सरकार के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य सुने जाने के पूर्व सभापति ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों के निदेश संख्या 58 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की ओर सदस्यों का ध्यान दिलाया ।

1. बिहार राज्य सरकार

प्रवक्ता :

(1) श्री पी० पी० नायर
मुख्य सचिव

(2) श्री आर० एन० दास,
गृह सचिव

(3) श्री ए० पी० सिन्हा
वित्त सचिव

(4) श्री फजल अहमद
पुलिस महानिरीक्षक

(5) श्री कैलाशपति
अतिरिक्त महा निरीक्षक (सी० आई० डी०)

(09.10 बजे से 12.00 बजे तक)

2. पटना महिला कालेज, पटना विश्वविद्यालय, पटना

प्रवक्ता :

(1) श्रीमती सुनीता चौधरी

(2) श्रीमती निधि सिन्हा

(12.00 बजे से 12.15 बजे तक)

3. श्रीमती रमणीक गुप्ता, विधायक

(12.15 बजे से 12.25 बजे तक)

तत्पश्चात् समिति की बैठक 14.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हो गई।

3. समिति 14.40 बजे पुनः समवेत हुई और उसमें निम्नलिखित महिलाओं के सामाजिक संगठनों तथा व्यक्तियों आदि के मौखिक साक्ष्य को सुनना आरम्भ किया, सभापति ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों के निदेश सं० 58 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की ओर सदस्यों का ध्यान दिलाया :

4. समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, पटना

प्रवक्ता :

(1) श्रीमती अनुसुइया जायसवाल —अध्यक्ष

(2) श्रीमती मुकुल झा—उपाध्यक्ष

(14.20 बजे से 14:55 बजे तक)

5. आल इंडिया वीमेन्स कांफ्रेंस, पटना

प्रवक्ता :

डा० (श्रीमती) ऊषा सिन्हा, अध्यक्ष

(15.00 बजे से 15.15 बजे तक)

6. (क) सईद शमशेर रहमान, सरकारी वकील

(ख) श्री सिद्धेश्वरी प्रसाद सिंह, वरिष्ठ एडवोकेट

(15.15 बजे से 15.30 बजे तक)

7. (1) श्री यू० एन० सिन्हा, आई० ए० एस० (सेनानिवृत्त)

(2) श्रीमती राधिका देवी, भूतपूर्व विधायक

(15.30 बजे से 15.45 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

4. तत्पश्चात समिति की बैठक बुधवार, 22 अक्तूबर, 1981 को 10.00 बजे, भुवनेश्वर में समवेत होने के लिए स्थगित हो गई।

इक्कीसवीं बैठक

22-10-1981

समिति की बैठक गुरुवार, 22 अक्तूबर, 1981 को 10.00 बजे से 12.25 बजे तक कान्फ्रेंस हाल, उड़ीसा सचिवालय, भुवनेश्वर में हुई।

उपस्थित

श्री डी० के० नायकर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री रास बिहारी बहेरा
3. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी
4. श्रीमती गीता मुखर्जी
5. श्री के० एस० नारायण
6. श्री त्रिलोक चन्द
7. श्री बी० एस० विजयराघवन
8. श्री पी० वेंकटसुब्बैया

राज्य सभा

9. श्री रामचन्द्र भारद्वाज
10. श्री भ्रमर प्रसाद चक्रवर्ती
11. श्री बी० इब्राहीम
12. श्री धूलेश्वर मीणा
13. श्री बी० पी० मुनुस्वामी
14. श्री हुक्मदेव नारायण यादव

सचिवालय

श्री राम किशोर—वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी।

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री एस० सी० वबलानी—अवर सचिव।

2. समिति द्वारा निम्नलिखित महिला तथा स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों आदि के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिये जाने से पूर्व सभापति ने उनका ध्यान लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की ओर दिलाया :—

एक. कांग्रेस (आई) महिला शाखा कटक

प्रवक्ता :

(एक) श्रीमती इन्दिरा मिश्रा
(दो) श्री बसन्त के० बहेरा, एडवोकेट
(तीन) श्रीमती ममता दास, एडवोकेट
(चार) श्री जे० के० पटनायक, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट
(10.00 बजे से 11.05 बजे तक)

दो. राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, भुवनेश्वर

प्रवक्ता :

(एक) डा० (श्रीमती) क्षेत्रारानी दत्त, चेयरमैन

(दो) श्रीमती अपला मित्रा, सामाजिक कार्यकर्त्री, भुवनेश्वर
(11.05 बजे से 11.15 बजे तक)

तीन. उत्कल महिला समिति, कटक

प्रवक्ता :

(एक) डा० निरुपमा रथ

(दो) श्रीमती नवनीता राय

(तीन) श्रीमती नीरोद प्रभा पटनायक

(चार) श्रीमती शान्तिलता भूयान

(पांच) श्रीमती चन्द्रप्रभा पटनायक

(11.15 बजे से 12.05 बजे तक)

चार. उड़ीसा नारी सेवा संघ, कटक

प्रवक्ता :

(एक) डा० ज्योत्सना डे

(दो) श्रीमती पद्मालया दास

(12.05 बजे से 12.20 बजे तक)

पांच. प्रजातन्त्र कटक—2

प्रवक्ता :

(एक) श्री चन्द्रशेखर महापात्र, सम्पादक

(दो) श्री सरोज रंजन महन्ती

(12.20 बजे से 12.35 बजे तक)

छ. उत्कल जर्नलिस्ट एसोसिएशन (इण्डियन फैडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट से सम्बद्ध, भुवनेश्वर

प्रवक्ता :

श्री एन० के० स्वामी—प्रेजीडेंट

(12.35 बजे से 12.55 बजे तक)

3. साक्ष्य का श्रव्यदृश्य रिकार्ड रखा गया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक शुक्रवार, 23 अक्तूबर, 1981 को 09.00 बजे कान्फ्रेंस हाल, उड़ीसा सचिवालय भवन, भुवनेश्वर में पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

बाईसवीं बैठक

23-10-1981

समिति की बैठक शुक्रवार, 23 अक्तूबर, 1981 को कान्फ्रेंस हाल, उड़ीसा सचिवालय भुवनेश्वर में 09.00 बजे से 11.45 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री डी. के. नायकर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री रास बिहारी बहेरा
3. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी
4. श्रीमती सुशीला गोपालन
5. श्रीमती गीता मुखर्जी
6. श्री के० एस० नारायण
7. श्री बापूसाहिब पल्लेकर
8. प्रो० निर्मला कुमारी सप्तावत
9. श्री त्रिलोक चन्द्र
10. श्री पी० वेंकटसुब्बया

राज्य सभा

11. श्री रामचन्द्र भारद्वाज
12. श्री अमरप्रसाद चक्रवर्ती
13. श्री बी० इब्राहीम
14. श्री धूलेश्वर मीणा
15. श्री बी० पी० मुनुसामी
16. श्री हुकमदेव नारायण यादव

सचिवालय

श्री राम किशोर—वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री ए० सी० बबलानी—अवर सचिव

2. समिति द्वारा उड़ीसा सरकार/व्यक्तियों आदि के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेना प्रारंभ करने से पूर्व सभापति ने उनका ध्यान लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 में अंतर्विष्ट उपबंधों की ओर दिलाया :—

एक. उड़ीसा राज्य सरकार

प्रवक्ता

(एक) श्री गोविन्द दास महाभिवक्ता

(दो) श्री कृष्ण प्रसाद मोहपात्र, विधि सचिव

(तीन) श्री नरसिम्हा स्वेन, आई० पी० एस० पुलिस महानिरीक्षक

(चार) श्री सुधांशु मोहन पटनायक आई० ए० एस० अतिरिक्त सचिव गृह विभाग
(09.00 से 11.30 बजे तक)

दो. श्रीमती जयन्ती पटनायक, संसद सदस्य
(11.30 बजे से 11.45 बजे तक)

3. साक्ष्य का अक्षरशः रिकार्ड रखा गया।

4. तत्पश्चात् समिति की बैठक नयी दिल्ली में सोमवार, 2 नवंबर, 1981 को 11.00 बजे पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित हुई ।

तेईसवीं बैठक

2-11-1981

समिति की बैठक सोमवार, 2 नवम्बर, 1981 को समिति कमरा "बी" संसदीय सौध, नई दिल्ली में 11.15 से 13.00 बजे तक तथा पुन: 15.00 से 17.35 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री डी० के० नायकर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री रास बिहारी बहेरा
3. श्रीमती गुरबिन्दर कौर बरार
4. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी
5. श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव
6. श्रीमती सुशीला गोपालन
7. श्रीमती मोहसिना किदवई
8. श्री आर० के० म्हालगी
9. श्रीमती गीता मुखर्जी
10. श्री के० एस० नारायण
11. श्री राम प्यारे पनिका
12. श्री काजी सलीम
13. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत
14. श्री एस० सिंगारावाडीवेल
15. श्री त्रिलोक चन्द
16. श्री वी० एस० विजय राघवन
17. श्री पी० वैंकटसुब्बया

राज्य सभा

18. श्री लाल कृष्ण आडवानी
19. श्री रामचन्द्र भारद्वाज
20. श्री श्रीधर वासुदेव धाबे
21. श्री बी० इब्राहिम
22. श्री भुवनेश्वर मीणा
23. श्री सुरेन्द्र मोहन्ती
24. श्री वी० पी० मुनुसामी
25. श्री एरा सेझियन
26. श्री हुकम देव नारायण यादव

सचिवालय

श्री राम किशोर—वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी—

विधायी परामर्शदाता

श्रीमती वी० एम० रामा देवी—संयुक्त सचिव एवं विधायी

परामर्शदाता

डा० रघुबीर सिंह—सहायक विधायी परामर्शदाता

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री एस० बी० शरण—संयुक्त सचिव

2. निम्नलिखित महिला तथा स्वैच्छिक सामाजिक संगठनों आदि के मौखिक साक्ष्य सुनने से पूर्व, सभापति ने लोक सभा के प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों के निदेश 58 में अंतर्विष्ट उपबंधों की ओर उनका ध्यान दिलाया।

एक. स्त्री संघर्ष, नई दिल्ली

प्रवक्ता :

(एक) श्री राधाकुमार

(दो) श्री ईन लाल

(तीन) श्री जैनिका महादेवन

(11.15 से 12.20 बजे तक)

(दो) कार्मिक, नई दिल्ली

प्रवक्ता :

(एक) श्री उर्वशी बुटालिया

(दो) श्री अर्चना संत

(12.20 से 13.00 बजे तक)

तत्पश्चात् समिति की बैठक 15.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

3. समिति की पुन: बैठक हुई और 15.00 बजे से 17.35 बजे तक निम्नलिखित संगठनों/संघों के मौखिक साक्ष्य सुने गए। निम्नलिखित व्यक्तियों के मौखिक साक्ष्य सुनने से पूर्व सभापति ने लोक सभा के प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों के निदेश 58 में अंतर्विष्ट उपबंधों की ओर ध्यान दिलाया :

तीन. दिल्ली विश्वविद्यालय

(विधि संकाय)

प्रवक्ता :

(एक) प्रो० (श्रीमती) लोतिका सरकार

(दो) श्री रघुनाथ बी० केलकर

(तीन) डा० उपेन्द्र बक्शी, प्रोफेसर ऑफ लॉ

(15.00 से 16.50 बजे तक)

चार. विमेन्स लायर्स फोरम, दिल्ली शाखा

(एक) श्रीमती सुनन्दा भंडारे

एडवोकेट, उच्चतम न्यायालय,

मेम्बर मैन, वीमन ऐंड कमेटी

(दो) श्रीमती (डा०) रजिया दोषी

मानवीय सचिव, मिल्ड ग्राफ सर्विस

(16.50 से 17.35 बजे तक)

साक्ष्य का शब्दश: रिकार्ड रखा गया।

तत्पश्चात समिति की बैठक मंगलवार, 3 नवम्बर, 1981 को समिति कमरा "बी", संसदीय सौध, नई दिल्ली में 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

चौबीसवीं बैठक

31–11–1982

समिति की बैठक मंगलवार, 3 नवम्बर, 1981 को 11.45 बजे से 13.45 बजे तक और फिर 15.00 बजे से 17.45 बजे तक संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री डी० के० नायकर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री रास बिहारी बेहरा
3. श्रीमती गुरबिन्दर कौर बरार
4. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी
5. श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव
6. श्रीमती सुशीला गोपालन
7. श्रीमती माधुरी सिंह
8. श्रीमती गीता मुखर्जी
9. श्री के० एस० नारायण
10. श्री काजी सलीम
11. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत
12. श्री एस० सिंगारावाडी बेग
13. श्री त्रिलोक चन्द
14. श्री बी० एस० विजयराघवन
15. श्री पी० वेंकटसुब्बया

राज्य-सभा

16. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
17. श्री राम चन्द्र भारद्वाज
18. श्री अमर प्रसाद चक्रवर्ती
19. श्री श्रीधर वासुदेव धाबे
20. श्री बी० इब्राहिम

21. श्री भूलेश्वर मीणा

22. श्री वी० पी० मुनुसामी

23. श्री एरा सेझियान

24. श्री हुक्मदेव नारायण यादव

सचिवालय

श्री राम किशोर—वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

विधायी परामर्शदाता

श्रीमती वी० एस० रमा देवी—संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता

डा० रघुबीर सिंह—सहायक विधायी परामर्शदाता

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री एस० वी० शरण—संयुक्त सचिव

2. सर्वप्रथम कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि महिला तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के विचार सुनने के लिए समिति को अपनी बैठकें राजस्थान और गुजरात में करनी चाहिएं। प्रस्तावित विधान के अधिनियमन के महत्व और अत्यावश्यकता पर जोर देते हुए सभापति महोदय ने इच्छा व्यक्त की कि समिति को सौंपे गए कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा कर लिया जाए। तदनुसार, समिति ने यह निर्णय किया कि विधेयक पर खण्डवार विचार करने के लिए उसकी बैठकें 16 से 19 नवम्बर, 1981 तक की जायें। समिति ने यह भी निर्णय किया कि यदि सदस्य विधेयक के बारे में संशोधन देना चाहें तो 12 नवम्बर, 1981 तक तत्संबंधी सूचना इस सचिवालय को भेज सकते हैं।

3. समिति द्वारा निम्नलिखित महिला सामाजिक संगठनों, व्यक्तियों आदि का मौखिक साक्ष्य लेने से पूर्व सभापति ने उनका ध्यान लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों के निदेश 58 में अंतर्विष्ट उपबंधों की ओर दिलाया :

एक. श्री के० एफ० रुस्तमजी

(11.30 बजे से 13.00 बजे तक)

दो. आल इण्डिया कोआर्डिनेशन कमेटी आफ वर्किंग वीमेन, नई दिल्ली (इण्डियन ट्रेड यूनियन का केन्द्र)

प्रवक्ता :

(एक) कुमारी आर० वैगई

(दो) श्रीमती किट्टी मेनन

(तीन) श्रीमती विन्धा करात

(13.10 बजे से 13.30 बजे तक)

तीन. नेशनल फेडरेशन आफ इण्डियन वीमेन, नई दिल्ली

प्रवक्ता :

(एक) श्रीमती विमला फारूकी

(दो) श्रीमती मनमोहिनी सहगल

(तीन) श्रीमती प्रमिला लूम्बा

(13.30 बजे से 13.45 बजे तक)

तत्पश्चात् समिति की बैठक 15.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

4. समिति पुन: समवेत हुई और 15.00 बजे से 17.45 बजे तक मौखिक साक्ष्य लिया। समिति द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों का साक्ष्य लेने से पूर्व सभापति ने उनका ध्यान लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों के निदेश 58 में अंतर्विष्ट उपबंधों की ओर दिलाया :

चार. श्री राम जेठमलानी, संसद सदस्य
(15.00 बजे से 15.50 बजे तक)

पांच. श्री सी० आर० ईरानी,
चेयरमैन,
प्रेस फ्रीडम सब-कमेटी
दि इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूज़पेपर सोसायटी,
नई दिल्ली।
(15.50 बजे से 16.30 बजे तक)

छ: श्रीमती श्यामला पप्पू,
सीनियर एडवोकेट,
भारत का उच्चतम न्यायालय।
(16.30 बजे से 16.50 बजे तक)

सात. दिल्ली प्रशासन, दिल्ली

प्रवक्ता :

(एक) श्री जी० के० दास, आई०ए०एस०
सचिव (गृह)

(दो) श्री जोगेश्वर प्रसाद
सचिव (विधि और न्याय)
(17.10 से 17.25 बजे तक)

आठ. तमिलनाडु सरकार

प्रवक्ता :

(एक) थिरु एस० वाडिवेलु,
सचिव, तमिलनाडु सरकार (विधि विभाग)

(दो) थिरु के० चोकालिंगम,
द्वितीय सचिव और गृह सचिव
(17.25 बजे से 17.45 बजे तक)

5. साक्ष्य का शब्दश: रिकार्ड रखा गया।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

पच्चीसवीं बैठक

16-11-1981

समिति की बैठक सोमवार, 16 नवम्बर, 1981 को 11.30 बजे से 13.15 बजे और पुन: 15.10 बजे से 17.10 बजे तक समिति कमरा "बी", संसदीय सौध, नयी दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री डी० के० नायकर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती गुरबिन्दर कौर ब्रार
3. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी
4. श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव
5. श्रीमती सुशीला गोपालन
6. श्रीमती मोहसिना किदवई
7. श्रीमती गीता मुखर्जी
8. श्री के० एस० नारायण
9. श्री बापूसाहिब पल्लेकर
10. श्री काजी सलीम
11. प्रो० निर्मला कुमारी सक्तावत
12. श्री आर० एस० स्पैरो
13. श्री त्रिलोक चन्द
14. श्री पी० वेंकटसुब्बया

राज्य सभा

15. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
16. श्री रामचन्द्र भारद्वाज
17. श्री श्रीधर वासुदेव धर्मे
18. श्री धूलेश्वर मीणा
19. श्री सुरेन्द्र मोहन्ती
20. श्री ईरा सेझियान

सचिवालय

श्री राम किशोर —वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

विधायी परामर्शदाता

1. श्रीमती बी० एस० रामादेवी —संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता
2. डा० रघुवीर सिंह —सहायक विधायी परामर्शदाता
3. श्री आर० बी० अग्रवाल —उप-आयुक्तकार, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, विधायी विभाग (राजभाषा)

(सदस्य)

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री एस० बी० शरण—संयुक्त सचिव

2. सारंभ में कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि विधेयक पर खण्डवार विचार करने से पहले विधि आयोग के चेयरमैन के विचार जानने चाहियें। समिति ने इस सुझाव को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि उनके विचार विधि आयोग की चौरासीवीं रिपोर्ट में दिये गये हैं और उन्हीं पर यह संशोधन विधेयक आधारित है।

3. तत्पश्चात् समिति ने विधेयक पर खंडवार विचार शुरू किया और खंड 2 पर सामान्य चर्चा की ।

4. तत्पश्चात् समिति की बैठक 13.15 बजे पुन 15.00 बजे समवेत होने तक के लिए स्थगित हुई । इस खंड पर आगे विचार नहीं किया गया ।

5. इसके बाद समिति ने विधेयक के खंड 3 पर सामान्य चर्चा आरंभ की चर्चा पूरी नहीं हुई ।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक मंगलवार, 17 नवम्बर, 1981 को 10.00 बजे पुन: समवेत होने तक के लिये स्थगित हो गई ।

छब्बीसवीं बैठक

17-11-1981

समिति की बैठक मंगलवार, 17 नवम्बर, 1981 को 10.15 बजे से 13.30 बजे तक समिति कमरा "बी" संसदीय सौध, नयी दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री डी० के० नायकर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री के० अर्जूनन
3. श्री रास बिहारी बेहरा
4. श्रीमती गुरबिन्दर कौर ब्रार
5. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी
6. श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव
7. श्रीमती सुशीला गोपालन
8. श्रीमती गीता मुखर्जी
9. श्री के० एस० नारायण
10. श्री बापू साहिब पकलेकर
11. श्री काजी सलीम
12. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत
13. श्री आर० एस० स्पैरो
14. श्री त्रिलोक चन्द
15. श्री बी० एस० विजयराघवन
16. श्री पी० वेंकटसुब्बया

राज्य सभा

17. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
18. श्री रामचन्द्र भारद्वाज
19. श्री अमर प्रसाद चक्रवर्ती
20. श्री श्रीधर वासुदेव धावे
21. श्री धूलेश्वर मीणा

22. श्री सुरेन्द्र मोहन्ती

23. श्री बी० पी० मुनुसामी

24. श्री ईरा सेझियान

सचिवालय

श्री राम किशोर—वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

विधायी परामर्शदाता

1. श्रीमती बी० एस० रमा देवी —संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता

2. डा० रघुवीर सिंह —सहायक विधायी परामर्शदाता

3. श्री आर० बी० अग्रवाल—उप-आशुलेखाकार, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, विधायी विभाग (राज्यसभा स्कन्ध)

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री एस० बी० शरण—संयुक्त सचिव

2. समिति ने विधेयक के खंड 3 पर आगे सामान्य चर्चा की। चर्चा पूरी नहीं हुई।

3. अपराह्न समिति की बैठक बुधवार, 18 नवम्बर, 1981 को 10.00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिये स्थगित हो गई।

सत्ताईसवीं बैठक

18-11-1981

समिति की बैठक बुधवार, 18 नवम्बर, 1981 को 10.10 बजे से 12.50 बजे तक समिति कमरा "बी" संसदीय सौध, नयी दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री डी० के० नायकर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री रास बिहारी बेहरा

3. श्रीमती गुरबिंदर कौर ग्रेवाल

4. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी

5. श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव

6. श्रीमती सुशीला गोपालन

7. श्रीमती गीता मुखर्जी

8. श्री के० एस० नारायण

9. श्री बापु साहेब परुलेकर

10. श्री काजी सलीम

11. श्री आर० एम० स्पैरो

12. श्री त्रिलोक चन्द

13. श्री बी० एस० विजयराघवन

राज्य सभा

14. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
15. श्री रामचन्द्र भारद्वाज
16. श्री अमर प्रसाद चक्रवर्ती
17. श्री श्रीधर वासुदेव धाबे
18. श्री बी० इब्राहीम
19. श्री धूलेश्वर मीणा
20. श्री सुरेन्द्र मोहन्ती
21. श्री हुक्मदेव नारायण यादव

सचिवालय

श्री राम किशोर——वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी ।

विधायी परामर्शदाता

1. श्रीमती बी० एस० रमा देवी—संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता
2. डा० रघुबीर सिंह—सहायक विधायी परामर्शदाता
3. श्री आर० पी० अग्रवाल—उप-प्रारूपकार, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, विधायी विभाग (राजभाषा स्कन्ध) गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री एस० बी० शरण —संयुक्त सचिव

2. समिति ने विधेयक के खण्ड 3 पर आगे चर्चा की । चर्चा पूरी नहीं हुई ।

3. अपने भावी कार्यक्रम पर विचार करते समय समिति ने महसूस किया कि क्योंकि उसे अभी (एक) देश के विभिन्न भागों से समिति को प्राप्त ज्ञापनों में अंतर्विष्ट सभी सुझावों पर (दो) समिति के समक्ष विभिन्न साक्षियों द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करना है और सदस्यों ने जिन खण्डों के संशोधन के लिए नोटिस दिये हैं उन पर भी विचार करना है। इसलिए समिति के लिए यह संभव नहीं होगा कि वह अपना कार्य निर्धारित तिथि, अर्थात् 27 नवम्बर, 1981 तक समाप्त करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सके। अतः समिति ने निर्णय किया कि वह अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए बजट सत्र, 1982 के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक समय बढ़ाने का अनुरोध करें। समिति ने सभापति को, और उनकी अनुपस्थिति में श्री बापुसाहिब परूलेकर, संसद् सदस्य को इस संबंध में सभा में आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया ।

4. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

अट्ठाईसवीं बैठक

17-12-1981

समिति की बैठक गुरुवार, 17 दिसम्बर, 1981 को 15.30 बजे से 16.00 बजे तक समिति कमरा संख्या 62, संसद् भवन, नयी दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री डी० के० नायकर —सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती गुरबिंदर कौर बरार

3. श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव

4. श्रीमती गीता मुखर्जी

5. श्री के० एस० नारायण

6. श्री बापूसाहिब परुलेकर

7. श्री आर० एस० स्पैरो

8. श्री त्रिलोक चन्द

9. श्री पी० वेंकटसुबय्या

राज्य सभा

10. श्री लाल कृष्ण आडवाणी

11. श्री रामचन्द्र भारद्वाज

12. श्री श्रीधर वासुदेव धाबे

13. श्री धूलेश्वर मीणा

14. श्री ईरा सेझियान

15. श्री हुक्म देव नारायण यादव

सचिवालय

1. श्री सत्य देव कौड़ा—मुख्य विधायी समिति अधिकारी

2. श्री राम किशोर—वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

विधायी परामर्शदाता

1. श्रीमती वी० एस० रमादेवी—संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता

2. डा० रघुबीर सिंह—सहायक विधायी परामर्शदाता

3. श्री आर० बी० अग्रवाल—उप प्रारूपकार, विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय, विधायी विभाग (राजभाषा स्कन्ध)

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री एस० बी० शरण—संयुक्त सचिव

2. समिति ने अपने भावी कार्यक्रम पर विचार किया और विधेयक के खंडों पर सामान्य चर्चा पुनः आरम्भ करने के लिये अपनी आगामी बैठकें 21, 22, 23 और 25 जनवरी, 1982 को करने का निर्णय किया।

3. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

उन्तालीसवीं बैठक

21-1-1982

समिति की बैठक गुरुवार, 21 जनवरी, 1982 को समिति कमरा "सी", संसदीय सौध, नई दिल्ली में 11.00 बजे से 13.10 बजे तक और दुबारा 15.00 बजे से 17.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री डी० के० नायर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री रास बिहारी बेहेरा

3. श्रीमती गुरबिंदर कौर बरार
4. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी
5. श्रीमती सुशीला गोपालन
6. श्रीमती मोहसिना किदवई
7. श्रीमती गीता मुखर्जी
8. श्री काजी सलीम
9. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत
10. श्री आर० एस० स्पैरो
11. श्री त्रिलोक चन्द
12. श्री वी० एस० विजय राघवन
13. श्री पी० वेंकटसुबय्या

राज्य सभा

14. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
15. श्री रामचन्द्र भारद्वाज
16. श्री अमरप्रसाद चक्रवर्ती
17. श्री वी० इब्राहीम
18. श्री धूलेश्वर मीणा
19. श्री सुरेन्द्र महन्ती
20. श्री लियोनार्ड सोलोमन सेरिंग

सचिवालय

1. श्री सत्य देव कौड़ा—मुख्य विधायी समिति अधिकारी

विधायी परामर्शदाता

1. श्रीमती वी० एस० रामादेवी—संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता
2. श्री आर० वी० अग्रवाल—उप प्रारूपकार, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, विधायी विभाग (राजभाषा स्कन्ध)
3. डा० रघुवीर सिंह—सहायक विधायी परामर्शदाता

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री एस० वी० शरण —संयुक्त सचिव

2. समिति ने विधेयक के खंड 3 पर आगे चर्चा आरम्भ की।

3. तत्पश्चात् समिति की बैठक 15.00 बजे पुनः समवेत होने के लिये 13.10 बजे स्थगित हुई।

4. समिति ने विधेयक के खंड के ऊपर आगे चर्चा आरम्भ की। चर्चा समाप्त नहीं हुई थी।

5. समिति की बैठक शुक्रवार, 22 जनवरी, 1982 को 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित हुई।

बीसवीं बैठक

22—1—82

समिति की बैठक शुक्रवार, 22 जनवरी, 1982 को समिति कमरा "सी" संसदीय सौध, नयी दिल्ली में 11.00 बजे से 13.30 बजे तक और 15.00 बजे से 17.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री टी० के० नायर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री रास बिहारी बहेरा
3. श्रीमती गुरबिंदर कौर बरार
4. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी
5. श्रीमती सुशीला गोपालन
6. श्रीमती मोहसिना किदवई
7. श्रीमती गीता मुखर्जी
8. श्री के० एस० नारायण
9. श्री राम प्यारे पनिका
10. श्री बापू साहिब परुलेकर
11. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत
12. श्री आर० एस० स्पैरो
13. श्री त्रिलोक चन्द
14. श्री बी० एस० विजयराघवन

राज्य सभा

15. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
16. श्री रामचन्द्र भारद्वाज
17. श्री अमर प्रसाद चक्रवर्ती
18. श्री श्रीधर वासुदेव धाबे
19. श्री बी० इब्राहिम
20. श्री धूलेश्वर मीणा
21. श्री सुरेन्द्र महन्ती
22. श्री वी० पी० मुनुस्वामी
23. श्री सेयोमार्ड सोलोमन सारिंग
24. श्री हुकमदेव नारायण यादव

सचिवालय

श्री सत्यदेव कौड़ा—मुख्य विधायी समिति अधिकारी

विधायी परामर्शदाता

1. श्रीमती वी० एस० रमादेवी—संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदात्री

2. श्री आर० वी० अग्रवाल—उप-प्रारूपकार, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, विधायी विभाग, (राजभाषा स्कंध)

3. डा० रघुवीर सिंह—सहायक विधायी परामर्शदाता

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री एस० वी० शरन—संयुक्त सचिव

2. समिति ने विधेयक के खण्ड 3 पर आगे चर्चा प्रारम्भ की। इस खण्ड पर चर्चा समाप्त हुयी और खण्ड 4 पर चर्चा शुरू हुई।

3. तत्पश्चात् समिति की बैठक 15.00 बजे पुनः समवेत होने के लिये 13.30 बजे स्थगित हुई।

4. समिति ने अपने भविष्य के कार्यक्रम पर विचार किया और विधेयक पर खण्ड-वार विचार करने के लिये अगली बैठकें 8 से 11 फरवरी, 1982 तक करने का निर्णय लिया।

5. समिति ने विधेयक के खण्ड 4 से 8 पर चर्चा की। खण्ड 8 पर चर्चा समाप्त नहीं हुयी थी।

6. 23-1-1982 को गणतन्त्र दिवस परेड के पूर्ण पूर्वाभ्यास के कारण लगाये गये यातायात प्रतिबन्धों को देखते हुये समिति ने 23 जनवरी, 1982 को प्रातः 11.00 बजे से 13.00 बजे तक होने वाली अपनी बैठक को रद्द करने का निर्णय लिया।

7. तत्पश्चात् समिति की बैठक शनिवार 23 जनवरी, 1982 को 14.00 बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित हुयी।

इकतीसवीं बैठक

23-1-1982

समिति की बैठक शनिवार, 23 जनवरी, 1982 को 14.00 बजे से 16.00 बजे तक समिति कमरा "सी" संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री डी० के० नायकर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री रास बिहारी बहेरा
3. श्रीमती गुरबिन्दर कौर बरार
4. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी
5. श्रीमती सुशीला गोपालन
6. श्रीमती गीता मुखर्जी
7. श्री के० एस० नारायण
8. श्री बापूसाहिब परुलेकर
9. श्री एस० सिंगारावाडिवेल

10. श्री आर० एस० स्पैरो

11. श्री त्रिलोक चन्द

12. श्री बी० एस० विजयराघवन

13. श्री पी० वेंकटसुब्बया

राज्य सभा

14. श्री रामचन्द्र भारद्वाज

15. श्री श्रीधर वासुदेव धाबे

16. श्री बी० इब्राहम

17. श्री धूलेश्वर मीणा

18. श्री बी० पी० मुनुस्वामी

19. श्री हुक्मदेव नारायण यादव

सचिवालय

श्री सत्यदेव कौड़ा--मुख्य विधायी समिति अधिकारी

विधायी परामर्शदाता

1. श्रीमती बी० एस० रमादेवी--संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शदाती

2. श्री आर० बी० अग्रवाल---उप-प्राक्कथनकार, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, विधायी विभाग (राजभाषा स्कन्ध)

3. डा० रघुवीर सिंह---सहायक विधायी परामर्शदाता

गृह मंत्रालय का प्रतिनिधि

श्री एस० बी० शरण---संयुक्त सचिव

2. समिति ने विधेयक के खण्ड 8 पर आगे चर्चा आरम्भ की। चर्चा पूरी नहीं हुई।

3. तत्पश्चात् समिति की बैठक सोमवार 25 जनवरी, 1982 को 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित हुई।

बत्तीसवीं बैठक

25-1-1982

समिति की बैठक सोमवार, 25 जनवरी, 1982 को 11.00 बजे से 12.30 बजे तक समिति कमरा "सी" संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री डी० के० नायकर---सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री के० अर्जुन

3. श्री राम बिहारी बहेरा

4. श्रीमती गुरविन्दर कौर बराड़

5. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी

6. श्रीमती गीता मुखर्जी

7. श्री के० एस० नारायण
8. श्री बापूसाहिब परूलेकर
9. श्री काजी सलीम
10. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत
11. श्री एस० सिंगारावाडिवेल
12. श्री आर० एस० स्पैरो
13. श्री त्रिलोक चन्द
14. श्री बी० एस० विजयराघवन
15. श्री पी० वेंकटसुब्बया

राज्य सभा

16. श्री रामचन्द्र भारद्वाज
17. श्री श्रीधर वासुदेव धाबे
18. श्री धूलेश्वर मीणा
19. श्री सुरेन्द्र महन्ती
20. श्री बी० पी० मुनुस्वामी
21. श्री चिबोमाई सोलोमन सांगिय
22. श्री हुक्मदेव नारायण यादव

सचिवालय

श्री सत्यदेव कौड़ा—मुख्य विधायी समिति अधिकारी

विधायी परामर्श दाता

1. श्रीमती वी० एस० रमादेवी—संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शदाता
2. श्री आर० बी० अग्रवाल—उप प्रारूपकार, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, विधायी विभाग (राजभाषा स्कन्ध)
3. डा० रघुबीर सिंह—सहायक विधायी परामर्शदाता

गृह मंत्रालय का प्रतिनिधि

श्री एस० बी० शरण—संयुक्त सचिव

2. समिति ने विधेयक के खण्ड 8 पर आगे चर्चा आरम्भ की। चर्चा पूरी हुई।

3. समिति ने आज अपराह्न 15.00 बजे से 17.00 बजे तक होने वाली अपनी बैठक को रद्द करने का निर्णय किया।

4. समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार करने के लिये अपनी आगामी बैठकें 8 से 11 फरवरी, 1982 तक करने का भी निर्णय किया। यदि आवश्यक हुआ तो समिति की बैठक शुक्रवार, 12 फरवरी, 1982 को भी हो सकती है।

5. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

तैंतीसवीं बैठक

8-2-1982

समिति की बैठक सोमवार, 8 फरवरी, 1982 को समिति कमरा "बी" संसदीय सौध, नई दिल्ली में 11.00 से 13.00 बजे तक और फिर 15.00 से 17.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री डी० के० नायकर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री के० अर्जुनन
3. श्री रास बिहारी बहेरा
4. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी
5. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत
6. श्री आर० एस० स्पैरो
7. श्री त्रिलोक चन्द
8. श्री वी० एस० विजयराघवन
9. श्री पी० वेंकटसुब्बया

राज्य सभा

10. श्री राम चन्द्र भारद्वाज
11. श्री श्रीधर वासुदेव धाबे
12. श्री बुलेश्वर मीणा
13. श्री वी० पी० मुनुसामी
14. श्री लियोनार्ड सोलोमन सारिंग
15. श्री ईरा सेझियान
16. श्री हुक्मदेव नारायण यादव

सचिवालय

1. श्री सत्यदेव कौड़ा—मुख्य विधायी समिति अधिकारी
2. श्री एम० पी० अग्रवाल—वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

विधायी परामर्शदाता

1. श्रीमती वी० एस० रमा देवी—संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शदाता
2. श्री आर० वी० अग्रवाल—उप प्रारूपकार, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) राजकीय भाषा खंड
3. डा० रघुबीर सिंह — सहायक विधायी परामर्शदाता

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री पी० के० कऽपालिया—अपर सचिव

2. श्री एस० सी० बबलानी—अवर सचिव

2. आरम्भ में सभापति ने सदस्यों को उन सूचियों के जारी किये जाने के बारे में बताया जिनमें सदस्यों द्वारा संशोधनों के नोटिस दिये गये हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सूची एक में समेकित संशोधन है; सूची दो में समेकित सामान्य सुझाव हैं और सूची–तीन में लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त समेकित संशोधन/सामान्य सुझाव सम्मिलित हैं।

3. समिति ने यह निर्णय किया कि नई दिल्ली और अन्य स्थानों में समिति के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के अभिलेख मुद्रित किये जायें और सभा पटल पर रखे जाएं क्योंकि दोनों सभाओं के सदस्यों के लिये देश में हो रहे बलात्कारों के मामलों की बढ़ती समस्या के बारे में समाज के विभिन्न वर्गों की राय जानना लाभदायक होगा।

4. समिति ने तत्पश्चात् सदस्यों द्वारा दी गयी संशोधनों की सूचनाओं और सामान्य सुझावों के संदर्भ में उनके मत प्रतिपादित करने और एक निर्णय पर पहुंचने के लिए विधेयक के खण्ड 2 पर चर्चा की। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने अपने संशोधन पेश किये और उन पर चर्चा की गयी। बैठक से अनुपस्थित अन्य सदस्यों के संशोधन को प्राप्त किया गया समझा गया।

5. तत्पश्चात् समिति 13.00 बजे स्थगित हुयी और 15.00 बजे पुनः समवेत हुई।

6. समिति ने तत्पश्चात् विधेयक के खण्ड–3 पर विचार किया और बैठक में उपस्थित सदस्यों के संशोधनों पर विचार किया। इन संशोधनों पर चर्चा समाप्त नहीं हुई।

7. तत्पश्चात् समिति विधेयक पर खंडवार और आगे विचार करने के लिये मंगलवार, 9 फरवरी, 1982 को 11.00 बजे के बजाये 10.00 बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित हो गयी।

चौंतीसवीं बैठक

9–2–1982

समिति की बैठक मंगलवार, 9 फरवरी 1982 को समिति कमरा 'बी' संसदीय सौध, नयी दिल्ली में 10.00 बजे से 12.30 बज तक और फिर 15.00 बजे से 17.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री डी० आर० नायकर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री के० अर्जुनन

3. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी

4. श्रीमती सुशीला गोपालन
5. श्री के० एस० नारायण
6. श्री राम प्यारे पनिका
7. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत
8. श्री आर० एस० स्पैरो
9. श्री त्रिलोक चन्द
10. श्री वी० एस० विजयराघवन
11. श्री पी० वेंकट सुब्बया

राज्य सभा

12. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
13. श्री रामचन्द्र भारद्वाज
14. श्री अमर प्रसाद चक्रवर्ती
15. श्री श्रीधर वासुदेव धाबे
16. श्री बी० इब्राहीम
17. श्री धूलेश्वर मीणा
18. श्री सुरेन्द्र महंती
19. श्री बी० पी० मुनुसामी
20. श्री इरा सेझियान
21. श्री हुक्मदेव नारायण यादव

सचिवालय

1. श्री सत्यदेव कौड़ा—मुख्य विधायी समिति अधिकारी
2. श्री एम० जी० अग्रवाल—वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

विधायी परामर्शदाता

1. श्रीमती वी० एस० रमा देवी—संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता
2. श्री आर० बी० अग्रवाल—उप प्रारूपकार विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (राज भाषा विभाग)
3. डा० रघुबीर सिंह—सहायक विधायी परामर्शदाता

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री पी० के० कठपालिया—अवर-सचिव
2. श्री एस० पी० बबलानी—अवर सचिव

2. समिति ने तत्पश्चात सदस्यों द्वारा दी गई संशोधनों की सूचनाओं और सामान्य सुझावों के संदर्भ में उनकी राय प्रतिपादित करने और एक निर्णय पर पहुंचने के लिये विधेयक के खण्ड 3 पर और आगे विचार किया।

3. समिति 12.30 बजे स्थगित हुई और 15.00 बजे पुन: समवेत हुई।

4. समिति ने विधेयक के खण्ड 3 पर दिये गये संशोधनों पर पुन: विचार आरम्भ किया, किन्तु उस पर चर्चा समाप्त नहीं हुई।

5. तत्पश्चात समिति विधेयक पर खंडवार और आगे विचार करने के लिये बुधवार 10 फरवरी, 1982 को 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिये स्थगित हो गई।

पैंतीसवीं बैठक

10–2–1982

समिति की बैठक बुधवार, 10 फरवरी, 1982 को समिति कमरा "बी" संसदीय सौध, नई दिल्ली में 11.00 बजे से 13.00 बजे तक और दुबारा 15.00 बजे से 17.00 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री डी० के० नायकर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री के० अर्जुनन
3. श्रीमती सुशीला गोपालन
4. श्री के० एस० नारायण
5. श्री राम प्यारे पनिका
6. श्री एस० सिंगारावाडीवेल
7. श्री आर० एस० स्पैरो
8. श्री त्रिलोक चन्द्र
9. श्री वी० एस० विजयराघवन

राज्य सभा

10. श्री अमर प्रसाद चक्रवर्ती
11. श्री श्रीधर वासुदेव धाबे
12. श्री बी० इब्राहीम
13. श्री धूलेश्वर मीणा
14. श्री सुरेन्द्र महन्ती
15. श्री वी० पी० मुनुसामी
16. श्री लियोनार्ड सोलोमन सरिंग
17. श्री इरा सेझियान
18. श्री हुक्मदेव नारायण यादव

सचिवालय

श्री सत्यदेव कौड़ा—मुख्य विधायी समिति अधिकारी

विधायी परामर्शदाता

1. श्रीमती वी० एस० रमादेवी—संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शदाता
2. श्री आर० बी० अग्रवाल—उप प्रारूपकार, विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्यों का मंत्रालय (विधायी विभाग) (राजभाषा स्कंध)
3. डा० रघुबीर सिंह—सहायक विधायी परामर्शदाता

गृह मंत्रालय का प्रतिनिधि

श्री पी० के० कठपालिया—अतिरिक्त सचिव

2. समिति ने सदस्यों द्वारा प्रस्तुत आम सुझावों एवं संशोधनों सम्बन्धी सूचना के संदर्भ में विधेयक के खंड 3 पर और आगे चर्चा प्रारम्भ की।

3. तत्पश्चात् समिति की बैठक 1500 बजे पुनः समवेत होने के लिए 1300 बजे स्थगित हुई।

4. समिति ने इन संशोधनों पर चर्चा जारी रखी। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने अपने संशोधन पेश किये। समिति ने 5 संशोधनों (संशोधन सूची संख्या एक में दिये गये संशोधन संख्या 80, 84, 92, 93 एवं 94—देखिये अनुबंध पर आधारित उपयुक्त सुझावों को समिति के प्रतिवेदन में "सामान्य सुझावों" के रूप में समाविष्ट करने का निर्णय लिया। बैठक में अनुपस्थित सदस्यों के संशोधनों को पेश न किया गया माना गया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

5. समिति ने यह भी निर्णय लिया कि दिनांक 30 जून, एवं 1 जुलाई, 1981 को शिमला में हुई संयुक्त समिति की बैठक की कार्यवाही के देय, जो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त हुआ था, नष्ट कर दिया जाये क्योंकि अब उसकी आवश्यकता नहीं रह गई है।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक विधेयक पर आगे खंडवार विचार करने के लिए गुरुवार, 11 फरवरी, 1982 को 1100 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध

सामान्य सिफारिशें

(देखिए दिनांक 10-2-1982 के कार्यवाही सारांश का पैरा 4)

[सदस्यों द्वारा दी गई "संशोधनों" सम्बन्धी सूचनाओं की समेकित सूची की सूची सं० एक के उद्धरण, जिन्हें समिति ने प्रतिवेदन में "सामान्य सिफारिशों" के रूप में समाविष्ट करना स्वीकार कर लिया है।]

क्रमांक	सदस्य का नाम तथा संशोधन का पाठ	खण्ड संख्या
	श्री श्रीधर वासुदेव धाबे :	
80.	पृष्ठ 3,— पंक्ति 31 के पश्चात् "(खख) विकृत चित्त वाली स्त्री या नेत्रहीन या मूक तथा बधिर स्त्री या शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम स्त्री के साथ बलात्संग करेगा ; या" अन्तःस्थापित किया जाये।	3
	श्रीमती सुशीला गोपालन :	
84.	पृष्ठ 3, पंक्ति 32 के पश्चात् "(च) प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अपने अधीनस्थ स्त्री या प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अपना आर्थिक वर्चस्व होने पर भी स्त्री के साथ बलात्संग करेगा," अन्तःस्थापित किया जाये।	3

क्रमांक	सदस्य का नाम तथा संशोधन का पाठ	खण्ड संख्या

श्रीमती गीता मुखर्जी :

92. पृष्ठ 4,— 3

"पंक्ति 9" के पश्चात्—

"स्पष्टीकरण 4—जहां किसी स्त्री के साथ आर्थिक वर्चस्व या प्रभाव या नियंत्रण या प्राधिकार, जिसमें भूस्वामियों, अधिकारियों, प्रबन्धकीय कर्मिकों, ठेकेदारों, नियोजकों, तथा साहूकारों का वर्चस्व सम्मिलित हैं, के अन्तर्गत इनके द्वारा स्वयं या उसके भाड़े के व्यक्तियों द्वारा बलात्संग किया जाता है, वहां प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने इस उपधारा के अर्थ में सामूहिक बलात्संग किया है।" अन्तःस्थापित किया जाये।

श्री श्रीधर वासुदेव आप्टे :

93. पृष्ठ 4,— 3

"पंक्ति 9" के पश्चात्—

"(3) जो कोई गैर-सरकारी या सहकारी उपक्रम का नियोजक या कर्मचारी या शहरी तथा ग्रामीण, दोनों में से किसी क्षेत्र में भूस्वामी होते हुये अपने अधीनस्थ स्त्री के साथ बलात्संग करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, परन्तु न्यायालय पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में उल्लिखित किये जायेंगे, दोनों में से किसी भांति के कारावास का, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम किन्तु कम से कम पांच वर्ष की हो सकेगी, दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा।"

"स्पष्टीकरण :—इस उपधारा में प्रयुक्त शब्द नियोजक या प्रबन्धक का एजेन्ट, वरिष्ठ अधिकारी या ठेकेदार भी अभिप्रेत है।" अन्तःस्थापित किया जाये।

श्रीमती सुशीला गोपालन :

94. पृष्ठ 4,—

"पंक्ति 9" के पश्चात् —

"स्पष्टीकरण 4—जहां किसी स्त्री के साथ बलात्संग आर्थिक वर्चस्व के अन्तर्गत किया जाता है, वहां इसमें भूस्वामियों, ठेकेदारों, नियोजकों तथा साहूकारों द्वारा स्वयं या उसके भाड़े के व्यक्तियों के द्वारा बलात्संग किया जाना अभिप्रेत है।" अन्तःस्थापित किया जाये।

(छत्तीसवीं बैठक)

11-2-1982

समिति की बैठक गुरुवार, 11 फरवरी, 1982 को समिति कमरा "बी" संसदीय् सौध, नयी दिल्ली में 11.00 बजे से 13.00 बजे तक और 15.00 बजे से 17.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री डी० के० नायकर--सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी
3. श्रीमती सुशीला गोपालन
4. श्री के० एस० नारायण
5. श्री राम प्यारे पनिका
6. श्री आर० एस० स्पैरो
7. श्री त्रिलोक चन्द
8. श्री वी० एस० विजयराघवन
9. श्री पी० वेंकट सुब्बया

राज्य सभा

10. श्री रामचन्द्र भारद्वाज
11. श्री अमर प्रसाद चक्रवर्ती
12. श्री श्रीधर वासुदेव धाबे
13. श्री बी० इब्राहिम
14. श्री धूलेश्वर मीणा
15. श्री सुरेन्द्र महन्ती
16. श्री वी० पी० मुन्नू स्वामी
17. श्री लियोनार्ड सोलोमन सारिंग
18. श्री इरा सेझियान

सचिवालय

श्री सत्यदेव कोहा--मुख्य विधायी समिति अधिकारी

श्री एम० जी० अग्रवाल--वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

विधायी परामर्शदाता

1. श्रीमती वी० एस० रमादेवी--संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शदाता
2. श्री आर० बी० अग्रवाल --उप प्रारूपकार, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) (राजभाषा खंड)

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री पी० के० कठपालिया--- अपर सचिव
2. श्री एस० बी० सरन-- संयुक्त सचिव

2. आरम्भ में समिति ने अपने समक्ष कार्यक्रम का निर्धारण करते हुए यह महसूस किया कि चूंकि अभी उन्हें विधेयक पर खंडवार विचार करना है और उस की अन्य अवस्थाओं

को भी पूर्ण करना है । इसलिए समिति के लिए निर्धारित तिथि अर्थात् 19 फरवरी, 1982 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना संभव नहीं होगा । अतः समिति ने निर्णय किया कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए वर्षाकालीन सत्र के पूर्वानुतिम सप्ताह के अन्तिम दिन तक समय बढ़ाया जाये । तदनुसार सभापति को और उनकी अनुपस्थिति में श्री आर० एस० स्पैरो को सभा में इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया ।

3. समिति में तत्पश्चात् सदस्यों द्वारा दी गई संशोधनों की सूचनाओं तथा सामान्य सुझावों के संदर्भ में विधेयक के खण्ड 3 पर और आगे चर्चा प्रारम्भ की । बैठक में उपस्थित सदस्यों ने अपने संशोधन प्रस्तुत किये तथा उन पर चर्चा की गई । बैठक में अनुपस्थित अन्य सदस्यों के सुझावों को प्रस्तुत न किया गया समझा गया ।

4. समिति की बैठक 13.00 बजे स्थगित हुई तथा पुनः 15.00 बजे समवेत हुई ।

5. तत्पश्चात् समिति ने सदस्यों द्वारा दी गई संशोधनों की सूचनाओं और सामान्य सुझावों के संदर्भ में विधेयक के खण्ड 4 से 8 तक चर्चा प्रारम्भ की । बैठक में उपस्थित सदस्यों ने अपने संशोधन प्रस्तुत किये तथा उन पर चर्चा पूरी की गई । बैठक में अनुपस्थित अन्य सदस्यों के सुझावों को प्रस्तुत न किया गया समझा गया ।

6. समिति 4 "सामान्य सुझावों" (सामान्य सुझावों की सूची संख्या–दो में अन्तर्विष्ट संख्या 7, 24, 27 तथा 28—देखिए अनुबन्ध) पर आधारित उपयुक्त सुझावों को यद्यपि ये सुझाव विधेयक के विषय क्षेत्र से बाहर के संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में "सामान्य सिफारिशों" के रूप में समाविष्ट करने का निर्णय किया ।

7. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

अनुबन्ध

(देखिए दिनांक 11–2–1982 के कार्यवाही सारांश का पैरा 6)

(सदस्यों द्वारा दिए गए उन "सामान्य सुझावों" की समेकित सूची की सूची सं० दो के उद्धरण, जिन्हें समिति ने प्रतिवेदन में "सामान्य सिफारिशों" के रूप में समाविष्ट करने के लिए स्वीकृत किया]।

क्रमांक	सदस्य का नाम तथा सामान्य सुझाव का पाठ	खंड संख्या
1	2	3
***	***	***
	श्री लालकृष्ण आडवाणी : श्री बापूसाहिब पारलेकर : श्रीमती गीता मुखर्जी : श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री भीखर वासुदेव धाबे :	
7.	पृष्ठ 4, पंक्ति 38 के पश्चात्—	उक (नया)
	"दंड प्रक्रिया संहिता में, धारा 46(3) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् "(4) अपरिहार्य परिस्थितियों के सिवाय, किसी भी स्त्री को सूर्यास्त के पश्चात् तथा सूर्योदय से पूर्व गिरफ्तार नहीं किया	

1 | 2 | 3

जाएगा, तथा जहां ऐसी अपरिहार्य परिस्थितियां उपस्थित हों, ऐसी गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस अधिकारी सूचना के द्वारा अपने तात्कालिक उच्च अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा या यदि मामला अत्यन्त अविलम्बनीय हो तो वह पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करने के तुरन्त बाद अपने तात्कालिक अधिकारी को लिखित में गिरफ्तारी के कारण तथा उपर्युक्त रूप में पूर्वानुमति न लेने के कारणों की सूचना देगा ।" अन्तःस्थापित किया जावे ।

श्री श्रीधर वासुदेव धावे : 6क

24. पृष्ठ 5, पंक्ति 25 के पश्चात्— (नया)

"6क; दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में धारा 357 की उप धारा (1) के खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः-स्थापित किया जावेगा, अर्थात् :—

"(ङ) किसी व्यक्ति की भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 354क, 376, 376क, 376ख, 376ग के अन्तर्गत दोष सिद्धि पर जिस स्त्री के विरुद्ध अपराध किया गया है, उस स्त्री को, उसके पुनर्वास के लिए पर्याप्त प्रतिकर अदा किया जावेगा तथा जिस स्त्री के विरुद्ध अपराध किया गया है, उसकी मृत्यु हो जाने पर उस मामले की विशेष परिस्थितियों में वह प्रतिकर उस स्त्री के विधिक प्रतिनिधियों को अदा किया जावेगा ।" अन्तः स्थापित किया जावे ।

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्रीमती सुशीला गोपालन :

27. पृष्ठ 5, पंक्ति 25 के पश्चात्— 6क (नया)

"6क; दण्ड प्रक्रिया की धारा 417 के पश्चात् निम्नलिखित धारा में अन्तःस्थापित की जावेंगी" अर्थात् :—

"417 क—किसी भी स्त्री को रात के 8 बजे और प्रातः 6 बजे के बीच गिरफ्तार नहीं किया जावेगा और पुलिस हवालात में नहीं रखा जावेगा ।

417 ख. —जब किसी स्त्री को गिरफ्तार किया जाता है तथा विशेष रूप से स्त्रियों के लिये अभिप्रेत विरुद्ध स्थान में उसे अभिरक्षा में रखने के लिए स्थानीय रूप से कोई समुचित व्यवस्था न हो, तो उस स्त्री को स्त्री और बालक संस्था (अनुज्ञापन) अधिनियम, 1956 के अधीन अनुज्ञापित बालकों के प्रवेश, देखभाल, सुरक्षा तथा कल्याण के लिए स्थापित और चलाई जा रही किसी संस्था अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में भेजा जावेगा, उस मामले को छोड़कर जिसमें किसी विशेष विधि के अनुसार उस स्त्री को किसी सुरक्षागृह या ऐसी विशेष विधि के प्रयोजनों के

1	2	3
	लिये प्राधिकृत किसी अन्य निरुद्ध स्थान पर भेजा जाना अपेक्षित हो।" अन्तःस्थापित किया जाये।	
	श्री श्रीधर वासुदेव धावे :	
28.	पृष्ठ 5, पंक्ति 25 के पश्चात्—	6क (नया)
	"6क; दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 417 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तः स्थापित की जावेगी, अर्थात् :—	
	"417क. जब किसी स्त्री को गिरफ्तार किया जाता है तथा विशेषरूप से स्त्रियों के लिए अभिप्रेत निरुद्ध स्थान में उसे अभिरक्षा में रखने के लिए स्थानीय रूप से कोई समुचित व्यवस्था न हो, तो उस स्त्री और बालक संस्था (अनुज्ञापन) अधिनियम, 1956 के अधीन अनुज्ञापित बालकों के प्रवेश, देखभाल, सुरक्षा तथा कल्याण के लिये स्थापित और चलाई जा रही किसी संस्था अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त संस्था में भेजा जावेगा, उस मामले को छोड़कर, जिसमें किसी विशेष विधि के अनुसार उस स्त्री को किसी सुरक्षा-गृह या ऐसी विशेष विधि के प्रयोजनों के लिये प्राधिकृत किसी अन्य निरुद्ध स्थान पर भेजा जाना अपेक्षित हो।"	
	अन्तःस्थापित किया जाये।	

सैंतीसवीं बैठक

2-8-1982

समिति की बैठक सोमवार, 2 अगस्त, 1982 को 15.30 बजे से 16.25 बजे तक समिति कमरा सं० 62, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री डी० के० नायकर —सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती गुरबिन्दर कौर ब्रार
3. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी
4. श्रीमती सुशीला गोपालन
5. श्रीमती माधुरी सिंह
6. श्री एन० के० शेजवलकर
7. श्रीमती गीता मुखर्जी
8. श्री राम प्यारे पनिका
9. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत
10. श्री आर० एस० स्पैरो
11. श्री त्रिलोक चन्द
12. श्री पी० वेंकटसुब्बया

राज्य सभा

13. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
14. श्री रामचन्द्र भारद्वाज
15. श्री अमर प्रसाद चक्रवर्ती
16. श्री श्रीधर वासुदेव धाबे
17. श्री सुरेन्द्र मोहन्ती
18. श्री हुकमदेव नारायण यादव

सचिवालय

1. श्री ए०जी० परांजपे—संयुक्त सचिव
2. श्री सत्यदेव कौड़ा—मुख्य विधायी समिति अधिकारी
3. श्री टी० ई० जगन्नाथन—वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी

विधायी परामर्शदाता

1. श्रीमती वी० एस० रामादेवी—संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शदाता
2. डा० रघुवीर सिंह—सहायक विधायी परामर्शदाता

गृह मंत्रालय का प्रतिनिधि

श्री एस० वी० शरण—संयुक्त सचिव

2. सर्वप्रथम सभापति ने समिति को अब तक किये गये कार्य की प्रगति से अवगत कराया और टिप्पणी की कि उन्होंने सरकारी संशोधनों के बारे में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य विभाग से परामर्श किया है और उन्होंने सरकारी संशोधनों को समिति के समक्ष रखने का वचन दिया है। उन्होंने समिति को यह भी बताया कि उन्हें गृह मंत्रालय से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लिखित है कि सरकारी संशोधनों को अंतिम रूप दिये जाने में विलम्ब के कारण समिति से अनुरोध किया जा सकता है कि वह प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के लिए कहे। तत्पश्चात् गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) ने स्पष्ट किया कि सरकारी संशोधनों को पहले ही विधि, न्याय और कंपनी कार्य के विधि कार्य विभाग को पुनरीक्षण के लिए भेज दिया है। इनका पुनरीक्षण हो जाने के बाद इन संशोधनों को अनुमोदनार्थ मंत्रीमंडल के समक्ष रखा जाएगा और इसके बाद वह लोक सभा सचिवालय को संशोधन सूचनाएं भेजेंगे। इसलिए सभापति ने सुझाव दिया कि समिति 1982 के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह तक समय बढ़ाने के लिए कह सकती है।

3. सरकार द्वारा किये गये अनुरोध : काम की मात्रा और उसके पास समय की कमी को ध्यान में रखते हुए समिति ने महसूस किया कि उनके लिए निर्धारित दिनांक अर्थात् 7 अगस्त 1982 तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना संभव नहीं होगा। कुछ चर्चा के बाद समिति ने निर्णय किया कि अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए शीतकालीन सत्र 1982 के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक का समय बढ़ाने की मांग की जाए अतः समिति ने सभापति को और उनकी अनुपस्थिति में श्री आर०एस० स्पैरा को 5 अगस्त 1982 को इस संबंध में सभा में आवश्यक प्रस्ताव रखने के लिए प्राधिकृत किया।

4. तत्पश्चात् समिति ने निर्णय किया कि इस संबंध में सरकारी संशोधनों पर विचार करने के लिए समिति की अगली बैठकें 14 और 15 सितम्बर, 1982 को होंगी।

5. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

अड़तीसवीं बैठक

14-9-1982

समिति की बैठक मंगलवार, 14 सितम्बर, 1982 को 11.00 बजे से 12.00 बजे तक समिति कमरा संख्या "बी" संसदीय सौध, नयी दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री डी० के० नायकर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री के० अर्जुनन्
3. श्री रास बिहारी बेहरा
4. श्रीमती गुरबिन्दर कौर बरार
5. श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव
6. श्रीमती सुशीला गोपालन
7. श्री एन० के० शेजवलकर
8. श्रीमती गीता मुखर्जी
9. श्री के० एस० नारायण
10. श्री राम प्यारे पनिका
11. श्री बापूसाहिब परूलेकर
12. श्री काजी सलीम
13. श्री एस० सिंगारावडीवेल
14. श्री आर० एस० स्पैरो
15. श्री त्रिलोक चन्द
16. श्री बी० एस० विजयराघवन
17. श्री पी० वेंकटसुब्बया

राज्य सभा

18. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
19. श्री रामचन्द्र भारद्वाज
20. श्री बी० इब्राहिम
21. श्री धूलेश्वर मीणा
22. श्री सुरेन्द्र महन्ती
23. श्री बी० पी० मुनुस्वामी
24. श्री हुक्मदेव नारायण यादव

सचिवालय

श्री सत्य देव कौड़ा—मुख्य विधायी समिति अधिकारी

विधायी सलाहकार

1. श्रीमती वी० एस० रमादेवी—संयुक्त सचिव तथा विधायी सलाहकार
2. डा० रघुबीर सिंह—सहायक विधायी सलाहकार

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस० बी० शरण—संयुक्त सचिव

2. श्री पी० एस० अनन्तनारायणन—अवर सचिव

2. प्रारंभ में सभापति महोदय ने समिति को अब तक किये गये कार्य की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने यह टिप्पणी की कि 2-8-1982 को हुई समिति की पिछली बैठक के दौरान गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) ने यह कहा था कि सरकारी संशोधन पहले ही संवीक्षा के लिए विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के विधि कार्य विभाग को भेज दिए गए हैं और उन संशोधनों की उनके द्वारा संवीक्षा किए जाने के पश्चात् उक्त संशोधन मंत्रिमंडल के समक्ष उसकी स्वीकृति के लिए रखे जायेंगे और उसके बाद वह संशोधन की सूचना लोक सभा सचिवालय को भेजेंगे। सभापति महोदय ने सदस्यों को यह जानकारी दी कि सरकारी संशोधन अभी तक लोक सभा सचिवालय को प्राप्त नहीं हुए हैं।

3. गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) ने यह बताया कि संशोधनों की संवीक्षा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के विधि कार्य विभाग द्वारा कर ली गई है और संशोधन स्वीकृति के लिए मंत्रिमंडल में अनिर्णित पड़े हुए हैं। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि संशोधनों के बारे में शीघ्र ही मंत्रि मंडल द्वारा निर्णय कर लिया जायेगा। उन्होंने आगे यह बताया कि समिति के सदस्यों की तरह सरकार भी उक्त मामले के बारे में द्रुत कार्यवाही करने के लिये इच्छुक है। उक्त संशोधनों के बारे में मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय किए जाने के पश्चात् उन्हें लोक सभा सचिवालय को समिति के विचारार्थ भेजा जाएगा। इसलिये उन्होंने यह सुझाव दिया कि 14 सितम्बर को दोपहर बाद 15.00 बजे और 15 तथा 16 सितम्बर को होने वाली बैठकों की वर्तमान श्रृंखला को रद्द कर दिया जाये।

4. इसके पश्चात् सर्वश्री एन० के० शेजवलकर, लाल कृष्ण आडवाणी, बापू साहिब परुलेकर, बी० किशोर चन्द्र एस० देव, हुकम देव नारायण यादव, श्रीमती गीता मुखर्जी और श्रीमती सुशीला गोपालन सहित अनेक सदस्यों ने यह टिप्पणी की कि सरकारी संशोधनों को प्रस्तुत किये जाने में पहले ही अत्यधिक विलम्ब हो गया है और उसके परिणामस्वरूप समिति के कार्य में बाधा पहुंची है। उन्होंने आगे यह कहा कि समिति के सदस्यों की संसद के अन्दर और संसद् के बाहर विलम्ब के लिये आलोचना की जा रही है। सर्वश्री आर० एस० स्पैरो और के० एस० नारायण सहित सदस्यों का यह मत था कि सरकारी संशोधनों के बारे में बिना और अधिक विलम्ब के द्रुतगति से कार्यवाही की जानी चाहिये और वे समिति की बैठकों की यदि वे सत्र के दौरान शनिवार/रविवार को अथवा प्रातःकाल/सायंकाल में आयोजित की गई तो भी भाग लेने के लिये तैयार हैं जिससे कार्य पूरा हो सके और निर्धारित तारीख (अर्थात् 2 नवम्बर 1982) तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सके।

5. गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) द्वारा किये गये अनुरोध को ध्यान में रखते हुए समिति ने कुछ चर्चा के बाद यह निर्णय किया कि उस दिन दोपहर बाद होने वाली उसकी बैठक और 15 तथा 16 सितम्बर, 1982 को होने वाली बैठकों को रद्द कर दिया जाये।

6. इसके पश्चात् समिति ने सभापति महोदय को यह प्राधिकार दिया कि वह सरकारी संशोधनों के प्राप्त होने के पश्चात् समिति की अगली बैठकों की तारीख और समय निर्धारित करें।

7. इसके पश्चात् कुछ सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया कि क्या विधेयक के खण्डों के बारे में उनके द्वारा संशोधनों के बारे में दी गई उन सूचनाओं के बारे में जिन पर समिति की बैठकों से उनकी अनुपस्थिति के कारण उन पर उस समय चर्चा नहीं की जा सकी जबकि विधेयक के संगत खण्डों पर समिति द्वारा पहले चर्चा की गई थी उस समय चर्चा के लिये लिया जा सकता है जबकि सरकारी संशोधनों पर चर्चा हो क्योंकि खण्डवार विचार के दौरान खण्डों को संशोधनों

के साथ या संशोधनों के बिना अन्तिम रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। सभापति महोदय ने यह कहा कि सरकारी संशोधनों पर चर्चा के समय उक्त मामले पर विचार किया जायेगा और नियमों के अनुसार उनके द्वारा निर्णय किया जायेगा।

8. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

उनतालीसवीं बैठक

(30-9-1982)

समिति की बैठक गुरुवार, 30 सितम्बर, 1982 को संसदीय सौध, नई दिल्ली के समिति कमरा "क" में 11.00 बजे से 11.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री डी० के० नायकर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री के० प्रद्युम्न
3. श्री रास बिहारी बहेरा
4. श्रीमती गुरबिन्दर कौर बरार
5. श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव
6. श्रीमती सुशीला गोपालन
7. श्रीमती गीता मुखर्जी
8. श्री के० एस० नारायण
9. श्री राम प्यारे पनिका
10. श्री काजी सलीम
11. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत
12. श्री एस० के० शेजवलकर
13. श्री पी० वेंकटसुब्बय्या

राज्य सभा

14. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
15. श्री राम चन्द्र भारद्वाज
16. श्री श्रीधर वासुदेव धाबे
17. श्री सुखदेव प्रसाद मीणा
18. श्री ईरा सेझियान

सचिवालय

श्री सत्यदेव कौड़ा—मुख्य विधायी समिति अधिकारी।

विधायी परामर्शदाता

श्रीमती वी० एस० रामा देवी—संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता।

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस० वी० बरन—संयुक्त सचिव
2. श्री पी० एस० जगन्नाथरामन—अवर सचिव

प्रारम्भ में सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि सरकारी संशोधन तथा श्री लाल कृष्ण आडवाणी, संसद् सदस्य द्वारा रखे गये नए संशोधन उन्हें पहले ही भेजे जा चुके हैं। उन्होंने आगे बताया कि सदस्यों से सरकारी संशोधनों को ध्यान में रखते हुए 27 सितम्बर, 1982 तक नये संशोधन भेजने का अनुरोध किया गया था। इस पर बहुत से सदस्यों ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि सरकारी संशोधनों का अध्ययन करने तथा नये संशोधनों की सूचना देने के लिये उनके पास पर्याप्त समय न होने के कारण नये संशोधनों का नोटिस देने का समय बढ़ाया जाये। थोड़ा विचार विमर्श करने के पश्चात् समिति ने सदस्यों द्वारा नये संशोधनों के नोटिस देने के लिये समय 6 अक्तूबर, 1982 तक बढ़ाने का निर्णय किया।

2. इसके पश्चात् समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार करने एवम् सरकारी संशोधनों और सदस्यों द्वारा किये गये नये संशोधनों पर विचार करने के लिये अपनी अगली बैठक शुक्रवार, 8 अक्तूबर, 1982 को 9.00 बजे आयोजित करने का निर्णय किया।

3. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

चालीसवीं बैठक

(8–10–1982)

समिति की बैठक शुक्रवार, 8 अक्तूबर, 1982 को समिति कक्ष संख्या 62, संसद भवन, नई दिल्ली में 9.30 बजे से 11.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री डी० के० नायकर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती गुरबिन्दर कौर बरार
3. श्री० बी किशोर चन्द्र एस० देव
4. श्रीमती सुशीला गोपालन
5. श्रीमती माधुरी सिंह
6. श्रीमती गीता मुखर्जी
7. श्री राम प्यारे पनिका
8. श्री एन० के० शेजवलकर
9. श्री त्रिलोक चन्द
10. श्री पी० वेंकटसुब्बया

राज्य सभा

11. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
12. श्री राम चन्द्र भारद्वाज
13. श्री अमर प्रसाद चक्रवर्ती
14. श्री श्रीधर वासुदेव धाबे
15. श्री बी० श्री० सत्यानी
16. श्री ईरा सेझियान

सचिवालय

श्री सत्य देव कौड़ा—मुख्य विधायी समिति अधिकारी।

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० रामय्या—संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्श दाता ।

2. श्री आर० वी० अग्रवाल—डिप्टी ड्राफ्ट्समैन, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, विधायी विभाग (राज्य सभा स्कन्ध)

3. डा० रघुबीर सिंह—सहायक विधायी परामर्शदाता

गृह मंत्रालय का प्रतिनिधि

श्री एस० बी० सरन—संयुक्त सचिव

2. समिति ने सरकारी संशोधनों की सूचनाओं और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा पुरःस्थापित सरकारी संशोधनों तथा सम्बन्धित सदस्यों द्वारा पुरःस्थापित तथा सूचित नये संशोधनों आदि के आधार पर विधेयक के खण्ड 2 पर चर्चा आरम्भ की। चर्चा समाप्त नहीं हुई तत्पश्चात् समिति ने इस खण्ड पर अपनी 11 अक्तूबर, 1982 को 9.30 बजे होने वाली अगली बैठक में पुनः चर्चा आरम्भ करने का निर्णय किया।

3. तत्पश्चात् सभापति ने घोषणा की कि कार्य को पूरा करने तथा निर्धारित तिथि (अर्थात् 2-11-1982) तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये एक अन्तिम कार्यक्रम (अनुबंध) निर्धारित किया गया है और उन्होंने सदस्यों से उपर्युक्त कार्यक्रम का पालन करने में उनसे सहयोग करने का अनुरोध किया। समिति ने अपनी आगामी बैठक में अन्तिम कार्यक्रम पर चर्चा करने का निर्णय किया।

4. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

अनुबंध

(देखिए कार्यवाही सारांश का पैरा 3)

दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 सम्बन्धी संयुक्त समिति

समिति की रिपोर्ट को पूरा करने और सदन में प्रस्तुत करने के लिए अनन्तिम कार्यक्रम।

एक. विधेयक पर खण्ड वार विचार के लिए तारीखें	8-10-1982 : 11-10-1982 से 14-10-1982
दो. प्रारूप प्रतिवेदन तैयार करने की तारीखें	15-10-1982 से 20-10-1982
तीन. गृह मंत्रालय तथा विधि मंत्रालय द्वारा प्रारूप प्रतिवेदन की जांच किये जाने और सत्यापित किये जाने के लिए तारीखें।	20-10-1982 से 22-10-1982
चार. सभापति द्वारा प्रारूप प्रतिवेदन स्वीकृत किये जाने की तारीख	22-10-1982
पांच. समिति द्वारा संशोधित रूप में विधेयक की असंशोधित प्रतियां (अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों संस्करण) विधि मंत्रालय से प्राप्त होने की तारीख। . . .	22-10-1982

छः. प्रारूप प्रतिवेदन तथा यथासंशोधित विधेयक समिति के सदस्यों को परिचालित करने की तारीख 23-10-1982

सात. यथा संशोधित विधेयक पर और समिति द्वारा प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने और इसे स्वीकार किये जाने की तारीख 25-10-1982

आठ. सदस्यों से प्राप्त होने वाले किन्हीं विवक्षित टिप्पणों को सचिवालय में लिए जाने की तारीख 29-10-1982 (10.00 बजे)

नौ. प्रतिवेदन को लोक सभा में प्रस्तुत किये जाने और उसकी एक प्रति राज्य सभा के पटल पर रखे जाने की तारीख . . 2-11-1982

इक्तालीसवीं बैठक

11-10-1982

समिति की बैठक सोमवार, 11 अक्तूबर, 1982 को 15.30 बजे से 18.00 बजे तक समिति कमरा संख्या 62, संसद् भवन, नयी दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री डी० के० नायकर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती गुरबिन्दर कौर बरार
3. श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव
4. श्रीमती सुशीला गोपालन
5. श्रीमती माधुरी सिंह
6. श्रीमती गीता मुखर्जी
7. श्री राम प्यारे पनिका
8. श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन
9. श्री आर० एस० स्पैरो
10. श्री त्रिलोक चन्द
11. श्री बी० एस० विजयराघवन
12. श्री पी० वेंकटसुब्बया

राज्य सभा

13. श्री लालकृष्ण आडवाणी
14. श्री श्रीधर वासुदेव आवे
15. श्री धूलेश्वर मीणा

सचिवालय

1. श्री एच० जी० परांजपे—संयुक्त सचिव

3. श्री सत्यदेव कौड़ा—मुख्य विधायी समिति अधिकारी

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० रामैय्या—संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता

2. श्री आर० वी० अग्रवाल—उप प्रारूपकार, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, विधायी निर्माण (राजभाषा स्कंध)

3. डा० रघुवीर सिंह—सहायक विधायी परामर्शदाता

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री एस० बी० शरण—संयुक्त सचिव

2. समिति ने (एक) उन सरकारी संशोधनों जिनकी सूचनायें गृह राज्य मंत्री ने दी तथा जिन्हें उन्होंने पेश किया और (दो) उन नये संशोधनों आदि, जिनकी सूचनायें संबंधित सदस्यों ने दी तथा जिन्हें उन्होंने पेश किया, के आधार पर विधेयक पर और आगे खंडवार विचार करना आरम्भ किया ।

3. खंड दो—निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये :—

(एक) पृष्ठ 1, पंक्ति 8 से 18 तथा पृष्ठ 2, पंक्ति 1 से 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"228क(1) जो कोई किसी नाम या अन्य बात को जिससे किसी ऐसे व्यक्ति की (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् पीड़ित व्यक्ति कहा गया है) पहचान हो सकती है, जिसके विरुद्ध धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग या धारा 376घ के अधीन किसी अपराध का किया जाना अभिकथित है या किया गया पाया गया है, मुद्रित या प्रकाशित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ;

(2) उपधारा (1) की किसी भी बात की विस्तार किसी नाम या अन्य बात के ऐसे मुद्रण या प्रकाशन पर, यदि उससे पीड़ित व्यक्ति की पहचान हो सकती है, तब नहीं होगा जब ऐसा मुद्रण या प्रकाशन—

(क) पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी अथवा ऐसे अपराध को अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा, जो ऐसे अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सद्भावपूर्वक कार्य करता है, या उसके लिखित आदेश के अधीन किया जाता है; या

(ख) पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से किया जाता है ; या

(ग) जहां पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है अथवा वह अव्यस्क या विकृतचित्त है वहां, पीड़ित व्यक्ति के निकट सम्बन्धी द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से किया जाता है ;

परन्तु निकट सम्बन्धी द्वारा कोई भी ऐसा प्राधिकार किसी मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या संगठन के अध्यक्ष या सचिव से, चाहे उसका जो भी नाम हो, भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था संगठन" से केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त समाज कल्याण संस्था या संगठन अभिप्रेत है ।

(3) जो कोई व्यक्ति उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी अपराध की बाबत किसी न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में, उस न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई बात मुद्रित या प्रकाशित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए दंडनीय होगा ।"

(दो) पृष्ठ 2,

पंक्ति 4 से 12 का लोप किया जाये ।

यथासंशोधित खंड स्वीकृत हुआ ।

खंड 3 निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये :

(एक) पृष्ठ 2, पंक्ति 20—

"सात" के स्थान पर "छह" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(दो) पृष्ठ 2, पंक्ति 24—

"स्वतन्त्र और स्वेच्छिक" का लोप किया जाये ।

(तीन) पृष्ठ 2, पंक्ति 26-27—

"मृत्यु या उपहति या क्षति के भय में डालकर या धारा 503 में परिभाषित आपराधिक अभित्रास से" के स्थान पर "या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसमें वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(चार) पृष्ठ 2—

पंक्ति 32 से 35 का लोप किया जाये ।

"छठा" के स्थान पर "पांचवा" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(छह) पृष्ठ 2, पंक्ति 38—

"उसके द्वारा" के स्थान पर "स्वयं उसके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(सात) पृष्ठ 2, पंक्ति 40—

या प्रभावी प्रतिरोध करने में असमर्थ है" का लोप किया जाये—

(आठ) पृष्ठ 2, पंक्ति 40—

"सातवां" के स्थान पर "छठा" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(नौ) पृष्ठ 2, पंक्ति 43—

"स्पष्टीकरण—1" के स्थान पर "स्पष्टीकरण" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(दस) पृष्ठ 3, पंक्ति 1 से 3 का लोप किया जाये ।

(ग्यारह)*

और आगे खण्डवार विचार करना रोक दिया जाये ।

5. समिति ने यह भी निर्णय किया कि नये संशोधनों/नये सामान्य संशोधनों की समेकित सूची के नये सामान्य सुझाव संख्या 9, जो उत्पीड़न के बारे में है, पर आधारित उपयुक्त सिफारिश समिति के प्रतिवेदन में "सामान्य सिफारिश" के रूप में सम्मिलित की जाये । (देखिए अनुबन्ध)

6. तत्पश्चात् समिति ने विधेयक पर और आगे खंडवार विचार करने के लिए मंगलवार, 12 अक्तूबर, 1982 को 16.00 बजे से अपनी अगली बैठक करने का निश्चय किया ।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

अनुबंध

सामान्य सिफारिश

(देखिए दिनांक 11-10-1982 के कार्यवाही सारांश का पैरा 5)

[नये संशोधनों/नए सामान्य सुझावों, जिनकी सूचनायें सदस्यों ने दी और जिन्हें "सामान्य सिफारिश" के रूप में प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए समिति ने स्वीकार किया की समेकित सूची से उद्धरण]

क्रमांक	सदस्य का नाम तथा संशोधन का पाठ	खण्ड संख्या
***	***	***
9 (नया सामान्य सुझाव 6)	श्री एन० के० शेजवलकर विधेयक का पृष्ठ 2, पंक्ति 14 के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड 2क जोड़ा जाये ।	2क (नया)
	"2क भारतीय दण्ड संहिता धारा 100 में तीसरे खण्ड में "बलात्संग" शब्द के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़े जायेंगे— "या उत्पीड़न"	

बयालीसवीं बैठक

12-10-1982

समिति की बैठक, मंगलवार, 12 अक्तूबर, 1982 को 16.00 बजे से 18.30 बजे तक समिति कमरा सं० 62, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री डी० के० नायकर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती गुरविन्दर कौर बराड़
3. श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव

---

*हिन्दी अनुवाद में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं ।

4. श्रीमती सुशीला गोपालन
5. श्रीमती माधुरी सिंह
6. श्रीमती गीता मुखर्जी
7. श्री राम प्यारे पनिका
8. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत
9. श्री एन० के० शेजवलकर
10. श्री आर० एस० स्पैरो
11. श्री त्रिलोक चन्द
12. श्री वी० एस० विजयराघवन
13. श्री पी० वेंकटसुब्बैया

राज्य सभा

14. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
15. श्री रामचन्द्र भारद्वाज
16. श्री बी० इब्राहिम
17. श्री धूलेश्वर मीणा।

सचिवालय

1. श्री हरि गोपाल परांजपे—संयुक्त सचिव।
2. श्री सत्यदेव कौड़ा—मुख्य विधायी समिति अधिकारी।

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० रमैय्या—संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता।
2. श्री आर० वी० अग्रवाल—उप प्रारूपकार, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, विधायी विभाग (राजभाषा खण्ड)
3. डा० रघुबीर सिंह—सहायक विधायी परामर्शदाता।

गृह मंत्रालय का प्रतिनिधि

श्री एस० वी० शरण—संयुक्त सचिव।

2. समिति ने (एक) उन सरकारी संशोधनों, गृह राज्य मंत्री ने जिन की सूचना दी तथा जिन्हें पेश किया और (दो) उन नये संशोधनों आदि सम्बन्धित सदस्यों ने जिनकी सूचना दी तथा जिन्हें पेश किया, के आधार पर विधेयक पर और आगे खण्डवार विचार करना आरम्भ किया।

3. खण्ड 3 :—(देखिए दिनांक 11-10-1982 के कार्यवाही सारांश का पैरा 4)—निम्नलिखित और संशोधन स्वीकार किये गये :—

(एक) पृष्ठ 3, पंक्ति 10 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाय—

"सिवाय उस दशा के जब कि वह स्त्री, जिसके साथ बलात्संग किया गया है, उसकी अपनी पत्नी है और बारह वर्ष से कम आयु की नहीं है, और ऐसे मामले में वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायगा ;"

(दो) पृष्ठ 3, पंक्ति 15 से 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"(क) पुलिस अधिकारी के होते हुए —

(एक) उस पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर, जिसमें वह नियुक्त है, बलात्संग करेगा ; या

(दो) किसी भी थाने के परिसर में, चाहे वह ऐसे पुलिस थाने में जिसमें वह नियुक्त है, स्थित है या नहीं, बलात्संग करेगा ; या

(तीन) अपनी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ बलात्संग करेगा ; या"

(तीन) पृष्ठ 3, पंक्ति 24—

"अधीक्षक या प्रबन्धक" के स्थान पर

"प्रबन्ध या कर्मचारिवृन्द में होते हुए" प्रतिस्थापित किया जाए

(चार) पृष्ठ 3, पंक्ति 27 से 29 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"(घ) किसी अस्पताल के प्रबन्ध या कर्मचारिवृन्द में होते हुए, अपनी पदीय हैसियत का लाभ उठाएगा और उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ बलात्संग करेगा ; या "

(पांच) पृष्ठ, 3, पंक्ति 31 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये—

"(च) किसी ऐसी स्त्री के साथ बलात्संग करेगा जो 12 वर्ष से कम आयु की है ; या"

(छः) पृष्ठ 3, पंक्ति 32—

"(च)" के स्थान पर "(छ)" प्रतिस्थापित किया जाये

(सात) पृष्ठ 3, पंक्ति 38–39—

"तीन या अधिक व्यक्तियों" के स्थान पर

"व्यक्तियों के समूह में से एक या अधिक व्यक्तियों" प्रतिस्थापित किया जाए।

(आठ) पृष्ठ 4—

पंक्ति 1 से 4 का लोप किया जाये।

(नौ) पृष्ठ 4, पंक्ति 5—

"स्पष्टीकरण 3" के स्थान पर "स्पष्टीकरण 2" प्रतिस्थापित किया जाये।

(दस) पृष्ठ 4, पंक्ति 9 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये —

"स्पष्टीकरण 3—"अस्पताल" से अस्पताल का अहाता अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसी किसी संस्था का अहाता है जो उल्लाघ (आरोग्य-स्थापन) के दौरान व्यक्तियों को या चिकित्सीय ध्यान या पुनर्वास की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों को प्रविष्ट करने और उनका उपचार करने के लिए है।

पृथक कर दिये जाने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ सम्भोग।

376क. जो कोई अपनी पत्नी के साथ, जो पृथक्करण की किसी डिक्री के अधीन या किसी प्रथा अथवा रुढ़ि के अधीन, उससे पृथक रह रही है, उसकी सम्मति के बिना उसके साथ मैथुन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।"

(ग्यारह) पृष्ठ 4, पंक्ति 10—

"376क" के स्थान पर "376ख" प्रतिस्थापित किया जाए।

(बारह) पृष्ठ 4, पंक्ति 11—

"अनुचित" का लोप किया जाए।

(तेरह) पृष्ठ 4, पंक्ति 13—

"विलुब्ध" के स्थान पर "उत्प्रेरित या विलुब्ध" प्रतिस्थापित किया जाए।

(चौदह) पृष्ठ 4, पंक्ति 16—

"376ख" के स्थान पर "376 ग" प्रतिस्थापित किया जाए।

(पन्द्रह) पृष्ठ 4, पंक्ति 18 से 20—

"या ऐसी संस्था में कोई अन्य पद धारण करते हुए जिसके आधार पर वह उसके निवासियों पर किसी प्राधिकार या नियंत्रण का प्रयोग कर सकता है" का लोप किया जाए।

(सोलह) पृष्ठ 4, पंक्ति 21—

"अनुचित" का लोप किया जाए।

(सत्रह) पृष्ठ 4, पंक्ति 23—

"विलुब्ध" के स्थान पर "उत्प्रेरित या विलुब्ध" प्रतिस्थापित किया जाए।

(अठारह) पृष्ठ 4, पंक्ति 26 से 28 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"स्पष्टीकरण 1—किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह यथा अभिरक्षा के किसी स्थान या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के संबंध में, "प्रबंधक" के अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो ऐसी संस्था में कोई ऐसा पद धारण करते हुए, जिसके आधार पर वह उसके निवासियों पर किसी प्राधिकार या नियंत्रण का प्रयोग कर सकता है,

स्पष्टीकरण 2—"स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था" पद का वही अर्थ है जो धारा 376 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण 2 में उसका है।"

(उन्नीस) पृष्ठ 4, पंक्ति 29—

"376ग" के स्थान पर "376घ" प्रतिस्थापित किया जाए।

(बीस) पृष्ठ 4, पंक्ति 29—

"से सम्बन्धित" के स्थान पर "में" प्रतिस्थापित किया जाए।

(इक्कीस) पृष्ठ 4, पंक्ति 30—

"अस्पताल के कर्मचारिवृन्द में होते हुए," के पश्चात् "अपनी हैसियत का फायदा उठा कर," अन्तःस्थापित किया जाए।

(बाईस) पृष्ठ 4, पंक्ति 30 और 31—

"जो उस अस्पताल में उपचार प्राप्त कर रही है" का लोप किया जाए।

(तेईस) पृष्ठ 4, पंक्ति 34 से 38 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"स्पष्टीकरण—"अस्पताल" पद का वही अर्थ है जो धारा 376 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण 3 में उसका है।"

यथासंशोधित खण्ड 3 स्वीकृत हुआ।

4. खण्ड 4—निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया।

पृष्ठ 4, पंक्ति 39 से 48 और पृष्ठ 5, पंक्ति 1 से 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए —

धारा 327 का संशोधन

"4. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् दण्ड प्रक्रिया संहिता कहा गया है) में धारा 327 को उस धारा की उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित करने के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

1860 का 45

"(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग या धारा 376घ के अधीन किसी अपराध या बलात्संग की जांच या उसका विचारण बन्द कमरे में किया जाएगा :

परन्तु पीठासीन न्यायाधीश, यदि वह उचित समझता है तो या दोनों में से किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर, किसी व्यक्ति को, न्यायालय द्वारा उपयोग किए गए कक्ष या भवन तक पहुंचने या उसमें होने या बने रहने की अनुज्ञा दे सकता है ।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन कोई कार्यवाही की जाती है वहां ऐसे किसी व्यक्ति के लिए किसी ऐसी कार्यवाही से संबंधित किसी बात को न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय, मुद्रित या प्रकाशित करना विधिपूर्ण नहीं होगा।"

यथासंशोधित खण्ड 4 स्वीकृत हुआ।

5. खण्ड 5 तथा 6 :—समिति ने महसूस किया है कि बन्द कमरे में हुई कार्यवाहियों के मुद्रण अथवा प्रकाशन के किसी अपराध के संक्षिप्त विचारण के लिये विधेयक में स्पष्ट उपबंध करने की कोई आवश्यकता नहीं। अत: विधेयक का खण्ड 5 स्वीकार नहीं किया गया।

इसी प्रकार खण्ड 6 भी, जो पारिणामिक स्वरूप का है, स्वीकार नहीं किया गया।

6. खण्ड 7 :—निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये।

(एक) पृष्ठ 5, पंक्ति 26—

"7" के स्थान पर "5" प्रतिस्थापित किया जाए।

(दो) पृष्ठ 5, पंक्ति 30, स्तम्भ 5—

"अजमानतीय" के स्थान पर "जमानतीय" प्रतिस्थापित किया जाए।

(तीन) पृष्ठ 5, पंक्ति 30 से 34, स्तम्भ 3—

"2 वर्ष के लिये कारावास या जुर्माना या दोनों" के स्थान पर "दो वर्ष के लिये कारावास और जुर्माना" प्रतिस्थापित किया जाए ।

(चार) पृष्ठ 5, स्तम्भ 2—

पंक्ति 35 से 39 के स्थान पर "न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी कार्यवाही का मुद्रण या प्रकाशन" प्रतिस्थापित किया जाए।

(पांच) पृष्ठ 6,—पंक्ति 8 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए।

1	2	3	4	5	6
	किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग जिसकी आयु 12 वर्ष से कम नहीं है ।	दो वर्ष के लिये कारावास या जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	यथोक्त
376क	पृथक कर दिये जाने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग	दो वर्ष के लिये कारावास या जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय	यथोक्त

(छः) पृष्ठ 6, पंक्ति 9—

(क) स्तम्भ 1 "376 क" के स्थान पर "376ख" प्रतिस्थापित किया जाए ।

(ख) स्तम्भ 4, "यथोक्त" के स्थान पर "संज्ञेय (किन्तु बारण्ट या किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार नहीं किया जायेगा)।" प्रतिस्थापित किया जाए।

(ग) स्तम्भ 6, "प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट" के स्थान पर "यथोक्त" प्रतिस्थापित किया जाए।

(सात) पृष्ठ 6, पंक्ति 13, स्तम्भ 1—

"376 ख" के स्थान पर "376ग" प्रतिस्थापित किया जाए।

(आठ) पृष्ठ 6, पंक्ति 16, स्तम्भ 1—

"376ग" के स्थान पर "376 घ" प्रतिस्थापित किया जाए।

(नौ) पृष्ठ 6, पंक्ति 18, स्तम्भ 2.—

"किसी रोगी" के स्थान पर "उस अस्पताल में किसी स्त्री" प्रतिस्थापित किया जाए ।

यथासंशोधित खण्ड 7 स्वीकृत हुआ ।

7. समिति ने यह भी निर्णय किया कि क्रमांक 15 और 16 (आर्थिक अधिलाभ के अर्जन किये गये बलात्संग के बारे में); क्रमांक 24, 25, 26, 28 तथा 29 (बलात्संग से पीड़ित की चिकित्सीय जांच के बारे में) और क्रमांक 27 (बलात्संग के मामले की जांच के साथ किसी समाज कल्याण अधिकारी को सहयोजित करने के बारे में) पर दिये गये सुझावों पर आधारित उपयुक्त सिफारिशों को समिति के प्रतिवेदन में "सामान्य सिफारिशों" के रूप में सम्मिलित किया जाये। (देखिये अनुबन्ध)

8. तत्पश्चात् समिति ने विधेयक पर और आगे खण्डवार विचार आरम्भ करने के लिये अपनी अगली बैठक बुधवार, 13 अक्तूबर, 1982 को 15.00 बजे से करने का निर्णय किया।

9. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

अनुबंध

सामान्य सिफारिशें

(देखिये दिनांक 12-10-1982 के कार्यवाही सारांश का पैरा 7)

[नये संशोधनों/नये सामान्य सुझावों जिनकी सदस्यों ने सूचना दी, की समेकित सूची में अंतर्विष्ट वे संशोधन/सुझाव जिन्हें समिति ने प्रतिवेदन में सामान्य सिफारिशों के रूप में सम्मिलित करने के लिये स्वीकार कर लिया है।]

क्रम० सं०	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ	खंड सं०
1	2	3
15	(नं० सं० 8) श्रीमती गीता मुखर्जी	3
	विधेयक के पृष्ठ 3 में,—	
	पंक्ति 32 के पश्चात् निम्नलिखित	
	अंत:स्थापित किया जाए—	
	"(छ) शक्ति बलात्संग करेगा,"	
16	(नं० सं० 27) श्रीमती सुशीला गोपालन	
	विधेयक के पृष्ठ 3 में पंक्ति 32 के पश्चात् निम्नलिखित	3
	अंत:स्थापित किया जाए—	
	"(छ) किसी स्त्री के साथ, जिस पर उसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक अधिशासन है, बलात्संग करेगा"—	
24	(नं० सा० सु०—एक) श्री लाल कृष्ण आडवाणी	
	पृष्ठ 5, पंक्ति 10 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जावे,—	4 क (नया)
	"4क. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 53 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा 53 (क) अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:—	
	53(क). (क) जब बलात्संग करने या बलात्संग करने का प्रयास करने से दोषारोपित किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और इस धारा के अंतर्गत उसकी शारीरिक परीक्षा की जानी हो तो उसे अविलंब उस रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजा जायेगा जिसके द्वारा उसकी परीक्षा की जानी हो।	
	(ख) ऐसी जांच करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी अविलंब ऐसे व्यक्ति की जांच करेगा और एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें वह की गई जांच के परिणाम विनिर्दिष्ट रूप से अभिलिखित करेगा और उसमें निम्नलिखित ब्यौरा देगा :	
	(एक) अभियुक्त और उसे लाने वाले व्यक्ति का नाम और पता ;	
	(दो) अभियुक्त की आयु ;	

1	2	3

(तीन) अभियुक्त के शरीर पर चोट, यदि कोई हो, के निशान; और

(चार) अन्य महत्वपूर्ण विवरण, समुचित विस्तार सहित।

(ग) रिपोर्ट में प्रत्येक निष्कर्ष पर पहुंचने के ठीक-ठीक कारण बताये जायेंगे।

(घ) रिपोर्ट में जांच प्रारंभ करने और उसके पूरा होने का ठीक-ठीक समय भी दिया जायेगा और रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी अविलम्ब अन्वेषक अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा, जो उसे धारा 173 की उप धारा (5) के खंड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेज के भाग के रूप में इस धारा में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा।"

25. (न० सा० मु०) श्री रामबिहारी बहेरा — 4 क (नया)

पृष्ठ 5, पंक्ति 10 के पश्चात् निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाए :—

"4क, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 53 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा 53क अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"53क. जब बलात्संग करने या बलात्संग करने का प्रयास करने से दोषारोपित किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और इस धारा के अंतर्गत उसकी शारीरिक परीक्षा की जानी हो तो उसे अविलंब उस रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजा जायेगा जिसके द्वारा उसकी परीक्षा की जानी हो (परीक्षा कम से कम दो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा की जानी चाहिये।)

उस महिला की शारीरिक परीक्षा जिसके साथ बलात्संग किये जाने का या किये जाने का प्रयास अभिकथन है, किसी चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा किये जाने की स्थिति में ऐसी परीक्षा उस महिला की सहमति से दो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा की जायेगी।"

26. (न० सा० मु०—सात) श्री एन० के० शेजवलकर :

नये संशोधन (सूची संख्या 1) का पृष्ठ 2—नये सामान्य सुझाव—एक (श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा) में प्रस्तावित नये खंड 53क के उपखंड (ख) के भाग (चार) में "समुचित ब्यौरा" के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये—"जिसमें जब भी संभव हो उस व्यक्ति के शरीर या कपड़ों पर वीर्य या खून तथा/अथवा उसके धब्बों की रासायनिक जांच भी शामिल है।" — 4 क (नया)

28. (न० सा० मु०—दो) श्री लाल कृष्ण आडवाणी :

पृष्ठ 5, पंक्ति 10 के बाद अंतःस्थापित किया जाये "4 ख" — 4 ख (नया)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"164क (1) जहां, उस अवस्था में जब बलात्संग या बलात्संग करने के प्रयास का अपराध अन्वेषणाधीन होने

1	2	3

पर उस महिला, जिसके साथ बलात्संग किये जाने या किये जाने का प्रयास अभिकथित है, के शरीर को किसी चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा परीक्षा किये जाने का प्रस्ताव हो, वहां ऐसी जांच उस महिला की सहमति से अथवा उसकी ओर से सहमति देने के लिये सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति से किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा की जायेगी और महिला को उस रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास अविलंब भेजा जायेगा ।

(2) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जिसके पास ऐसी महिला को भेजा जाता है, अविलंब उसके शरीर की परीक्षा करेगा और एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें वह की गई जांच के परिणामों को विनिर्दिष्ट रूप से अभिलिखित करेगा और निम्नलिखित ब्यौरा भी देगा :—

(एक) महिला और उसे लाने वाले व्यक्ति का नाम और पता

(दो) महिला की आयु

(तीन) क्या पीड़ित महिला के साथ पहले भी मैथुन होता था ।

(चार) महिला के शरीर पर चोट, यदि कोई हो, के निशान ;

(पांच) महिला की सामान्य मानसिक स्थिति ; और

(छ) अन्य महत्वपूर्ण विवरण, समुचित विस्तार सहित ।

(3) रिपोर्ट में प्रत्येक निष्कर्ष पर पहुंचने के ठीक-ठीक कारण बताये जायेंगे ।

(4) रिपोर्ट में विशिष्ट रूप से बताया जायेगा कि ऐसी जांच के लिये महिला की सहमति या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिये सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त कर ली गई थी ।

(5) रिपोर्ट में जांच आरम्भ करने और उसके पूरा होने का ठीक-ठीक समय भी दिया जायेगा और रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी अविलम्ब अन्वेषक अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा, जो उसे धारा 173 की उपधारा (5) के खंड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेज के भाग के रूप में उस धारा में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा ।

(6) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि पीड़ित महिला की सहमति या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी जांच को यह धारा विधिपूर्ण बनाती है ।"

1	2	3
29	(न०सा०सु०—आठ) श्री एम० के० जेअवलकर :	
	नये संशोधन (सूची संख्या 1) का पृष्ठ 3, नये सामान्य सुझाव 2 (श्री लाल कृष्ण अडवाणी द्वारा प्रस्तुत) में प्रस्तावित नये खंड 164क की उपधारा (2) के भाग (ङ:) में, "समुचित ब्योरा" के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये–	4ख (नया)
	"जिसमें जहां भी संभव हो उस व्यक्ति के शरीर या कपड़ों पर वीर्य या खून तथा/अथवा उसके शुक्रों की रासायनिक जांच भी शामिल है।"	
27	(न० सा० सु०—तीन) श्रीमती सुशीला गोपालन	
	पृष्ठ 5, पंक्ति 10 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये :—	4क (नया)
	"4क. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—	
	"173क (1) स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराधों की दशा में मामले का अन्वेषण करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी ऐसे अन्वेषण के साथ एक समाज कल्याण अधिकारी या मान्यता प्राप्त समाज कल्याण संगठन या उस क्षेत्र के महिला संगठन के किसी प्रतिनिधि को सहयोजित करेगा तथा अन्वेषण के परिणामस्वरूप मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किये जाने वाले अंतिम प्रतिवेदन में उनकी राय भी दर्ज की जायेगी।	
	(2) ऐसे सभी मामलों में समाज कल्याण अधिकारी या समाज कल्याण संगठन अथवा महिला संगठन के प्रतिनिधि को राज्य के साथ मिलकर वाद-चलाने का अधिकार दिया जायेगा।	
	173ख यदि अन्वेषण के पश्चात् संबंधित पुलिस अधिकारी की यह राय है कि कोई अपराध नहीं किया गया है, जबकि समाज कल्याण अधिकारी या मान्यता प्राप्त समाज कल्याण संगठन अथवा महिला संगठन के प्रतिनिधि की राय उससे भिन्न है, तो संबंधित मजिस्ट्रेट उस अधिकारी या प्रतिनिधि की रिपोर्ट पर अभियुक्त को विचारण के लिए सुपुर्द करेगा और पुलिस की बजाए समाज कल्याण अधिकारी या समाज कल्याण संगठन अथवा महिला संगठन के प्रतिनिधि को वाद चलाने देगा।"	

तैंतालीसवीं बैठक

13-10-1982

समिति की बैठक बुधवार, 13 अक्तूबर, 1982 को समिति कमरा संख्या 62, संसद भवन नई दिल्ली में 15.30 बजे से 16.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री डी० के० नायकर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती गुरबिन्दर कौर बराड़
3. श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव
4. श्रीमती सुशीला गोपालन
5. श्रीमती माधुरी सिंह
6. श्रीमती गीता मुखर्जी
7. श्री राम प्यारे पनिका
8. श्री एन० के० शेजवलकर
9. श्री आर० एस० स्पैरो
10. श्री त्रिलोक चन्द
11. श्री वी० एस० विजयराघवन
12. श्री पी० वेंकटसुब्बैया

राज्य सभा

13. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
14. श्री बी० इब्राहीम
15. श्री धूलेश्वर मीणा
16. श्री ईरा सेजियन

सचिवालय

1. श्री सत्यदेव कौड़ा—मुख्य विधायी समिति अधिकारी।
2. श्री टी० ई० जगन्नाथन—वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी।

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० रामैय्या—संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता।
2. श्री आर० बी० अग्रवाल— ड्राफ्टमैन, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, विधायी विभाग (राजभाषा स्कंध)
3. डा० रघुवीर सिंह—सहायक विधायी परामर्शदाता।

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री एस० बी० शरन—संयुक्त सचिव

2. समिति ने (एक) सरकारी संशोधनों, जिनके संबंध में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सूचना दी और प्रस्ताव पेश किया तथा (दो) नये संशोधनों आदि, जिनके संबंध में संबंधित सदस्यों ने सूचना दी और प्रस्ताव पेश किया, को ध्यान में रखकर विधेयक पर और आगे खण्डवार विचार आरम्भ किया।

3. खण्ड 8 :—निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये :—

(एक) पृष्ठ 6, हाशिये के शीर्षक में "111क" के स्थान पर "114क" प्रतिस्थापित किया जाये।

(दो) पृष्ठ 6, पंक्ति 20, "8" के स्थान पर "6" प्रतिस्थापित किया जाये।

(तीन) पृष्ठ 6, पंक्ति 20, "111" के स्थान पर "114" प्रतिस्थापित किया जाये।

(चार) पृष्ठ 6, पंक्ति 22, "111क" के स्थान पर "114क" प्रतिस्थापित किया जाये।

(पांच) पृष्ठ 6, पंक्ति 23

(क) "खण्ड (च)" के पश्चात्

"या खण्ड (ङ)" अन्तःस्थापित किया जाये।

(ख) "खण्ड (च)" के स्थान पर

"खण्ड (छ)" प्रतिस्थापित किया जाये।

(छः) पृष्ठ 6, पंक्ति 24,:—

"जहां मैथुन" के स्थान पर "जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन किया जाना" प्रतिस्थापित किया जाए।

खण्ड 8, संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

4. खण्ड 1—निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :—

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,

"1980" के स्थान पर

"1982" प्रतिस्थापित किया जाये।

खण्ड 1, संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

5. अधिनियमन सूत्र :—निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :—

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,

"इक्कतीसवें" के स्थान पर

"तैंतीसवें" प्रतिस्थापित किया जायें।

अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

6. पूरा नाम : पूरा नाम बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ।

7. समिति ने विधेयक में किन्हीं स्पष्ट गलतियों को ठीक करने और आनुषंगिक तथा परिणामिक किस्म के संशोधनों को करने के लिये विधायी परामर्शदाता को प्राधिकृत किया।

8. समिति ने निर्णय किया कि समिति द्वारा विधेयक के संबंध में प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों वाले ज्ञापनों/अभ्यावेदनों आदि के दो सैट, प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात्, संसद् सदस्यों के संदर्भ के लिये संसद् ग्रंथालय में रख दिये जायें।

9. तत्पश्चात् समिति ने अपनी अगली बैठक सोमवार, 23 अक्तूबर, 1982 को 15.00 बजे अपने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने और उसे स्वीकृत करने हेतु करने का निर्णय किया।

10. तत्पश्चात् सभापति ने सदस्यों का ध्यान विधेयक के संबंध में अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 87 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की ओर दिलाया।

11. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

चौवालीसवीं बैठक

23-10-1982

समिति की बैठक शनिवार, 23 अक्तूबर, 1982 को 15.00 बजे से 16.15 बजे तक संसद् भवन, नई दिल्ली प्रथम तल, समिति कमरा सं० 62 में हुई।

उपस्थित

श्री डी० के० नायकर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री रास बिहारी बहेरा
3. श्रीमती गुरब्रिन्दर कौर बरार
4. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी
5. श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव
6. श्रीमती माधुरी सिंह
7. श्रीमती गीता मुखर्जी
8. श्री राम प्यारे पनिका
9. श्री काजी सलीम
10. श्री एस० सिंगारावाडीवेल
11. श्री आर० एस० स्पैरो
12. श्री त्रिलोक चन्द
13. श्री वी० एस० विजयराघवन
14. श्री पी० वेंकटासुब्बैया

राज्य सभा

15. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
16. श्री रामचन्द्र भारद्वाज
17. श्री अमर प्रसाद चक्रवर्ती
18. श्री एस० डब्ल्यु० धाबे
19. श्री बी० इब्राहीम
20. श्री धूलेश्वर मीना
21. श्री वी० पी० मुनुस्वामी
22. श्री लियोनार्ड सोलोमन सारिंग
23. श्री ईरा सेझियान
24. श्री हुक्मदेव नारायण यादव

सचिवालय

1. श्री एच० जी० परांजपे—संयुक्त सचिव।
2. श्री सत्य देव कोड़ा—मुख्य विधायी समिति अधिकारी।
3. श्री डी० ई० जगन्नाथन—वरिष्ठ विधायी समिति अधिकारी।

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० रामैय्या—संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता ।

2. श्री बी० के० शर्मा—संयुक्त सचिव तथा ड्राफ्टसमैन ।

3. श्री आर० बी० अग्रवाल—डिप्टी ड्राफ्टसमैन ।

4. डा० रघुवीर सिंह—सहायक विधायी परामर्शदाता ।

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री एस० बी० शरन—संयुक्त सचिव ।

2. प्रारम्भ में सभापति ने समिति को धारा 376ग तथा 376घ के संबंध में अनुसूची में बाद में किये गये परिवर्तनों से अवगत कराया । क्योंकि अनुसूची में धारा 376घ संज्ञेय, जमानतीय तथा सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई किये जाने योग्य मामलों के बारे में कुछ संशोधनों के साथ लाया गया था इसलिये धारा 376ग तथा 376घ भी इसी प्रकार के अपराधों से सम्बन्धित हैं, अतः इन्हें स्वीकार कर लिया गया । अनुसूची में यह परिवर्तन धारा 376घ में किये गये परिवर्तनों के अनुसार पारिणामिक संशोधनों के रूप में किया गया था । समिति इन पारिणामिक संशोधनों से सहमत हुई ।

3. तत्पश्चात् समिति ने विधेयक पर विचार किया और उसे संशोधित रूप में स्वीकार किया ।

4. तत्पश्चात् समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया ।

5. तत्पश्चात् सभापति ने सदस्यों का ध्यान साक्ष्य तथा विमत के सम्बन्ध में अध्यक्ष की निर्देशिका के निर्देश 87 की ओर दिलाया और यह घोषणा की कि विमत टिप्पण, यदि कोई हो, लोक सभा सचिवालय को शुक्रवार, 29 अक्तूबर, 1982 को 16.00 बजे तक भेज दिया जाये ।

6. समिति ने मंगलवार, 2 नवम्बर, 1982 को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा साक्ष्य का रिकार्ड सभा पटल पर रखने के लिये सभापति को तथा उनकी अनुपस्थिति में श्री आर० एस० स्पैरो को प्राधिकृत किया ।

7. समिति ने मंगलवार, 2 नवम्बर, 1982 को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा साक्ष्य का रिकार्ड राज्य सभा पटल पर रखने के लिये श्री बी० शंकरानन्द को तथा उनकी अनुपस्थिति में श्री रामचन्द्र भारद्वाज को प्राधिकृत किया ।

8. समिति ने अपनी बैठकों में विचार-विमर्श के दौरान गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बैया) द्वारा दी गई सहायता की सराहना की ।

9. समिति ने विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) के विधायी परामर्शदाता तथा ड्राफ्टसमैन (हिन्दी) तथा गृह मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा दिये गये सहयोग तथा सहायता की भी सराहना की ।

10. समिति ने अपने सभी कार्यों को सुविधापूर्वक करने तथा प्रारूप प्रतिवेदन शीघ्रता से तैयार करने में लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा किये गये कठिन परिश्रम की भी सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया ।

11. उपर्युक्त अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए सभापति ने सद्भावपूर्ण वातावरण में समिति की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने में समिति के सदस्यों द्वारा दिये गये सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद दिया ।

12. गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने भी सभापति द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सहमति व्यक्त करते हुए समिति की तथा गृह मंत्रालय, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों, द्वारा किये गये कार्य की सराहना की।

13. समिति के सदस्यों ने समिति की बैठकों की कार्यवाही को योग्यतापूर्ण तथा निष्पक्ष ढंग से चलाने तथा विधेयक के विभिन्न चरणों में उनके विचारों का निर्देशन करने के लिये सभापति (श्री डी० के० नायकर) की सराहना की तथा उन्हें धन्यवाद दिया।

14. तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।